जिला आपदा प्रबन्धन योजना

(वर्ष 2023–2024)

हनुमानगढ़

सहयोग– यूनिसेफ, राजस्थान

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

दूरभाश 0141–701780/704950–6, फैक्स 705420, 702542, ई–मेल **cdm_ripal@rediffmail.com**

Hanumangarh District Map

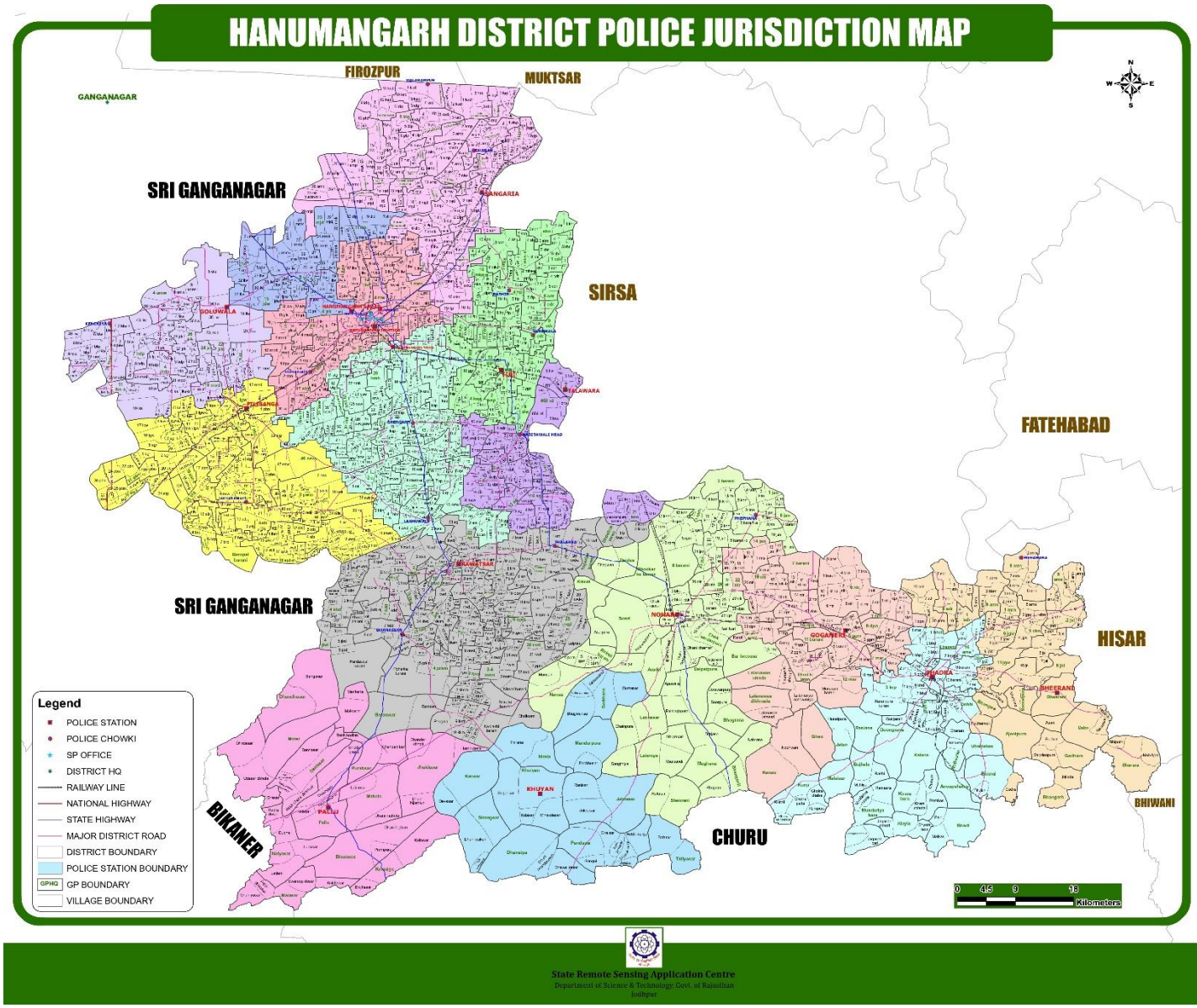

विशय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृश्ठ संख्या
	भाग– अ	
अध्याय–1	**प्रस्तावना**	**6–10**
	विकास और आपदा	
1.1	जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
1.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
1.3	आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)	
1.4	स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी	
1.5	कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें	
1.6	कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र–जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरण	
1.7	प्लान रिव्यू तथा अपडेशन	
अध्याय–2	आपदा, भेता, क्षमता तथा जोखिम आकलन	11–73
2.1	जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य	
2.2	जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण	
2.3	विपदा एवं जोखिम की संवेदनषीलता का आंकलन	
2.4	आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी	
2.5	सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)	
2.6	क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लैशण	
अध्याय–3	आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था	**74–75**
3.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	
3.3	जिला प्रशासन	
3.4	पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं	

3.5	नागरिक सुरक्षा तथा	
3.6	EOC setup and facilities available in the district	
अध्याय– 4	रोकथाम और शमन उपाय	**76–79**
4.1	स्ट्रक्चरल शमन उपाय	
4.2	गैर संरचनात्मक शमन उपाय	
4.3	तैयारी क्रियाविधि	
4.4	जागरुकता कार्यक्रम	
4.5	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
अध्याय– 5	तैयारियों के उपाय	**79–86**
5.1	आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरण	
5.2	प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना	
5.3	द्वितीय चरण–आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना	
5.4	तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना	
5.5	संवेदनशीलता	
अध्याय–6	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	**86–88**
अध्याय–7	प्रतिक्रिया और राहत उपाय	**88–89**
अध्याय–8	पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय	**89–91**
अध्याय–9	DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	**92–92**
अध्याय–10	DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली	**92–93**
अध्याय–11	DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	**93–101**
अध्याय–12	SOP– मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन	**101–106**
परिशिश्ट नं. 1	जिला प्रोफाईल–आपदाओं का इतिहास	**107–121**
परिशिश्ट नं. 2	आश्रय प्रबंधन व्यवस्था	**122–134**
परिशिश्ट नं. 3	मीडिया भागीदारी	**134–134**
परिशिश्ट नं. 4	चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना	**135–141**

परिशिश्ट नं. 5	आपदा की रोकथाम के लिये परियोजनाएं	**142–142**
परिशिश्ट नं. 6	आपदा बाद की क्षति के लिये प्रारुप, हानि, आवश्यकताएं और क्षमता प्रसार	**142–142**
परिशिश्ट नं. 7	चपेट में आने वाले गांवों तथा कस्बों की सूची	**142–143**
परिशिश्ट नं. 8	जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची	**144–150**
परिशिश्ट नं. 9	सार्वजनिक तथा निजी आधारिक संरचना की सूची जैसे–पुलिस स्टेशन, आश्रय आदि	**151–152**
परिशिश्ट नं. 10	विभिन्न संस्थाओं,एन.जी.ओ., स्वयं सेवकों की सूची	**152–156**
परिशिश्ट नं. 11	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची–मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धता	**156–184**
परिशिश्ट नं. 12	आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची–फोन न0 सहित	**185–198**
परिशिश्ट नं. 13	20 एजेंसियों/व्यक्तियों को प्लान के वितरण की सूची	**198–198**
परिशिश्ट नं. 14	परिवर्णी शब्दों की सूची	**198–199**
परिशिश्ट नं. 15	फोन डायरेक्ट्री	**199–206**

अध्याय– 1

प्रस्तावना

विकास और आपदा–

आदिकाल से मनुश्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्श करता रहा है। आज भले ही मनुश्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। तथापि आज भी आपदायें उसके नियन्त्रण से बाहर है। प्रोद्योगिक एवं औद्योगिक विकास से मनुश्य ने मनुश्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है। जो दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्श विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। जिससे जान व माल की काफी हानि होती है।

भारत में आपदा जोखिम

भारत में अलग–अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मापव–जन्य आपदाएं आती रहती है। लगभग 58.6 प्रतिशत भू–भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षैत्र है, 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षैत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ और नदी अपरदन संभावित है, 7,516 कि.मी. तटीय क्षैत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. क्षैत्र चक्रवात और सुनामी संभावित है, 68 प्रतिशत कृशि योग्य क्षैत्र सूखा संभावित है और पहाडी. क्षैत्रों में भू–स्खलन और हिम–स्खलन की बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकीरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्वि, शहरीकरण और औद्योगीकरण, उच्च–जोखिम क्षैत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोडा. जा सकता है।

1.1 जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

बहु–आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 60 वर्षों 1950–2010 में मात्र छः वर्श ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 54 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीशणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में

असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विर्षाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन

हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिश्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य–

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेशण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेश की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविश्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

क. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
ख. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
ग. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
घ. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
ड. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
च. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
छ. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

नीतिगत कथन

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाषकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का

व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

23 दिसम्बर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृश्टिकोण अपनाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एन डी एम ए), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें और कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें (डी डी एम ए) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबंधि लाभों को बनाऐ रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पति के नुकसान को कम करने के लिये राहत–केन्द्रित कार्रवाई के पहले के दृश्टिकोण के स्थानपर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृश्टिकोण अपनाया जाएगा।

1.3 आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)–

आपदा प्रबन्धन कार्य–योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औघोगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटना, रेल व वायुयान दुर्घटना इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची है पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र छः वर्श ही सूखा रहित रहे है। 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीशणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दषकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असंतुलन के कारण भी होता है इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकंप ऐसी आपदाये हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन व पर्यावरण को प्रभावित करते है। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विर्षाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिश्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला हनुमानगढ़ का अधिकांश क्षेत्र सूखा एंव हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी पंचायत समिति घग्घर बाढ़ में प्रभावित होती रही है। इसी प्रकार मार्च माह में गेहूँ कटाई के समय आग का

लगना। कुऑ खुदाई के समय भू–स्खलन एवं गलियों में शौचालय की कुईयों का धसना आदि मुख्य आपदायें है।

1.4 स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी– जिले में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक मुख्य हितधारकों की बडी. संख्या है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां एवं लाइन डिपार्टमेंट के जाने पहचाने हितधारक समूहों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी ऐसे हितधारक भी हैं जो आपदा और शांति दोनों स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हितधारक समूहों की सूची–

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह
1.	ग्राम पंचायत स्तर	1. सरपंच
		2. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव
		3. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
		4. ग्राम पंचायत शिक्षा कमिटी
		5. गैर सरकारी संगठन / स्वंय सहायता समूह
		6. आंगनवाडी कार्यकर्ता / आशा सहयोगिनी आदि।
		7. ग्राम पंचायत वार्ड मेम्बर

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	
2.	जिला स्तर (लाइन डिपार्टमेंट)	1. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	11. नगर निकाय
		2. श्राम संसाधन विभाग	12. जल संसाधन विभाग
		3. पंचायत राज विभाग	13. कृशि विभाग
		4. स्वास्थ्य विभाग	14. पशुपालन विभाग
		5. पुलिस विभाग	15. मत्स्य विकास विभाग
		6. डाक एवं संचार विभाग	16. बीएसएनएल
		7. ग्रामीण विकास विभाग	17. शिक्षा विभाग
		8. सामाजिक सुरक्षा विभाग	18. उर्जा विभाग
		9. सांख्यिकी विभाग	19. अग्निशमन सेवा(दमकल)
		10. परिवहन विभाग	20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
			21. उधोग विभाग
3.	अन्य हितधारक समूह	1. शैक्षणिक संस्थाएं	
		2. वास्तुकार, अभियंता, डिप्लोमा धारक और राज मिस्त्री	
		3. कारीगर शिलपकार समूह	
		4. व्याावसायिक समूह(निजी क्षैत्र के कॉरपोरेट,उद्योग,एसएमई) बाजार	

		एवं बाजार संघ
		5. भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत पेशेवर संघ
		6. स्वास्थ्य संगठन(मेडिकल संघ,केमिस्ट एवं ड्रग ऐसोशिएशन, आरभीसी एवं नर्स संगठन)
		7. इंटर एजेंसी ग्रुप
		8. स्थानीय एवं अंतरराश्ट्रीय मीडिया
		9. स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, अंतरराश्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं, रेड क्रॉस, राश्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं
		10. स्वंय सहायता समूह, महिलाएं एवं किसान संगठन,जीविका समूह
		11. ट्रांसपोर्टर(रेल, सड.क, और नाव)
		12. युवा संगठन

1.5 कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें– परिस्थितियों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में दी गई जानकारी को काम में लेते हुये इस कार्य येजना को प्रयोग में लाएंगे।

1.6 कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र–जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरणः– स्थाई व्यवस्था– जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रगंधन प्राधिकरण (**DDMA**) का गठन किया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं–

क्र.सं.	पदनाम		फोन नम्बर
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	9660292100
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	7426000244
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिष्द	सदस्य	9414421595
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य सचिव	7877706660
5	अधीक्षण अभियंता सार्व.निर्माण वि. वृत्त हनुमानगढ	सदस्य	9414847135
6	अधीक्षण अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग वृत्त हनुमानगढ	सदस्य	9414657590
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ	सदस्य	9460127340

1.7 प्लान रिव्यू तथा अपडेशन– जिला आपदा प्रबंधन प्लान को जिले परिस्थितियों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित करते हुये अपडेट किया जाऐगा।

अध्याय–2

(आपदा, भेता, क्षमता तथा जोखिम आकलन)

2.1 जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य– (परिशिश्ट 1 में देखें)

2.2 जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण–

घटित आपदाएं एवं प्रबन्धन

गुजरात के भूज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जुझना पडा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लूणकरनसर में बाढ़ तथा **रावतसर में दिनांक 12.9.07 को बादल का फटना**, पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जावें ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

2.3 विपदा एवं जोखिम की संवेदनषीलता का आंकलन

आपदायें जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरांत सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढाया है। बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। क्योंकि उनकी आर्थिक व शारीरिक कश्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवष्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सकें।

संभावित आपदाओं की पहचानः–

जलवायु संबंधित	भू–गर्भ संबंधित	रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणु विपदा	दुर्घटना संबंधित	जैविक आपदायें
बाढ़	भूकंप	रेडियो ऐक्टिव विकिरण	आग	महामारी

सूखा	भू–स्खलन	गैस रिसाव	बम विस्फोट	टिडडी दल
चक्रवात	बॉध का टूटना		सड़क,रेल दुर्घटना	जानवरों की महामारी
बादल फटना	खान में आग लगना		खान में बाढ़ आना	कीट आक्रमण
ओलावृश्टि			मुख्य भवन ढहना	
तूफान, गर्म व ठंडी हवायें, पाला, ऑधियां				

हनुमानगढ़ जिले की आपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना का एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदायें, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा आपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले के संभावित जो आपदायें चिन्हित की गई इनमें से मुख्य पॉच आपदाओं के लिए विस्तृत एवं विशिश्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंशा की गई।

जिले में विषिश्ट एवं सामान्य आपदायें

विषिश्ट आपदायें	**संभावित आपदायें**
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृश्टि
दुर्घटना (सड़क,रेल,कुॅओं का धसना, कृशि आग, नहरों का टूटना)	अतिवृश्टि
सेम विस्तार	मौसमी कीडों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
	रसायनिक, औघोगिक बम विस्फोट

विभिन्न आपदाओं को उनकी तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय के अन्तराल की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है–

अ. आकस्मिक आपदायें– इस प्रकार की आपदाओं में भूकंप, बाढ, ओलावृष्टि, अग्निकांड, दुर्घटनायें, रासायनिक दुर्घटनाये आती है। तथा उनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में मानव एवं पशुधन व मकानों आदि का नुकसान हो जाता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वहॉ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जन सहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त सहयोग की आवश्यकता होती है एवं कम समय में ही बहुत बडे पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव व सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों, आश्रय स्थलों, चिकित्सा एवं भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।

ब. धीमी गति की आपदायें–इस प्रकार की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदायें आती है जिसका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है तथा उसके लिए राहत सामग्री आदि पहुॅचाने के लिए एवं तैयारी के लिए पूर्व में काफी समय मिल जाता है। अकाल के लिए जो राहत कार्य किये जाने की आवश्यकता होती है। उसमें उतनी तत्परता एवं रेस्पोन्स की शीघ्रता नहीं होती है, जितनी की भूकम्प या बाढ़ की स्थिति में होती है। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है।

2.4 आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी–

निम्न प्राधिकरण/एजेंसीज कार्यरत है–

(अ) राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)– यह आपदा प्रबंधन के लिये एक शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री है। यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये इनके प्रवर्तन, और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिये उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी–2 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(ब)– राष्ट्रीय कार्यकारी समिति– इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव है तथा इसमे कृशि, परमाणु उर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा चीफ ऑफ द इंटीग्रेटिड डिफेंस सटॉफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी के सदस्यों के रुप में शामिल है। इसकी बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राालयों के सचिव तथा राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विशेश आमंत्रित अतिथि होंगे।

(स) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एसडीएमए)– राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह अन्य बातों के साथ–2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिये प्रावधान की सिफाारिश करेगा, और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

(द) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्यवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

(य) स्थानीय प्राधिकरण– इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने आधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

(र) जिला प्रशासन– जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

2.5 सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन) जिले की सम्भावित आपदाएं एवं उनसे बचाव हेतु कार्य योजना

बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो नदियां असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है– विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी क्रम उत्तरदायी नही है।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मोतों भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ो की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोम
- अपवाह में अवसादीकरण

- बादल का फटना
- भूकम्प

बाढ़ के बचाव हेतु कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमो से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानो पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

जलाशयो की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।

प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलो के नीचे से मिट्टी निकालना।

बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।

मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

नदी के बान्ध में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।

तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रो में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगो तक पंहुचाना।
- भू उपयोग को नियमो के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनो का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रो मे दुर्घटना में घायल या मृत लोगो का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए है तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमो को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रो के लोगो को दूसरे स्थानो पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते है। अतः इन क्षेत्रो में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रो के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानो पर वनो के लिए आरक्षित करना।

- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ सम्भावित क्षेत्रो में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिटटी के बने घरो को केवल उन क्षेत्रो में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये है। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानो का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

जिले में बाढ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

परिचय

घग्घर नदी का आगमन हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों के पास से होता है। इस नदी में मारकण्डा, कौशल्या, टांगड़ी, सरस्वती, नाडला, झांझरा, दोधगढ़वाली, ओमला इत्यादि नदियाँ मिल जाती है। यह नदी अपने प्राकृत्तिक बहाव से पंजाब के चंडीगढ़ व पटियाला एवं हरियाणा राज्य के अम्बाला सिरसा से बहती हुई ओटू वियर के माध्यम से राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ तलवाड़ा गाँव के पास होती हुई इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी. 629 घग्घर साईफन से जी.डी.सी. में बहने लगती है। यह बाढ़ का पानी राज्य सरकार के निर्धारित रेगुलेशन के अनुसार जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 24.000 व 24.500 पर बने दो एस्केप (I-6500 Cs & II-8000 Cs = 14500 Cs) के माध्यम से नाली बैड में छोड़ा जाता है।

यह बाढ़ का पानी भाखड़ा एवं इ.गा.न.प. नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र के गाँव/शहर टिब्बी, पीरकामड़िया, पन्नीवाला, फतेहपुर, शेरेकां, भद्रकाली माँ, कमरानी, मसानी, फतेहगढ़, ढ़ालिया, अमरपुरा थेड़ी, चक बुडसिंहवाला, गाडू, सतीपुरा, ज्वालासिंहवाला, हनुमानगढ़ टाऊन व जंक्शन, श्रीनगर, खुंजा, गंगागढ़, मक्कासर, सहजीपुरा, करणीसर, बहलोल नगर, डबली, पीलीबंगा, 23 एसटीजी, 5 पी.बी.एन., 29 एसटीजी, सरामसर, बारेका, रंगमहल, सूरतगढ़, मानकसर, सीलवानी, अमरपुरा जाटान, जैतसर रोड़ ब्रिज से होती हुई जी.बी. चकों (6 जी.बी. द्वितीय, 13 जी.बी., 22 जी.बी., 25 जी.बी., 27 जी.बी., 56 जी.बी. द्वितीय, 68 जी.बी. तृतीय, 69 जी.बी., 75 जी.बी., 80 जी.बी., 4 एमएसआर), श्री विजयनगर, रामसिंहपुरा, कुपली व अनूपगढ़ मण्डी से होती हुई बिंजौर (94 जी.बी.) से भारत पाक सीमा भेड़ताल तक बहता है।

जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बने हैड क्रॉस रेगुलेटर के माध्यम से सूरतगढ़ ब्रांच में (1850) सीएफ पानी मांग अनुसार छोड़ा जाता है और शेष या अधिक बाढ़ का पानी आने पर जी.डी.सी की बुर्जी संख्या 158.700 टेल के डाऊन स्ट्रीम में बने प्राकृत्तिक डिप्रेशन 1 से 18 में डाला जाता है जिसकी भराव क्षमता 604 फिट के जल स्तर पर 0.73 एमएफ है।

घग्घर नाली बैड सीमांकन दो जिलों के अन्तर्गत निम्नानुसार आता है :–

जिला हनुमानगढ़	कार्य क्षेत्र
अधिशाषी अभियंता, घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़	तलवाड़ा प्रोटेक्शन बन्ध, जी.डी.सी. बुर्जी संख्या 0 से 158.700 (टेल), एवं इस पर स्थापित विभिन्न रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर तथा उनका रेगुलेशन। उत्तर प्रोटेक्शन बन्ध, दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध तथा पंजाबी मोहल्ला बन्ध।
अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	नाली बैड एस्केप बुर्जी संख्या 24 जी.डी.सी. से चेतक प्वांईट तक उत्तर व दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध को छोड़कर।

जिला श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियंता, घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड, हनुमानगढ़	जी.डी.सी. टेल से डाउन स्ट्रीम डिप्रेशन नं. 1 से 18 तक तथा इसके बीच आने वाले समस्त 26 सैडल बन्ध, कट, नहर एवं माईनर एस्केप तथा उनका रेगुलेशन।
अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर	जैतसर चेतक प्वाईट से पाकिस्तान बार्डर तक। नाली बैड व इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ एवं जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर के अधिकारी व कर्मचारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार यह ध्यान रखते है कि घग्घर बाढ़ का पानी बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहे।

ब– जिले की विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा तथा घग्घर नदी से बाढ प्रभावित ग्रामों/बस्तियों का विवरण

1. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम ऐसे है, जहां वर्षा होनें पर नुकसान की सम्भावना रहती हैं –

(1)–डबली राठान, डबली कुतुब, सहजीपुरा, फतेहगढ़, रणजीतपुरा, मक्कासर, अमरपुराथेड़ी चक ज्वालासिंहवाला, पक्का सारणा, जण्डावाली, रामसरानारायण, किशनपुरा दिखनादा, 22 एन डी आर मटोरियावाली ढाणी, मुण्डा, बहलोलनगर।

(2)–ग्राम पंचायत डबली मौलवी व डबली कुतुब में भूमिगत बोंरिंग व्यवस्था की गयी हैं।

2 शहरी क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

(ए) बरकत कॉलोनी, वार्ड संख्या 33 हनुमानगढ़ टाउन
(बी) मुखर्जी कॉलोनी, वार्ड संख्या 30 हनुमानगढ़ टाउन
(सी) अम्बेडकर कॉलोनी, वार्ड संख्या 14 हनुमानगढ़ टाउन
(डी) लोहिया कॉलोनी, वार्ड संख्या 15 हनुमानगढ़ टाउन
(इ) भट्टा बस्ती, वार्ड संख्या 07–08 हनुमानगढ़ जंक्शन
(एफ) सुरेशिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 01–04 हनुमानगढ़ जंक्शन
(जी) वेयर हाउस के पीछे की बस्ती, वार्ड संख्या 01, हनुमानगढ़ जंक्शन

3 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र –

पटवार मण्डल	नाली क्षेत्र के चक	आबादी के चक	मकानों की संख्या	अनुमानित आबादी
दुलमाना	22–23–24 एसटीजी	22 एसटीजी	100	500
पीलीबंगा गांव	25–26 एसटीजी	25 एसटीजी 26 एसटीजी	11	590

अमरपुरा राठान	29–32 एसटीजी 1 बीआरपी 2 बीआरपी	32 एसटीजी 29 एसटीजी 1 बीआरपी सरामसर 2 बीआरपी भाखड़ा	90 200	510 1060
निहालपुरा	28 एसटीजी	28 एसटीजी	3 ढाणियां	18
रामपुरा	रामपुरा रंगमहल 36 एसटीजी बी	36 एसटीजी बी	700	3500

4 शहरी क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

अतिवृश्टि के दौरान् पालिका क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में जगह नीची होनें के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा होता हैं –

(I) वार्ड नं. 3 में सांसी मोहल्ला व इसके आसपास का क्षेत्र।

(II) वा. नं. 11 में जलदाय विभाग कार्यालय के आसपास का क्षेत्र, जिन्दल फैक्ट्री के पीछे का ऐरिया

(III) वार्ड नं. 17 में गिनाणी के आस–पास का क्षेत्र व जोहड. पायतान।

(IV) वार्ड नं. 22 एवं 23 में जोहड. व खडडा।

5 शहरी क्षेत्र, तहसील संगरिया

नगरपालिका संगरिया क्षेत्र में थोड़ी बून्दा–बून्दी होनें से गुरूनानक बस्ती वार्ड 2,04,07,22, 23 व 25 में पानी भर जाता है।

6 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील टिब्बी

घग्घर नदी में अधिक पानी आने से टिब्बी तहसील दो भागों में बंट जाती है, प्रभावित ग्राम पन्नीवाली, पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, चन्दूरवाली, सुरेवाला, का सम्पर्क तहसील मुख्यालय से टूट जाता है। इन गावों का हनुमानगढ़ से चूना फाटक होकर एनजीसी नहर के सहारे स्थित रोड़ से पहुंचकर सहयोग किया जा सकता है।

गांव तलवाड़ा, टिब्बी, राठीखेड़ा, रताखेड़ा, ढाणी तारासिंह वाली तक टिब्बी से सम्पर्क रहता है तथा अधिक पानी आने पर टिब्बी से सम्पर्क कटने की स्थिति में हनुमानगढ़ से रेलवे मार्ग तथा रावतसर, चाईयां होकर सड़क मार्ग से सम्पर्क हो सकता है।

7 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील रावतसर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम राजस्व ग्राम
1.	भाखरांवाला	भाखरांवाला
2.	कनवानी	कनवानी
3.	सरदारपुरा खालसा	सरदारपुरा खालसा
4.	25 आरडब्ल्यूडी	प्रेमनगर, 25 आरडब्ल्यूडी, नेहरांवाली ढाणी

8 शहरी क्षेत्र, तहसील रावतसर

रावतसर शहर में पानी बहाव का क्षेत्र, वार्ड नं. 02,03,04,05,06,07,08,17,18 एवं बस स्टैंड के आस–पास वार्ड न0 19व 20 में पानी एकत्रित होता है।

9 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील नोहर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	प्रभावित गांव
1.	सिरंगसर	नोहर	सिरंगसर
2.	परलीका	नोहर	परलीका
3.	पाण्डुसर	नोहर	पाण्डुसर एवं जोजासर उगाड़
4.	भूकरका	नोहर	हरीजन मोहल्ला भूकरका
5.	मंदरपुरा	नोहर	मंदरपुरा के उगाड़ चौगान
6.	पिचकराई	नोहर	16–17 केएनएन
7.	दीपलाना	नोहर	दीपलाना

10 शहरी क्षेत्र, तहसील नोहर

नगरपालिका नोहर क्षेत्र में अतिवृश्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान
1.	वार्ड सख्यां 20 महावीर पार्क के पीछे साईट
2.	वार्ड सख्यां 16 गुरूद्वारें के पीछे साईट
3.	वार्ड सख्यां 28 सोभाना जोहड़ के पास की साईट
4.	वार्ड सख्यां 18 में मजिस्द के पास साईट

11 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील भादरा

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम/चक	स्थान व कारण
1.	मुन्शरी	गांव के बीच में जोहड़ में बरसात होनें पर पानी भर जाता है। घरों का गंदा पानी इसी जोहड़ में आता है।
2.	झांसल	झांसल ग्राम में जोहड़ ग्राम के बीच में होनें पर बरसात से भर जाता है, जिससे पानी घरों में व गलीयों पर फैल जाता है।
3.	निनाण	ग्राम की सड़क से उत्तर व गांव की पूर्व दिशा में निचली बस्ती में व गलियों में पानी भर जाता है व घरों में घुस जाता है।
4.	मलखेड़ा	ग्राम की दक्षिणी दिशा में जोहड़ के पास आबादी बसी होनें के कारण पानी गलियों व घरों में भर जाता है।
5.	नेठराना	नेठराना ग्राम में ग्राम में बरसात हल्की बरसात होनें पर भी गांव के बीच में नीचा क्षेत्र होनें से पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है व नजदीक के घरों में घुस जाता है।
6.	शेरड़ा	ग्राम की निचली बस्ती बरसात होनें पर गलियों व घरों में पानी भर जाता है।

7.	भिरानी	भिरानी गांव में जोहड़ गांव के बीच में होनें पर बरसात होनें पर घरों व गलियों में पानी भर जाता है।
8	रामबास	रामबास ग्राम में बरसात बरसात होनें पर जोहड़ व गलियों में पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है।
9	छानीबडी	छानीबड़ी के वार्ड 10 व 11 में पक्की सड़क से उत्तर दिशा में वर्षा का पानी गलियों मे भर जाता है।

12 शहरी क्षेत्र, तहसील भादरा

नगरपालिका भादरा के क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले संभावित वार्डो की सूची निम्न प्रकार हैं –

1. **वार्ड नं. 19 डूमसागर मौची मोहल्ला –** इस वार्ड में गंदे पानी का लम्बा चौड़ा जोहड़ा हैं, जिसे डूम सागर कहते है। जहां शहर का करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र का गंदा एवं बरसाती पानी आता है। यहां पर पालिका द्वारा मड पम्प लगाए गए जिससे गंदा पानी पाईप लाईन के जरिये शहर से 2 कि.मी. दूर नगरपालिका की खाली भूमि में डाला जाता है। बरसात के समय जोहड़ ओवल फ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं डूम सागर में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

2. **वार्ड नं. 5 में गन्दे पानी के खड्डे –** शहर का 30 प्रतिशत गंदा व बरसाती पानी इस खडडे में इकटठा होता हैं एवं खड़ा ओवर फ्लों होनें पर पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है। आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहते है।

3. **वार्ड नं. 11 धानका मौहल्ला –** वार्ड नं. 11 का कुछ भाग जो समाध भवन की तरफ है, नीचा होनें से बरसात का पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है।

4. **वार्ड नं. 9 कल्याण भूमि के पास गंदे पानी का जोहड़ एवं नाथवाना जोहड़ –**

वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 का सम्पूर्ण बरसाती पानी एवं गंदा पानी कल्याण भूमि के पास स्थित जोहड़ में भरता है। ऑवर फ्लो होकर पानी गलियों, सड़कों एवं घरों में घुस जाता है।

5. **राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाईन तक –**

रेलवे लाईन के नीचे से पाईप कलर्ट छोटा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है एवं पानी सड़क पर गलियों में एवं दुकानों में घुस जाता है एवं सामान्य जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

बाढ के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य

<u>बाढ़ नियंत्रण कक्ष :–</u> बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान करने बाबत बाढ़ समय 15 जून से 15 अक्टूबर तक जिला हनुमानगढ़ में निम्न जगह पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है :–

(I) बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... की अनुपालना में चालू वर्ष 2023 के बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण कक्ष (कार्यालय अधिशाषी अभियंता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़)

में स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष 01552–260079 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित कर्मचारीगण घग्घर नदी के पानी की गेजो की सूचनाओं का आदान–प्रदान करेगें। यह कक्ष 24 घण्टे मानसून अवधि (15.06.2023 से 15.10. 2023) के दौरान स्थापित रहता है।

सिंचाई विभाग

सुरक्षित स्थानो का चयन

सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन

वाहनो की उपलब्धता निश्चित करना

सिंचाई विभाग बांधो के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।

अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।

नावों तथा तैराकों का प्रबन्ध करना।

बाढ के दौरान बचाव कार्य योजना

आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ का कार्यक्षेत्र दो जिलों के अन्तर्गत आता है एवं इसका प्रशासनिक नियन्त्रण श्रीमान् अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ के अधीन है

जिला हनुमानगढ़ :–

इस खण्ड कार्यालय की देखरेख में घग्घर नदी के बाढ़ का पानी जी.डी.सी. आर.डी. 24 से घग्घर नाली बेड में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेगुलेशन प्रोग्राम के अनुसार छोड़ा जाता है। घग्घर नाली बैड के बहाव क्षेत्र की मुख्य धार के दोनों और स्थित आबादियों के बचाव के लिए निजी बन्धे बने हुए है। जिनका रख–रखाव आबादियों में रहने वाले लोग स्वयं एवं जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर करते है। जल संसाधन विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग एवं आपातकाल स्थिति में खाली सीमेन्ट के थैले उपलब्ध करवाये जाते है। यह थैले आवश्यकता पड़ने में तहसीलदार की मांग पर उपलब्ध करवाये जायेंगें। संवेदनशील बिन्दू एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची संलग्न है

संवेदनशील बिन्दु एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची निम्न प्रकार है–

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	अधिशाशी अभियंता, जल संसाधन द्वितीय खण्ड हनुमानगढ़	
1.	पीरकामड़िया	पीरकामड़िया
2.	पन्नीवाला	पन्नीवाला

3.	शेरेकां	शेरेकां
4.	कमरानी	शेरेकां
5.	फतेहपुर	फतेहपुर
6.	ढ़ालिया	सतीपुरा
7.	अमरपुरा	अमरपुरा थेड़ी
8.	चक बुड़सिंहवाला	सतीपुरा
9.	गाडू	चक ज्वालासिंहवाला
10.	सतीपुरा	सतीपुरा
11.	ज्वालासिंहवाला	चक ज्वालासिंहवाला
12.	हनुमानगढ़ जंक्शन एवं टाउन	हनुमानगढ़
13.	गंगागढ़	गंगागढ़
14.	श्रीनगर	श्रीनगर
15.	खुन्जा	खुन्जा
16.	सहजीपुरा	सहजीपुरा
17.	करणीसर	सहजीपुरा
18.	बहलोल नगर	बहलोल नगर
19.	23 एस.टी.जी.	दुलमाना
20.	26 एस.टी.जी.	गांव पीलीबंगा
21.	29 एस.टी.जी.	अमरपुरा राठान
22.	सरामसर	अमरपुरा राठान
23.	5 पीबीएन	अमरपुरा राठान
24.	34 एस.टी.जी.–ए	गांव पीलीबंगा
	जिला श्रीगंगानगर	
25.	43 एस.टी.जी. – ए (बारेंका)	रंगमहल
26.	43 एस.टी.जी. – बी (रंगमहल)	रंगमहल, सूरतगढ़
27.	35 पीबीएन (केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़)	सूरतगढ़
28.	सूरतगढ़	सूरतगढ़
29.	मानकसर	मानकसर
30.	36 पीबीएन (अमरपुरा राठान)	अमरपुरा राठान
31.	सीलवानी	सीलवानी
32.	लुढ़ाणा एवं सरदारगढ़	सरदारगढ़

1). घग्घर नाली बैड का बहाव क्षेत्र संवेदनशील बिन्दू जहाँ से 3 बीघा से चौड़ाई कम है। उस जगह पर सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा अवैध बन्धे बनाकर नाली के मुख्यधार के बहाव को संकड़ा कर रखा है। बाढ़ का पानी अधिक आने पर ऐसे समस्त अवरोधों को हटवाया जाना है। अवरोधों के हटते ही काश्तकारों द्वारा नाली अधिघोषित क्षेत्र की सीमा में सुरक्षा हेतु बन्धे न बनाने की स्थिति में गाँव/आबादी/शहर व फसल आदि प्रभावित हो सकते है। जिसकी सूची सलंग्न है

संवेदनशील बिन्दु नाली बैड में जहां चौड़ाई 3 बीघा से कम है

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	हनुमानगढ़ जिला	
1.	21 NGC	पीरकामड़िया
2.	25 NGC	पीरकामड़िया
3.	4 HMH	पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, फतेहपुर, अमरपुरा

4.	6 HMH	अमरपुरा
5.	8 HMH	भद्रकाली, अमरपुरा, ढ़ालिया
6.	46 NGC	बुड़सिंहवाला, गाडू
7.	47 NGC	ज्वालासिंहवाला, सतीपुरा, हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
8.	3-4 KNJ	हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
9.	3-4 KNJ & 3-5 KNJ	श्रीनगर, खुंजा, हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
10.	6 & 4 SNM	श्रीनगर, गंगागढ़
11.	11 STG, 23 HMH	गंगागढ़, पुरूषोतमवाला बास
12.	23 HMH	पुरूषोतमवाला बास
13.	12 STG	पुरूषोतमवाला बास, श्रीनगर, गंगागढ़
14.	13 STG	करनीसर, सहजीपुरा
15.	15 STG 'A'	करनीसर, सहजीपुरा
16.	15 STG 'B'	करनीसर, सहजीपुरा
17.	16 STG	करनीसर, सहजीपुरा, चक जहाना, बहलोल नगर
18.	19 STG	बहलोल नगर, मसरूवाला
19.	22 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
20.	23 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
21.	26 STG	आबादी चक 25–26 एस.टी.जी.
22.	29 STG	आबादी चक 29 एस.टी.जी.
23.	34 STG	————
	<u>जिला श्रीगंगानगर</u>	
24.	43 STG 'A'	बारेंका, सूरतगढ़
25.	43 STG 'B'	रंगमहल, सूरतगढ़
26.	45 STG	————
27.	35 PBN	केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़
28.	36 PBN	अमरपुरा राठान
29.	41 PBN	सीलवानी

II}- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में नाली बहाव क्षेत्र को 6 बीघा चौड़ाई में अधिघोषित किया हुआ है। इस 6 बीघा चौड़ाई अधिघोषित बहाव क्षेत्र में संशोधन/बदलाव हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 बीघा चौड़ाई में करने की सशर्त अनुमति अध्याधीन प्रदान की गई है। जिस पर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है जो प्रक्रियाधीन है।

2). I}- मानसून अवधि में घग्घर नदी में बाढ़ का पानी आने पर बाढ़ बचाव कार्यों हेतु सरकारी तलवाड़ा सुरक्षा बांध आरडी 0 से 18.100 एवं हनुमानगढ़ जं. के उत्तरी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 18.000 एवं दक्षिणी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 3.850 एवं जी.डी.सी. की आर.डी. 0 से 75.000 तक रख–रखाव एवं वाचिंग एवं मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

3). II}- जीडीसी आरडी 75.000 से 158.700 टेल डिप्रेशन नं. 1 से 5 एवं सैडल नं. 1 से 4 तक एवं मानक थेड़ी माईनर बुर्जी संख्या 0 से 18.500 तक रख–रखाव एवं वाचिंग एवं

मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है

जिला श्रीगंगानगर

III}- घग्घर डिप्रेशन नं. 6 ।एठएब्एक व 7 से 11 तथा 16 से 18 एवं सैडल एस–6, 7, 7ए, 8, एस–8, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12, एस–13, 14, 14ए, 15 से 18 तथा 20 तथा किशनपुरा माईनर आर.डी. 0 से 15.000 एवं एस्केप चैनल आर.डी. 0 से 1.420 एवं पी.बी. एन. करणी जी लिंक चैनल आर.डी. 0 से 2.500 और 24 से 97.700 टेल तक रखरखाव एवं वाचिंग, मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंको पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III सूरतगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष :– <u>बाढ़ नियंत्रण कक्ष :–</u> बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान करने बाबत बाढ़ समय 15 जून से 15 अक्टूबर तक जिला हनुमानगढ़ में निम्न जगह पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है :–

(II) बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... की अनुपालना में चालू वर्ष 2023 के बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण कक्ष (कार्यालय अधिशाषी अभियंता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़) में स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष 01552–260079 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित कर्मचारीगण घग्घर नदी के पानी की गेजो की सूचनाओं का आदान–प्रदान करेगें। यह कक्ष 24 घण्टे मानसून अवधि (15.06.2023 से 15.10.2023) के दौरान स्थापित रहता है।

(II) जिला श्रीगंगानगर

अधिशाशी अभियंता, जल ंससाधन खण्ड सूरतगढ़ द्वारा सूरतगढ़ में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सूरतगढ़ द्वारा लगाई जाती है। जिसका दूरभाष नं. 01509–220103 है।

इन कक्षों में आठ–आठ घण्टों की तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी बाढ़ समय दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक आगामी आदेशों तक लगायी जाती है। ये कक्ष 24 घण्टे कार्यरत रहते है।

4). वायरलैस स्टेशन :– बाढ़ की अवधि के समय बने रेगुलेशनों से गेजे प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर वायरलैस सैट बाढ़ अवधि 15 जून से स्थापित किये जाते है जो कि बाढ़ अवधि तक स्थापित रहते है।

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़ के अधीन)

(III) कैनाल कॉलोनी, ओटू वियर (सिरसा)

(IV) जी.डी.सी. आरडी 0 (आई.जी.एफ. घग्घर साईफन आरडी 629)

(V) जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (नाली बैड का उद्‌गम स्थल)

(VI) जी.डी.सी. आरडी 42 (क्रॉस रेगुलेटर)

(VII) बाढ़ नियंत्रण कक्ष हनुमानगढ़ (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ कार्यालय में)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II, हनुमानगढ़ के अधीन)

(VIII) जी.डी.सी. आर.डी. 133.400 (हैड क्रॉस रेगुलेटर एवं सूरतगढ़ ब्रांच)

(IX) जी.डी.सी. आर.डी. 158.700 टेल (क्रॉस रेगुलेटर)

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड तृतीय, सूरतगढ़ के अधीन)

(X) बाढ़ नियन्त्रण कक्ष, सूरतगढ़

5). गेज रीडिंग :– घग्घर नदी में आने वाले बाढ़ के पानी की मात्रा की जानकारी निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त की जाती है।

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़)

(I) खनौरी साईफन

(II) चांदपुर साईफन

(III) ओटू वीयर

(IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 0 (इ.गा. फीडर की बुर्जी संख्या 629 घग्घर साईफन)

(V) जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (नाली बैड का उद्‌गम स्थल)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II, हनुमानगढ़)

(VI) जी.डी.सी. आरडी 42 क्रास रेगुलेटर

(VII) जी.डी.सी. आरडी 133.400 (क्रास रेगुलेटर एवं हैड रेगुलेटर सूरतगढ़ शाखा)

(VIII) जी.डी.सी. आरडी 158.700 क्रास रेगुलेटर

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

(IX) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से हनुमानगढ़)

(X) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15)

(XI) एस्केप एस–8ए (घग्घर डिप्रेशन 6ए)

(XII) कट नं. 15 (राष्ट्रीय सड़क मार्ग – 15)

6). बाढ़ बचाव हेतु उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में :– बाढ़ के बचाव हेतु सामग्री की व्यवस्था निम्नलिखित बने स्टोरों पर की जाती है जो कि इन स्टोरों पर उपलब्ध रहती है। बाढ़ सामग्री की सूची सलंग्न है (परिशिश्ट – 3)

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़ के अधीन)

(I) हनुमानगढ़ संगम दो स्टोर, हनुमानगढ़ टाउन।

(ग) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

(I) जी.एफ.सी. कॉलोनी, सूरतगढ़।

7). कार्यरत अभियांत्रिक स्टाफ :– इस खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत फिल्ड स्टाफ कार्य क्षेत्र के अनुसार बाढ़ अवधिके समय कार्यरत रहते है। सूची सलंग्न है (परिशिष्ट –4)

घग्घर बाढ़ की अक्स्मात् स्थिति से निपटने हेतु सामाजिक सहायतार्थ समाजसेवी संस्थाओं, प्रशासकीय कार्यालयों एवं घग्घर बाढ़ नियंत्रण खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के दूरभाष नं. सहित सूची सलंग्न है

वर्षा 2023 के बाढ़ बचाव हेतु आवश्यक सामग्री की मांग एवं उपलब्धता एवं बकाया जरूरत की सूची

क्रं. सं.	नाम सामग्री	सामग्री की आवश्यकता (अनुमानित गत वर्षों के अनुभव के आधार पर)	वर्तमान में उपलब्धता	बकाया सामग्री की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	सीमेन्ट बैग (खाली)	150000 Nos.	18000	132000
2.	बांस	500 Nos.	..	500
3.	बत्ता	500 Nos.	..	500
4.	बल्लियां	1000 Nos.		1000
5.	नारियल रस्सी	250 Kg.		250
6.	सूतली	250 Kg.		250
7.	पॉलीथीन	300 Kg.		300
8.	टार्च	50 Nos.		50
9.	टार्च सैल	1000 Nos.		1000
10.	पैट्रोमैक्स	25 Nos.		25
11.	छोलदारी	10 Nos.		10
12.	तिरपाल	20 Nos.		20
13.	वायरलैस सैट	9 Nos.	9	..
14.	वायरलैस बैट्री	16 Nos.	12	4
15.	ट्रक	1 Nos.	1 (आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ के पास)	..
16.	डोजर/जेसीबी	2 Nos.	..	2
17.	जीप	4 Nos.	2	2

8–कार्यरत अभियांत्रिक स्टॉफ :– फील्ड स्टॉफ के कार्य क्षेत्र के अनुसार सूची निम्न प्रकार है जो कि बाढ़ अवधि के समय कार्यरत रहेंगे।

जिला हनुमानगढ : रेगुलेशान खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के अन्तर्गत अभियांत्रिक स्टॉफ के कार्यक्षेत्र अनुसार विवरण

क्रं. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण

1.	श्री कंवरपाल सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़ मो. 9680210357	सहायक अभियंता	1. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. गेज स्टेशन I. कैनाल कॉलोनी ओटू वियर (सिरसा) II. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 (घग्घर साईफन, इन्दिरा गांधी फीडर आरडी 629) III. जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (घग्घर नाली बैड का उद्‌गम स्थल) IV. जी.डी.सी. आरडी 42.370 (क्रॉस रेगुलेटर) V. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड हनुमानगढ़ 3. तलवाड़ा सुरक्षा बांध आरडी 0 से 18.100, उत्तरी सुरक्षा बांध 0.000 से 18.000, दक्षिण सुरक्षा बांध आरडी 0.000 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आरडी 0 से 3.850 4. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड स्टोर हनुमानगढ़ जं.।
I.	श्री राजेश मो.:–7597556609	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 0.000 से 20.000 एवं तलवाड़ा सुरक्षा बंध बुर्जी सं. 0 से 18.100 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	श्री हरविन्दर सिंह मो.:–7976451932	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 20.000 से 42.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	श्री राजेश मो.:–7597556609 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 42.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
IV.	श्रीमती विनोद कुमारी मो.:–9783328293	कनिष्ठ अभियंता	एन.पी., एस.पी. व पीएमबी बंधे एवं आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड स्टोर, हनुमानगढ़ जं.।

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
2.	सुश्री दीक्षा शाक्य सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ मो. 7536021511 (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक अभियंता	1. जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 158.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. घग्घर डिप्रेशन 1 से 5 एवं सैडल (बांध) एस–1 से एस–4 3. वायरलैस स्टेशन I. जी.डी.सी. आरडी 133.400 (हैड क्रॉस रेगुलेटर) II. जी.डी.सी. आरडी 158.700 टेल (क्रॉस रेगुलेटर)
I.	श्री अभिनन्दन मो. 6350552349	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 98.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	श्रीमती ज्योति मो. 8930985264	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 98.000 से 120.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	श्री अभिनन्दन मो. 6350552349 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 120.000 से 142.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर

IV.	श्री विनोद कुमार मो 9772512290	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 142.000 से 158.700 व एस–1 से एस–5 एवं समस्त स्ट्रक्चर

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
3.	श्रीमतीसीमा सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस. आर.पी. उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ मो. 8949479461	सहायक अभियंता	1. घग्घर डिप्रेशन 6 ए से 18 एवं सैडल (बांध) एस–6 से एस–20 एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. मानकथेड़ी माईनर आरडी 0 से 18.500 एवं समस्त स्ट्रक्चर 3. किशनपुरा माईनर आरडी 0 से 15 एवं समस्त स्ट्रक्चर 4. एस्केप चैनल आरडी 0 से 1.420 एवं समस्त स्ट्रक्चर 5. पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आरडी 0 से 2.500 एवं 24 से 97.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर 6. कट 15 क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केप एस–8ए 7. वायरलैस स्टेशन, बाढ़ नियंत्रण कक्ष आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ 8. जीएफसी स्टोर सूरतगढ / एस्केप एस–8 ए एवं पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आर.डी. 24 एवं 35.900 9. I. गेज प्वाईंट सूरतगढ़ से हनुमानगढ रेलवे पुल II. गेज प्वाईंट सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड़ पुल
I	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–6, 7, 7ए, 8, डिप्रेशनस – 6बी, 6सी, 6डी, 7 कट 4, 4ए, 4 बी, 5, 6, 7, मानकथेड़ी माईनर एवं हैड रेगुलेटर, फार्म माईनर एवं हैड रेगुलेटर, सैडल्स एस–8ए, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12
II.	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769	कनिष्ठ अभियंता	डिप्रेशनस 6ए, 8, 9, 10 व 11, कट 8, 9, 10, 11, न्यू कट 8 से 6ए, एस्केप एस–8ए, एस्केप हैड रेगुलेटर, चैनल किशनपुरा माईनर व हैड रेगुलेटर
III	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–13, 14, 14ए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डिप्रेशनस 7, 8, 9, 10, कट 12, 13, 14, 14ए, 15, 15ए वायरलैस स्टेशन, सूरतगढ़, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर सूरतगढ़, आर एण्ड एम ऑफ उपखण्ड वाहन, क्रास रेगुलेटर कट नं. 15
IV	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–19, 19ए, 21 से 26 डिप्रेशनस 16, 17, 18 कट 16 व 17, पीबीएन करणजी लिंक चैनल आरडी 0 से टेल, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर एट आरडी 24 व आरडी 35.900 ऑफ लिंक चैनल, गेज प्वाईंट सूरतगढ़–हनुमानगढ़ ब्रिज, सूरतगढ़–श्रीगंगानगर ब्रिज, हैड रेगुलेटर ऑफ लिंक चैनल टेकिंग डिप्रेशन नं. 16

नोट :– उपलब्ध कार्यप्रभारी कर्मचारियों की ड्यूटी सम्बन्धित सहायक अभियंता लगाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

8). <u>बाढ़ समय से पूर्व करवाये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में :–</u>

(बाढ़ अवधि समय 15 जून से 15 अक्टूबर एवं नॉन फ्लड का समय 16 अक्टूबर से 14 जून तक माना जाता है।

(I) बाढ़ बचाव हेतु सुरक्षा बांध एवं नहरों इत्यादि के रख रखाव व निगरानी बाबत लेबर आदि के कार्य निविदा आमंत्रित कर करवाये जाते है।

(II) जी.डी.सी. व नहरों आदि के हैड रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केपों के गेटों आदि की आईलिंग ग्रीसिंग का कार्य बाढ़ अवधि से पूर्व करवा लिया जाता है।

(III) निर्धारित स्थानों पर वायरलैस सेटों को 15 जून को स्थापित कर दिये जाते है।

(IV) आवश्यकतानुसार खाली सीमेन्ट के थैलों की व्यवस्था बाढ़ से पूर्व कर ली जाती है।

(V) फ्लड मेमोरण्डम के निर्देशानुसार घग्घर नाली बैड एवं जी.डी.सी. बाढ़ सम्बन्धी स्ट्रक्चरों जैसे वी.आर.बी., डी.आर.बी., हैड रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केप एवं घग्घर साईफन पर बाढ़ सम्बन्धी पानी की सूचना हेतु 3 आवश्यक चिन्ह निम्नानुसार दर्शाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को दिशानिर्देश जारी कर दिये जाते है।

	आईटम	**इण्डीकेशन**	
1.	सफेद सिग्नल	सावधान।	*(Alert)*
2.	नीला सिग्नल	तैयारी के लिए।	*(Ready for execution)*
3-	लाल सिग्नल	तुरन्त कार्यवाही।	*(Immediate execution)*

(VI) इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ फील्ड स्टॉफ के सभी सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं/मैट/गेज रीडर/बैलदार/सुपरवाईजर को अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने एवं फिल्ड डयूटियों पर रहने व चौकसी बरतने हेतु पाबन्द करने के दिशा–निर्देश बाढ़ से पूर्व जारी कर दिये जाते है तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्टाफ की भी व्यवस्था की जाती है।

(VII) सुरक्षा बांध एवं जी.डी.सी. व अन्य नहरें इत्यादि की सुरक्षा हेतु खाली सीमेन्ट के थैले मिट्टी से भरकर रखने के आदेश बाढ़ से पूर्व जारी कर दिये जाते है।

(VIII) बाढ़ बचाव हेतु आपात स्थिति (आपदा प्रबन्धन) के लिए आवश्यक बाढ़ सामग्री आवश्यकतानुसार बाढ़ से पूर्व क्रय कर ली जाती है।

(IX) बाढ़ से पूर्व बाढ़ कार्यालय द्वारा निकाली जाने वाली विज्ञप्ति की कार्यवाही बाढ़ से पूर्व कर दी जाती है।

(X) घग्घर बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह कभी भी आ सकती है। बाढ़ के सम्भावित पानी के मध्यनजर जान–माल की हानि से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना वर्ष 1964 से शुरू की गयी। गत वर्षों में आये बाढ़ के अधिकतम पानी की सूची वर्षवार सलंग्न है। (परिशिष्ट – 6)

(XI) घग्घर बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत घग्घर नदी ओटू वियर से भारत पाक सीमा तक का इन्डेक्स प्लान (नक्शा) सलंग्न है। (परिशिष्ट – 7)

घग्घर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के अन्तर्गत बने स्ट्रेक्चरों की सूची

जिला हनुमानगढ़

(i) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम, हनुमानगढ़)

1. खनौरी साईफन
2. चांदपुर साईफन

3. ओटू वीयर
4. जी.डी.सी. की आर.डी. 0.000 (इ.गा. फीडर की बुर्जी संख्या 629 घग्घर साईफन)
5. जी.डी.सी. आरडी 24.000 एस्केप (नाली बैड का उद्‌गम स्थल)
6. जी.डी.सी. आरडी 42.370 (क्रॉस रेगुलेटर)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़)

7. जी.डी.सी. आरडी 133.400 (क्रॉस रेगुलेटर एवं हैड रेगुलेटर सूरतगढ़ शाखा)
8. जी.डी.सी. आरडी 158.700 (क्रॉस रेगुलेटर)

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड तृतीय, सूरतगढ़ के अधीन)

9. सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से हनुमानगढ़)
10. सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15)
11. एस्केप एस–8ए (घग्घर डिप्रेशन 6ए)
12. कट नं. 15 (राष्ट्रीय सड़क मार्ग–15)

घग्घर बाढ़ के पानी का उपयोग निम्नानुसार होता है :–

1. जी.डी.सी. के दोनों तरफ में 129 मोघों के माध्यम से भाखड़ा व इ.गा.न.प. प्रणाली के सिंचित क्षेत्र को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
2. जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बने हैड क्रास रेगुलेटर के माध्यम से इ.गा.न.प. प्रणाली की सूरतगढ़ ब्रांच को अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
3. वर्ष 2008 में टी.एफ.सी. के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर जी.डी.सी. को क्रॉस करने वाली भाखड़ा व इ.गा.न.प. प्रणाली की नहरों को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) करने के लिए इन नहरों के हैड रेगुलेटरों का निर्माण करवाया गया है:–
   - (I) जी.डी.सी. की आर.डी. 42.370 R/S पर साऊथ घग्घर सब ब्रांच का हैड रेगुलेटर
   - (II) जी.डी.सी. की आर.डी. 68.800 R/S पर किशनपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर
   - (III) जी.डी.सी. की आर.डी. 80.298 R/S पर मुण्डा माईनर का हैड रेगुलेटर
   - (IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 104.045 R/S पर नौरंगदेसर डिस्ट्रीब्यूटरी का हैड रेगुलेटर
   - (V) जी.डी.सी. की आर.डी. 135.148 R/S पर हाईलेवल माईनर का हैड रेगुलेटर
   - (VI) जी.डी.सी. की आर.डी. 141.580 R/S पर जोरावरपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर
4. घग्घर डिप्रेशन नहरें :–
   - (I) डिप्रेशन नं. 6–बी के सैडल्स 7 से मानकथेड़ी माईनर
   - (II) डिप्रेशन नं. 11–बी के सैडल्स 10 से किशनपुरा माईनर
   - (III) डिप्रेशन नं. 16 से पी.बी.एन. करणीजी लिंक चैनल

(IV) डिप्रेशन नं. 6–बी के सैडल्स 8 से फार्म माईनर (केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, जैतसर)

GHAGGAR RIVER ANNUAL MAXIMUM DISCHARGE AT OTTU WEAR, GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S) AND ESCAPE AT RD 24 OF G.D.C. (IN NALI BED)

YEAR	OTTO WEAR (D/s)	GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S)	ESCAPE AT RD 24 OF G.D.C. (IN NALI BED)
1964	21456	15080	N.A.
1965	1620	N.A.	N.A.
1966	15589	N.A.	N.A.
1967	15437	5668	N.A.
1968	18188	N.A.	N.A.
1969	9758	12300	N.A.
1970	7497	11688	N.A.
1971	13800	17808	N.A.
1972	11534	8543	N.A.
1973	11560	10944	N.A.
1974	4046	5360	N.A.
1975	12255	11952	N.A.
1976	20816	22400	8000
1977	9999	8000	5053
1978	24401	22816	12013
1979	6902	656	3520
1980	19540	17822	6096
1981	8330	8000	5000
1982	8330	8580	7000
1983	24588	17350	5533
1984	5766	4950	3971
1985	9563	7800	7459
1986	4760	4740	4541

1987	1290	1426	1368
1988	34805	32000	17330
1989	10472	8280	6234
1990	13802	12576	6000
1991	1440	1360	N.A.
1992	6450	6450	6060
1993	40763	31742	17888
1994	30268	19555	7000
1995	40313	33132	17050
1996	8815	8576	6000
1997	8568	7592	6000
1998	13410	10410	6000
1999	6664	6196	4199
2000	19543	13759	5000
2001	9520	7798	5000
2002	5500	5060	3800
2003	6200	5366	3900
2004	20700	13013	5000
2005	7500	5009	3000
2006	2950	2900	3000
2007	5550	4402	3000
2008	8800	812	4500
2009	8250	7344	4000
2010	24000	13050	5000
2011	4550	4500	3000
2012	3350	3200	3000
2013	6200	6400	4000

2014	2050	1850	1800
2015	8850	6700	4000
2016	850	3000	3000
2017	3060	2800	2400
2018	16500	10300	4700
2019	26950	10100	5000
2020	7100	5150	3000
2021	30000	10950	5000
2022	13950	9800	5000

6. वर्षा ऋतु में घग्घर नदी में बाढ़ के पानी को घग्घर नाली बैड एवं घग्घर डाइवर्सन नहर के बीच निम्नानुसार करने की राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है।

क्रं. सं.	नहर/नदी का नाम	पानी की मात्रा (क्यूसेक्स में)
1.	नाली बैड	3000
2.	जी.डी.सी.	सूरतगढ़ ब्रांच की आवश्यकतानुसार सूरतगढ़ ब्रांच व जी.डी.सी. की लिंक पैनल की आर.डी. 133 पर सूरतगढ़ ब्रांच को पानी देने के लिए लिंक बना हुआ है।
3.	नाली बैड	4000
4.	जी.डी.सी.	3500
5.	नाली बैड	5000
6.	जी.डी.सी.	10000
7.	नाली बैड	6000
8.	जी.डी.सी.	12000
9.	नाली बैड	7000
10.	जी.डी.सी.	13000
11.	नाली बैड	8000
12.	जी.डी.सी.	14000
13.	नाली बैड	9000
14.	जी.डी.सी.	15000
15.	नाली बैड	10000
16.	जी.डी.सी.	16000
17.	नाली बैड	शेश

जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बाढ से बचाव हेतु कार्य योजना

1 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

ग्राम पंचायत डबली मौलवी व डबली कुतुब में भूमिगत बोंरिंग व्यवस्था की गयी हैं।

2 शहरी क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

1.– शहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट तथा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर ली गयी है एवं कार्य हेतु 46.09 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना में कार्य हेतु आर यू आई डी पी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

2–चिन्हित 7 नीची बस्तियों की समस्या के अस्थाई समाधान हेतु बस्ती के पास स्थित गन्दे पानी के खड्डे जो की सिल्ट से भर चुके है, जिनके लिए लगभग 20.00 लाख रूपये के अनुमान तैयार कर खड्डे (वर्षा जल भराव क्षेत्र) को गहरा करवाये जाने तथा अतिरिक्त पम्प पानी निकासी हेतु लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गयी है।

3– परिशद क्षेत्र में चिन्हित 7 नीची बस्तियों में वर्षा जल भराव क्षेत्र में पानी निकासी हेतु अतिरिक्त पम्प लगाने व गन्दे पानी के खड्डो को खुदवाने की आवश्यकता है, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गयी है।

4–शहरी क्षेत्र की नीची बस्तियों में आबादी के बसावट रोकने हेतु नीची भूमि के चारो ओर तार बंदी करवाकर समस्या का समाधान सम्भव है, तारबंदी करवाने हेतु कार्य योजना तैयार करवा ली गयी है।

3 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र –

पटवार मण्डल	नाली क्षेत्र के चक	आबादी के चक	मकानों की संख्या	अनुमानित आबादी
दुलमाना	22–23–24 एसटीजी	22 एसटीजी	100	500
पीलीबंगा गांव	25–26 एसटीजी	25 एसटीजी 26 एसटीजी	11	590
अमरपुरा राठान	29–32 एसटीजी 1 बीआरपी 2 बीआरपी	32 एसटीजी 29 एसटीजी 1 बीआरपी सरामसर 2 बीआरपी भाखड़ा	90 200	510 1060
निहालपुरा	28 एसटीजी	28 एसटीजी	3 ढाणियां	18
रामपुरा	रामपुरा रंगमहल 36 एसटीजी बी	36 एसटीजी बी	700	3500

4 शहरी क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

अतिवृष्टि के दौरान् पालिका क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में जगह नीची होनें के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा होता हैं –

(I) वार्ड नं. 3 में सांसी मोहल्ला व इसके आसपास का क्षेत्र।

(II) वा. नं. 11 में जलदाय विभाग कार्यालय के आसपास का क्षेत्र, जिन्दल फैक्ट्री के पीछे का ऐरिया

(III) वार्ड नं. 17 में गिनाणी के आस–पास का क्षेत्र।

(IV) व ार्ड नं. 22 का एरिया।

2. पानी की निकासी हेतु शहरी क्षेत्र में य ूआई डी एस एस एम डी योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है, जो राज्य स्तर पर विचारधीन है।
3. नगरपालिका क्षेत्र के (Low Laying Area) में वर्तमान में कोई बसावट नहीं हो रही है।

5 शहरी क्षेत्र, तहसील संगरिया

नगरपालिका संगरिया क्षेत्र में थोड़ी बून्दा–बून्दी होनें से गुरूनानक बस्ती वा.नं. 21, 22, 23 में पानी भर जाता है। पानी निकासी के लिए पालिका के पास 4 ट्रेक्टर, 4 पम्प सैट है। एक पम्प सेट पानी निकासी हेतु फिक्स है तथा तीन पम्प सैट आवश्यकता पड़ने पर पानी निकासी हेतु ट्रेक्टर पर फिक्स कर ले जाया जाता है। नगरपालिका संगरिया में 1 जेसीबी व ट्रेक्टर ट्राली, मोटर है। वार्ड नं. 20 तथा नेहरू पार्क में पानी निकासी हेतु पम्प फिक्स है।
आपदा प्रबन्धन के समय आवश्यकता होनें पर निम्न स्थानों को आश्रय स्थलों के रूप में चिन्हिकरण किया गया हैं –
1. नगरपालिका क्षेत्र में समस्त सुविधाओं सहित 7 धर्मशालाऐं है जिनमें प्रत्येक में 200 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है। ।
2. नगरपालिका क्षेत्र में 7 प्राईवेट हॉस्पीटल है जिनमें दुर्घटना के समय चिकित्सा सेवा प्राप्त की जा सकती है।

1. सी एच सी संगरिया, मालारामपुरा, किशनपुरा उत्तराद्धा, दीनगढ़ एवं ढाबां में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हैं। इसके अतिरिकत लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब, रेस्टोरेन्ट क्लब, समाज सुधारक जनसेवा समिति, महावीर इन्टरनेशनल, महावीर दल, सेवा भारती, उपभोक्ता सरंक्षण समिति, विभिन्न गुरूद्वारे इत्यादि स्वंय सेवी संस्थाएं समाज सेवा इत्यादि के लिए हमेशा तत्पर रहते है। ग्रामीण क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन/वर्षा से पानी की निकासी की आवश्यकता होने उपरोक्त संस्थाएं तथा व्यवस्थाओं के एकत्रित कर प्रबन्धन की जाती है।

6 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील संगरिया

7 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील टिब्बी

1– घग्घर नदी में अधिक पानी आने से टिब्बी तहसील दो भागों में बंट जाती है, प्रभावित ग्राम पन्नीवाली, पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, चन्दूरवाली, सुरेवाला, का सम्पर्क तहसील मुख्यालय से टूट जाता है। इन गावों का हनुमानगढ़ से चूना फाटक होकर एनजीसी नहर के सहारे स्थित रोड़ से पहुंचकर सहयोग किया जा सकता है।

गांव तलवाड़ा, टिब्बी, राठीखेड़ा, रताखेड़ा, ढाणी तारासिंह वाली तक टिब्बी से सम्पर्क रहता है तथा अधिक पानी आने पर टिब्बी से सम्पर्क कटने की स्थिति में हनुमानगढ़ से रेलवे मार्ग तथा रावतसर, चाईयां होकर सड़क मार्ग से सम्पर्क हो सकता है।
2– बाढ़ के समय गावों की प्रभावित जनता को निम्नानुसार सुरक्षात्मक स्थानों पर पहुॅचाया जा सकता हैं –

क्र.सं.	बाढ़ प्रभावित ग्राम	सुरक्षित स्थान/ग्राम
1.	तलवाड़ा झील	इस ग्राम के प्रभावित लोगों को ग्राम बेहरवाला एवं सिलवाला कलां के राजकीय स्कूल एवं गुरूद्धारों में ठहराया जा सकता है।

2.	राठीखेड़ा एवं रताखेड़ा	इन दोनों ग्रामों की आबादी को चक 2 व 3 जीजीआर के स्कूलों व गुरूद्धारों में ठहराया जा सकता है।
3.	टिब्बी	टिब्बी ग्राम में निचले क्षेत्र की आबादी प्रभावित होती है, जिसे गुरूद्धारा वाली धर्मशाला, राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में ठहराया जा सकता है।
4.	मसानी	सलेमगढ़ के स्कूल, गुरूद्वारा एवं पंचायत घर में ठहराया जा सकता है।
5.	तारासिंह की ढाणी	इस ढाणी की आबादी को सुलतान पीर थेड़ पर तम्बू लगाकर ठहराया जा सकता है।
6.	शेरेकां	शेरेकां ग्राम की कुछ आबादी प्रभावित होती हैं, जिसे शेरेकां के राजकीय मिडिल स्कूल में ठहराया जा सकता है।
7.	कमरानी	इस ग्राम की आबादी को कमरानी के राजकीय स्कूल एवं मस्जिद परिसर तथा झाम्बर ग्राम के स्कूलों एवं गुरूद्धारें में ठहराया जा सकता है।
8.	पन्नीवाली	इस ग्राम की आबादी को दौलतपुरा के सकूल एवं गुरूद्वारें में ठहराया जा सकता है।
9.	पीरकामड़िया	इस ग्राम की आबादी को चक 11 व 13 एफटीपी ढाणीयों एवं 12 एफटीपी के स्कूल में ठहराया जा सकता है।
10.	सूरेवाला	इस ग्राम की आबादी को सुरेवाला के राजकीय स्कूलों, गुरूद्वारा व नाईवाला के स्कूल एवं गुरूद्धारें में ठहराया जा सकता है।
11.	चन्दूरवाली	इस ग्राम की आबादी को बशीर के स्कूल एवं गुरूद्वारें में ठहराया जा सकता है।

3. परिवहन – आपातकाल के समय ट्रेक्टरों एवं नावों की आवश्यकता होगी। ट्रेक्टर समीपस्थ गावों के प्रभावर्षाली कृशकों की सूची जिनके पास ट्रेक्टर है, पटवारियान के सहयोग से तैयार कर तहसील में उपलब्ध होगी उनका सहयोग लिया जावेगा तथा नावे मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. गोताखोर, लाईफ जैकेट – गोताखोरों स्थानीय तौर पर ग्राम सुरेवाला में उपलब्ध है। जीतसिंह रायसिख व पार्टी जिनकी सूची (परिशिश्ट संख्या 14) पर व पटवारी सूरेवाला व तहसील में उपलब्ध है, सहयोग लिया जा सकता है। विशेश आवश्यकता पड़ने पर लाईफ जैकेट व गोताखोर हेतु जिला मुख्यालय से निवेदन करना होगा।

5. खाद्य सामग्री एवं भोजन व्यवस्था – एक साथ 11 गावों में अधिक पानी आने पर लगभग 50000 हजार जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। जिसकी दैनिक भोजन व्यवस्था में 200 क्विन्टल आटा, दाल एवं जलाऊ लकड़ी, केरोसीन की आवश्यकता होगी, मौके पर ग्राम वासियान (दानदाताओं) से भी यथा सभंव सहयोग लिया जा सकता है।

6. चिकित्सा व्यवस्था – स्थानीय व्यवस्था के अतिरिक्त विशेश आवश्यकता पड़ने पर मोबाईल मैडिकल टीमों का सहयोग हेतु गठित किया जाना प्रस्तावित है।

7. रोशनी – बिजली विभाग की लाईन आदि डूबने व टूटने की स्थिति में करन्ट की स्थिति को देखते हुए कनैक्शन कटाया जाकर जरनेटर, पेट्रोमेक्स, लालटेन आदि की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

8. पशुधन व्यवस्था – प्रभावित पशुधन के लिए अस्थाई तौर पर चारे की व्यवस्था करानी होगी, जिसके लिए चारा डिपो की व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

9. पी.ओ.एल. व्यवस्था – परिवहन व भोजन व्यवस्था हेतु सभी राशन डीलरों के पास 200–200 ली. केरोसीन, डीजल रिजर्व स्टाक में रखवाना तथा मै0 सूरज आटो सर्विस को उचित मात्रा में पेट्रोल व डीजल रखवाने के निर्देश जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी महोदय स्तर पर प्रसारित कराना प्रस्तावित है।

10. अतिवृश्टि की स्थिति में – सभी राजकीय संस्थानों, सामुदायिक केन्द्रों, शालाओं के प्रधानों को अस्थायी निवास हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु तत्काल निर्देश प्रदान करना प्रस्तावित है।

11. घग्घर नदी तटबंधों की सुरक्षा – निवेदन है कि क्षेत्र में नदी के तट घग्घर फ्लड विभाग के अधिनस्थ निजी कृशकों के है। इस सन्दर्भ में संबंधित अधिकारीगण को तटबन्धों को मजबूत कराने के आरडी पर रखवाये जाने बाबत् निर्देशित किया जाना तथा तट से संबंधित कृशकों को अपने क्षेत्र के तटों को मजबूत किये जाना तथा बाढ़ के समय 24 घण्टे निगरानी कराया जाना प्रस्तावित है।

12. अन्य सामान – तटों में कटाव आने की स्थिति में रस्से, बांस, बल्लियां, टयूब, बठ्ठल तगारी), फावड़े, टार्च आदि की व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

8 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील रावतसर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम राजस्व ग्राम
1.	भाखरांवाला	भाखरांवाला
2.	कनवानी	कनवानी
3.	सरदारपुरा खालसा	सरदारपुरा खालसा
4.	25 आरडब्ल्यूडी	प्रेमनगर, 25 आरडब्ल्यूडी, नेहरांवाली ढाणी

ग्रामीण क्षेत्र में बाढ की स्थिति में ग्राम पंचायत का यह भी निर्देश है कि पानी निकासी के लिए निकासी पम्प (बरमा), आवश्यक पाईप की व्यवस्था ग्राम पंचायत में या किराये पर मिलने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करके रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से उनकी मदद ली जा सके। घरों में पानी भरने की स्थिति में सरकारी भवनों पर प्रभावित लोगों के रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि आकस्मिक रूप से कहीं आपात, स्थिति में कोई अगर गांव प्रभावित होता हैं, तो पंचायतों को यह निर्देश हैं कि वो जन सहयोग से एवं पंचायत की आपतकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी निजी आय से लोगों के जानमाल की रक्षा करें।

9 शहरी क्षेत्र, तहसील रावतसर

रावतसर शहर में पानी बहाव का क्षेत्र, वार्ड नं. 3 खड्डा स्कूल के पास, वेयर हाउस के पास खड्डा, वार्ड नं. 4 व 7 के खड्डो में पानी एकत्रित होता है।

1 अधिक वर्षा होनें पर इन क्षेत्रों में पानी भराव होनें से खड्डे पानी से भर जाते हैं एवं निचले क्षेत्र में घरों में पानी इकट्ठा हो जाता हैं, जिसकी निकासी नगरपालिका द्वारा डीजल पम्प लगाकर किया जाता है। वर्श 2007 में अतिवृश्टि होनें से रावतसर शहर को काफी नुकसान हुआ था।

2. गन्दे पानी एवं वर्षा का पानी निकासी हेतु निम्न सदस्यों की समिति गठित की गई –

क.– श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नोहर।

ख.– श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतसर।

ग.– श्रीमान् सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, रावतसर।

घ.– अधिशाशी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर।

इस समिति की देखरेख में शहर में पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डलवायी गयी है एवं तीन पम्प हाउस स्थापित किये गये है। शहर के एवं अन्य साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र की सेम समस्या के समाधान हेतु सेमनाला जीवननगर चक सं. 91 आर.डी. तक सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया गया है। यह नाला शहर में से होकर गुजरता हैं एंव नगरपालिका के गन्दे पानी के खड्डे सेमनाला में आनें के कारण गन्दे पानी के निकासी स्वतः ही सेमनालें में प्रारम्भ हो गयी।

10 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील नोहर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृश्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	प्रभावित गांव	निराकरण
1.	सिरंगसर	नोहर	सिरंगसर	इंजन व पाईपों द्वारा निकासी या पक्का खाला निर्माण द्वारा
2.	परलीका	नोहर	परलीका	जोहड़ से पक्की सड़क पार तक 1200 फीट पक्का नाला निर्माण से पानी निकासी हो सकती है।
3.	पाण्डुसर	नोहर	पाण्डुसर एवं जोजासर उगाड़	पक्का नाला निर्माण कर पानी निकासी
4.	भूकरका	नोहर	हरीजन मोहल्ला भूकरका	हरीजन मोहल्ला से सोख्ता कुआं
5.	मंदरपुरा	नोहर	मंदरपुरा के उगाड़ चौगान	उगाड़ चौगान से दो सोख्ता कुआं निर्माण से
6.	पिचकराई	नोहर	16–17 केएनएन	
7.	दीपलाना	नोहर	दीपलाना	जोहड़ से आबादी के बाहर तक पक्का नाला निर्माण

11 शहरी क्षेत्र, तहसील नोहर

नगरपालिका नोहर क्षेत्र स्थित निचले ईलाकों में स्थित आबादी क्षेत्र में वर्षा से जल भराव उत्पन्न समस्या का समाधान हेतु जगह चिन्हित कर प्रोजेक्ट निम्न प्रकार से प्रेशित हैं–

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	राशि (लाखों में)

1.	पीवीसी पाईलाईन व पम्प हाउस वा.सं. 20 महावीर पार्क के पीछे साईट	25.65
2.	पीवीसी पाईलाईन व पम्प हाउस वा.सं. 16 गुरूद्वारें के पीछे साईट	34.50
3.	पीवीसी पाईलाईन व पम्प हाउस वा.सं. 28 सोभाना जोहड़ के पास की साईट	16.80
4.	पीवीसी पाईलाईन व पम्प हाउस वा.सं. 18 में मजिस्द के पास साईट	25.65

12 ग्रामीण क्षेत्र, तहसील भादरा

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृश्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम/चक	वांछित उपाय
1.	मुन्शरी	गांव के बीच में जोहड़ में बरसात होनें पर पानी भर जाता है। घरों का गंदा पानी इसी जोहड़ में आता है। समाधान जोहड़ की दीवारे ऊॅची बनाकर एवं जोहड़ से गांव के बाहर तक नाला निर्माण कर समस्या का समाधान संभव है। अनुमानित लागत 3 लाख रूपये।
2.	झांसल	झांसल ग्राम में जोहड़ ग्राम के बीच में होनें पर बरसात से भर जाता है, जिससे पानी घरों में व गलीयों पर फैल जाता है। **समाधान** – जोहड़ से गांव के बाहर तक नाला निर्माण कर पानी खेतों में लगाया जाकर समाधान संभव है। अनुमानित लागत 4 लाख रूपये।
3.	निनाण	ग्राम की सड़क से उत्तर व गांव की पूर्व दिशा में निचली बस्ती में व गलियों में पानी भर जाता है व घरों में घुस जाता है। **समाधान –** बस्ती से गांव के बाहर पानी की निकासी नाले का निर्माण कर समस्या का समाधान संभव है। अनुमानित लागत 5 लाख रूपये।
4.	मलखेड़ा	ग्राम की दक्षिणी दिशा में जोहड़ के पास आबादी बसी होनें के कारण पानी गलियों व घरों में भर जाता है। **समाधान –** खड़ंजा का निर्माण कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अनुमानित लागत 10 लाख रूपये।
5.	नेठराना	नेठराना ग्राम में ग्राम में बरसात हल्की बरसात होनें पर भी गांव के बीच में Low Lying Area होनें से पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है व नजदीक के घरों में घुस जाता है। **समाधान –** जोहड़ को गहरा किया जाकर व जोहड़ के चारों तरफ दीवार का निर्माण कर अनुमानित लागत 8 लाख रूपये।
6.	शेरड़ा	ग्राम की निचली बस्ती बरसात होनें पर गलियों व घरों में पानी भर जाता है। **समाधान –** खड़ंजा निम्रण कर समाधान किया जा सकता है। अनुमानित लागत 4 लाख रूपये।
7.	भिरानी	भिरानी गांव में जोहड़ गांव के बीच में होनें पर बरसात होनें पर घरों व गलियों में पानी भर जाता है। **समाधान –** जोहड़ की चार दीवारी व खड़ंजा का निर्माण कर अनुमानित लागत 5 लाख रूपये।
8	रामबास	रामबास ग्राम में बरसात बरसात होनें पर जोहड व गलियों में पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है **समाधान –गांव के मुख्य जोहड से पाइप लाइन डालकर पानी की**

		निकासी करना
9	छानीबडी	छानीबडी के वार्ड 10 व 11 में पक्की सडक से उत्तर दिशा में वर्षा का पानी गलियों मे भर जाता है। समाधान– वार्ड 10 व 11 से भूमिगत पाइप लाइन डालकर जोहड से जोडना।

13 शहरी क्षेत्र, तहसील भादरा

नगरपालिका भादरा के क्षेत्र में अतिवृश्टि से प्रभावित होने वाले संभावित वार्डो की सूची निम्न प्रकार हैं –

1. **वार्ड नं. 19 डूमसागर मौची मोहल्ला –** इस वार्ड में गंदे पानी का लम्बा चौड़ा जोहड़ा हैं, जिसे डूम सागर कहते है। जहां शहर का करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र का गंदा एवं बरसाती पानी आता है। यहां पर पालिका द्वारा मड पम्प लगाए गए जिससे गंदा पानी पाईप लाईन के जरिये शहर से 2 कि.मी. दूर नगरपालिका की खाली भूमि में डाला जाता है। बरसात के समय जोहड़ ओवल फ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं डूम सागर में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

समाधान – आस–पास के क्षेत्र की सड़कों एवं नालियों को ऊॅचें लेवल पर बनाना प्रस्तावित है। अधिकांश लोग कमजोर वर्ग (मोची जाति) के है, जिनके घर नीचे है। वैकल्पिक समाधान के तौर पर डूमसागर से ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित खाली भूमि तक अण्डर ग्राउण्ड बरसाती नाला (सिविल लाईन पाईप) 2 कि.मी. तक बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ में डूमसागर की चारदीवारी एवं डूम सागर को गहरा किया जाना प्रस्तावित है। अनुमानित लागत 150 लाख रूपये है।

2. **वार्ड नं. 5 में गन्दे पानी खडडे –** शहर का 30 प्रतिशत गंदा व बरसाती पानी इस खडडे में इकटठा होता हैं एवं खड़ा ओवर फ्लों होनें पर पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है। आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहते है।

समाधान – खडडे के आस–पास की सड़कों का निर्माण ऊॅचें लेवल पर करने से समस्या का आंशिक समाधान संभव है। इस स्थान पर मड पम्प लगाकर पाईप लाईन से अन्य खड़े में एवं नोहर की भूमि पर या निजी खेतों में डाला जा सकता है। अनुमानित लागत 50 लाख रूपये है।

3. **वार्ड नं. 11 धानका मौहल्ला –** वार्ड नं. 11 का कुछ भाग जो समाध भवन की तरफ है, नीचा होनें से बरसात का पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है।

समाधान – ऊॅचें लेवल पर सड़कों एवं नालियों का निर्माण करने से समाध भवन के पास बने मेन नाले से होकर पानी की निकासी सम्भव हैं एवं समस्या का सम्भव है। अनुमानित खर्चा 30 लाख रूपये है।

4. **वार्ड नं. 9 कल्याण भूमि के पास गंदे पानी का जोहड़ एवं नाथवाना जोहड़ –**

वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 का सम्पूर्ण बरसाती पानी एवं गंदा पानी कल्याण भूमि के पास स्थित जोहड़ में भरता है। ऑवर फ्लों होकर पानी गलियों, सड़कों एवं घरों में घुस जाता है।

समाधान – ऊॅचें लेवल पर सड़कों एवं नालियों का निम्रण करने पर एवं इस जोहड़ से नथवाना जोहड़ तक नाले का पुनः निर्माण कराया जा सकता है। कल्याण भूमि के पास वाले जोहड़ की दो साईड की चारदीवारी निर्माण एवं नथवाना जोहड़ की प्लेन भूमि पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा कर पानी का कृशि काय्रे के लिए उपयोग किया जा सकता हैं। नथवाना जोहड़ की

7 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि समतल है एवं इसमें शहर का 30 प्रतिशत बरसाती एवं गंदा पानी आता है। अनुमानित खर्चा 90 लाख रूपये है।

5. **राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाईन तक –** रेलवे लाईन के नीचे से पाईप कलर्ट छोटा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है एवं पानी सड़क पर गलियों में एवं दुकानों में घुस जाता है एवं सामान्य जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

समाधान – राजकीय अस्पताल से रेलवे लाईन तक सड़क को ऊॅचा उठा कर बनाना एवं इस स्थान पर अण्डर ग्राउण्ड कवर बने नाले का निर्माण करने एवं रेलवे लाईन के नीचे से 4 फीट व्यास को 2 पाईप कल्वर्ट लगाने से समस्या का स्थायी समाधान सम्भव है। अनुमानित लागत 60 लाख रूपये है।

इस प्रकार 1 से 5 तक वर्णित सभी समाधानों के लिए राशि 350 लाख रूपये की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है।

Low Lying Area में होने वाली बसावट को रोकने की कार्यवाही Low Lying Area होनें वाली बसावट को पालिका द्वारा समय–समय पर हटा दिया जाता है। पुरानी बसावट को हटाया जाना सम्भव नहीं है।

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना वर्श–2017

हनुमानगढ में प्रायः माह जून के मध्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाडियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका,ओलावृश्टि,अतिवृश्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

हनुमानगढ जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	15
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	56
उप स्वा. केन्द्र	381

(1) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल एवं बाढ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :–जिले में भीड–भाड वाले तथा आंतककारी हमले के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक आपदा जैसे आंतकवादी (फिदाइन हमले) हमले, बम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, कारखानों में दुर्घटना ,धरना ,प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, चक्काजाम आदि के दौरान होने वाले जान–माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनशील क्षेत्र :–

1. रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन
2. बस अडडा, हनुमानगढ जंक्शन
3. भगतसिंह चौक, हनुमानगढ जंक्शन
4. बाबा रामदेव मंन्दिर, ओवरब्रिज के नीचे, हनुमानगढ जं.
5. रोडवेज डिपो के सामने का चौक, सूरतगढ रोड, हनुमानगढ जं.
6. कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर ,हनुमानगढ जं.
7. हनुमान जी का मंन्दिर,टाउन रोड, हनुमानगढ
8. अंबेडकर चौक, हनुमानगढ जं.

9. गंगानगर फाटक, हनुमानगढ जं
10. सतीपुरा चौराहा, हनुमानगढ जं.
11. बस स्टेण्ड, हनुमानगढ टाउन
12. शिलापीर व बाबा सुखासिंह महताब सिंह गुरूद्वारा में मेला, हनुमानगढ टाउन
13. सुभाश चौक व इन्द्रा चौक, नगरपालिका रोड, हनुमानगढ टाउन
14. हिसारिया मार्केट/लालाजी चौक,हनुमानगढ टाउन
15. चूंगी नं.6, हनुमानगढ टाउन
16. भद्रकाली मेला, हनुमानगढ टा.
17. बाबा रामदेव/खेतरपाल मेला, रावतसर
18. माता का मंदिर, पल्लू
19. सिंधी/रानी बाजार,नोहर
20. गोगामेडी मेला/गोरखनाथ टीला, गोगामेडी
21. मूर्ती चौक, भादरा
22. तहबाजारी, पीलीबंगा
23. सोनडी बस अडडा,नोहर

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानः–

घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा.केन्द्र, तलवाडाझील, सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औषधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेगें। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर.एस. पैक्टस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्षा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग)अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्याः–

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया, पीलिया, हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड सकता है। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी ।

(घ)खान–पान संबंधीः–

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग, दूषित खाना खाने, दूषित जल पीने से उल्टी–दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बिमारीयां होने की संभावना रहती है । ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टाफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च) अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना, सर्दी, बुखार, सिरदर्द, डि–हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है । इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्स–2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगें वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क) आपदा प्रबन्धन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):– प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स –ाा एवं एक पुरूष स्वास्थ्य

कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते है। ये टीमे मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर–घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख) नियंत्रण कक्ष का गठन :–प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/ मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रो पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाश या किसी अन्य माध्यम से सूचना पंहचने पर तुरन्त संबधित स्वास्थ्य कार्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलो का गठन किया गया है ।

(ग) एम्बूलेंस की व्यवस्था :–

जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बूलेंस का उपयोग रोगियों को लाने–ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने–ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बूलेंस में आपातकालीन औशधियां, स्ट्रेचर, की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थनों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतू एम्बूलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति सुविधा के लिये 104 नं.एम्बूलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

एम्बूलेंसों की सूची संलग्न है।

रेपिड रेस्पोंस टीम (आर.आर.टी.), नियंत्रणकक्ष एवं एम्बूलेंस की सूची निम्न प्रकार से है

क्र. स.	टीम के सदस्य	संस्थान का नाम	दूरभाश नं. चिकित्सालय/ नियंत्रण कक्ष	एम्बूलेंस/वाहन
1	डा0 हरिओम बंसल,चि.अ. श्री नक्षत्रसिह नर्स II श्री भादरराम एम.पी.डब्ल्यू श्री लाधूराम वार्डबॉय	सीएचसी पीलीबंगा	233112 9414318578	आर.जे.31 ई.0091/108
2	डा0 अरविंद षर्मा,चि.अ. श्री भानीराम,नर्स II श्री फुलाराम वार्डबॉय	सी.एच.सी. संगरिया	250122 9414535834 9784060845	आर.जे.31 ई.0090/108
3	डा0 सुरेन्द्रषर्मा,चि.अ. श्री लाधूराम,नर्स II श्री लीलाधरषर्मा,एमपीडब्ल्यू	सी.एच.सी. नोहर	220022 9887831991 9414579274	आर.जे.31 ई.0088/108
4	डा0 मनोजडूडी चि. अ. श्री इन्द्र सैन नर्स II श्री सुरेन्द्रकुमार एमपीडब्लयू	सी.एच.सी. फेफाना	230144	आर.जे.31 पीए .0944
5	डा0 जसवंत सिंह,चि.अ. श्री महावीरसिंह नर्स II श्रीमती रोषनी देवी,एएनएम श्री राधेष्याम,वार्डबॉय	सीएचसी भादरा	223940 9928803031	आर.जे.31 ई.0097/108
6	डा0 विकासगर्ग चि. अ. श्री चन्द्र सिंह नर्स II श्री दीपचन्द एमपीडब्लयू	सी.एच.सी. छानीबड़ी	286356	आर.जे.31–पीए–1746

7	डा0 बद्रीप्रसाद मेहरडा चि. अ. श्री सुखमहेन्द्र सिंह नर्स II श्रीमती सुशमा एलएचवी	सी.एच.सी. गोलूवाला	250088	108
8	डा0 सुभाश भिडासरा चि. अ. श्री रमेषषर्मा नर्स I श्रीमती प्रीतम कौर ए.एन.एम.	सी.एच.सी. रावतसर	250068	आर.जे.31 ई.0098 / 108
9	डा0 अरविन्द पाठक चि. अ. श्रीमती बबीता नर्स II श्री हंसराज वार्ड ब्वाया	शहरी डिस्पैन्सरी हनुमानगढ ज.	268209 9252259076	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार / 108
10	श्री मुकेषकुमार,चि.अ. श्री प्रभात,नर्स–II श्रीमती निर्मला,एल.एच.वी.	सीएचसी टिब्बी	225216 9414094637 8875554922	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार / 108
11	डा0 ज्योतिधींगडा,चि.अ. श्री शैलेन्द्रसिंह,नर्स I श्री नरेशकुमार वा.बॉय	जिला मुख्यालय	261887 260702 261190 9414243233 9950155938	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार / 108
12	राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ टाउन से आवष्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	231399 9414319488	स्थानीय / 108

(घ) औषधि भण्डारण :–

सभी सीएचसी / पीएचसी / राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :– जैसे हलोजन गोलिया, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस. / क्लोरो क्वीन गोलियां / प्रेमाक्वीन की गोलियां / जी.एन.एस. / जी.डी.डब्लयू, ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औशधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च) मलेरिया नियंत्रण हेतू उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतू बुखार के रोगियों का घर–घर सर्वे कर रक्त पटिटकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिडकाव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ.डालकर उपचारित किया जाएगा ।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतू जोहड तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोडी जाएगी। बीटीआई / वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :–

जिले के एपीआई–2 या अधिक के आबादी क्षेत्र / जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिडकाव किये जातें है। इसके लिये प्रतिवर्श पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज) पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र / प्रा.स्वा.केन्द्र / सीएचसी / राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि. प्रयोगशाला में भिजवाये जातें है तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है । डिग्गी, कुण्डो ,एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जााता है सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनशेन की कार्यवाही भी की जाती है ।

(झ) स्वास्थ्य षिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां:–

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है :–

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बाध कर या छाता लेकर ही निकले। लू–ताप घात से प्रायः कुपोशण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते है। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटायें कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें । रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें ।
- सार्वजनिक स्थानो एवं विद्यालयों के आस–पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतू जन साधारण को जानकारी दी जाएगी ।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतो का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतू नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जॉच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानो में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रो पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवश्यक जीवन रक्षक औशधियो, जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिष्चित की जाएगी।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूशित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो में असंतोशप्रद पाये पेयजल स्त्रोतो का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपरक्लोरिनेशन एवं नमूनो का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जायेगा।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) चिकित्सा/जांच व्यवस्था :– सभी सीएचसी एंव जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानो में विशेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिये 150, नोहर ,भादरा, रावतसर व संगरिया प्रत्येक सीएचसी में 50–50 अन्य सीएचसी में 30 तथा प्रत्येक पीएचसी में 6 बैड की क्षमता है । आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त बैडस की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

जिला चिकित्सालय, सीएचसी छानीबडी, नोहर, भादरा, पीलीबंगा, संगरिया व रावतसर में एक्स–रे मशीन, वायल्स ऑप्रेटर्स, ऑटोक्लेव मशीनों की व्यवस्था है। सभी चिकित्सालयों/सीएचसी में पैथेालोजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

(4) प्रचार प्रसार :–

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतू समय–2 पर प्रचार प्रसार हेतू पम्पलेटस वितरण किये जाते है दैनिक समाचार पत्रो द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारो श्लोग्न लिखवाये जाते है। बैनर/होंर्डिग लगाये जाते है। एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें। संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।

पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।

समस्त अधिशाशी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिश्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएगें।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- सम्भावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रमक रोग, कुपोशण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेशण एवं नियन्त्रण हेतु जिला प्रभारी वरिश्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होगे।
- मोबाईल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में सम्भावित संक्रामक रोगो से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगो के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औशधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप मे तैनात करना।
- जोन प्रभारी सम्बन्धित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालना जिला नियन्त्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियन्त्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी

आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोश्ठ प्रभारी होगे।
- विद्युत लाईनो/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनो मे विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथावा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैंस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते है एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते है।

अग्नि शमन केन्द्र

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 7 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है, जिसमें से 3 नगरपालिका हनुमानगढ़ में है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 222855 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकांए

- नालों की सफाई का कार्य करवाना
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटो की उपलब्धता कराना

- मिटटी के कटटे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओ का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओ से भी मदद ली जायेगी।

सूखा–

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृशि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जब कि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाशा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गम्भीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाशित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमे निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलो का नश्ट होना

सूखे के प्रकार

मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूखा– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण

जल विज्ञान सम्बन्धी सूखा– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबो, कुओं तथा जलाशयों का सूखना।

कृषि सम्बन्धी सूखा– फसल अथावा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते है।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।

- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतो का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपो का पुनर्भरण।
- मिटटी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ो की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलो का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृशि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवो का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरो के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयमसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली सम्भावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घेशणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यो की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियन्त्रण

- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धवस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानो को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रो में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरो को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जन सामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगो की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या मे पशुओ की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईंयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रो मे पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीश्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

स्वयम सेवी संगठन

- राहत कार्यो एव पेययल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोशाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।

- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृशि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियां उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करे।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़नेसे पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हे कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जग घास अथवा पौधो में डालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलो को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्यो कि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोले व पानी का उपयोग करें।

- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनो को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते है।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

जिले में सूखे की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जिले की रावतसर, नोहर व भादरा में कृशि हेतु सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव है। इन तहसीलों के कुल कृशि क्षेत्रफल का 76.64 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है तथा प्रत्येक वर्षा समय पर वर्षा नही होने के कारण इनकी कृषि पर विपरीत प्रभाव पङता है। इन क्षेत्रों में गत वर्षो में अकाल अथवा ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का विवरण निम्न प्रकार है :–

तहसील	ग्रामों की संख्या			
	सम्वत 2061	सम्वत 2062	सम्वत 2063	सम्वत 2069
रावतसर	80	40	42	4
नोहर	159	––	75	–
भादरा	146	––	–	–
पीलीबंगा	––	––	12	11
संगरिया	––	––	19	–
हनुमानगढ़	–	–	–	2
योग	385	40	148	17

दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते है उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते है। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते है एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते है। जिनमें बहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते है।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात येह है कि

दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओ के मुख्य कारण

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियो का अनुचित रखरखाव

दुर्धटना कार्य योजना

दुर्घटनाए कहीं भी किसी भी रूप से घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना होगी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नही है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते है।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय– दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रो का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय– सड़क दुर्घटनाओ से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हेलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चो को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चो को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगो को तुरन्त चिकित्सालय पंहुचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।

- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पंहुचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिश्ट 3, 4, 5 व 6 पर है।

डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।

एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।

प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।

दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेलवे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुचाने के लिए नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करा।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हे आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलो को पंहुचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एलएनटी आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/पालिका/पंचायत

- पानी के टैंकरो की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनो की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयं सेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगो को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो–

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खालने पर पता लगाएं की छाती अथावा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) मे चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ो को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाएं।
- ठोडी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की और उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट उंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्कमें जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें।
- यदि पेट में हबा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के उपर के हिस्सो को दबाकर हवा निकाल दें।

- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुटठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से–मी– का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए है और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड या (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर या शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलाव इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक और झूका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पंहुचाये।

आग

प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव

जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते है। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्यों कि वाहं पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों मे अप्रेल–मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते है। मोटर मार्गो की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते है। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगाातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते है। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डो के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है। यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील सरसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय मे तत्परता पूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भवहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवाये।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना ले।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना ले
- बिजली की फिटिंग हेतु आईएसआई द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रो का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का बेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के सटोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखे।

- बिजली के मीटर से अनावयक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई–एस–आई– मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो को ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलिफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो उपर मंजिल वालो को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवो व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढ़क कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदिसे गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बशन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढ़ेरी से दू
- सरी ढ़ेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढ़ेरी की उंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढ़ेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके ।
- गांवो मे अधिक बाड़े आदि नही होने चाहिये।

- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टूकड़े आदि नही फैंकने चाहिये।
- खलिहानो या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारो ंका घ्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवो में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिगं व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (सायरन) बीटर्स, फावड़े बैल्वे कापा हुक, बाल्टी, आर्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूड़की द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह–जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच डयूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन–ए–सी– लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पंहुच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय–समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला

मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार या जो भी वरिश्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथा शीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यो का समन्वय करेंगें। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पंहुचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साईट इमरजेन्सी डाईरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलैक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीशण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथी ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र– नियन्त्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- सीमावर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन,पुलिस, नागरिक सुरक्षा आदि में आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट,आक्सीजन सिलेण्डर, सीढ़ी, मिटटी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वयक।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्तान पर पंहुचाना

- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जन सामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनो हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

प्राथमिक उपचार

- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पंहुचाना
- औशधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिशद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य स्थितियों की देखभाल

- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिश्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवको के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगो को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में अग लगन पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पंहुच जायें।
- अगर सम्भव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के ओदशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करे

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगन पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणो से आता है। सामान्यतः भूगर्भित चट्टानों के विक्षोम के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते है। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानो के चारो ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती है। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि–मी– की गहराई का उत्पन्न होते है। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं उसे उद्गम केन्द्र यो भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पंहुचती है, जिसकी पुनः दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राश्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6–9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षो में सर्वाधिक भशणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 कि–मी– दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30,000 करोड़ रूपये की सम्पति नश्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भसंतुलन मे अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलाजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इस पांच भागो में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV.V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वगै मि–मी– में महसूस होते हैं जब कि IX&X तीव्रता वाले भूकम्प 500–00 वर्ग कि–मी– क्षेत्र में महसूस किये जाते है।

(1) **क्षेत्र** V – इस क्षेत्र में संशाधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

(2) **क्षेत्र** IV – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड VII सम्भावित है, इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

(3) **क्षेत्र** III – इस क्षेत्र मे मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

(4) **क्षेत्र** II – इस क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसार सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

(5) **क्षेत्र** I – इस क्षेत्र के लिए संशाधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते है।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेश व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3–5

अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4–2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पनन	4–3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4–8
**********		
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4–9–5–4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5–5–6–1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती हैं।	6–2
विनश्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6–2–6–9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं ढालों में भूस्खलन होता हैं।	7–0–7–3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7–4–8–1
प्रलयकारी	सर्वनाश,धरातलीय प्रदार्थ हवा में उछलने लगते है। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8–1 से अधिक

कार्य योजना

भूकम्प की स्थित में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लागों तक पहुँचाना

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलब में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे– सी– बी– अन्य उपकरणों की व्यवस्था।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध करना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपर्ति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिशद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती है वस्तओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिल से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुंए जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दर रखे। बिस्तर से ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकाये।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्यत लाईन को क्षति पहुंचा सकते है उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छः पर लगावें तथा निकास के रास्तें में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयों, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पंहुच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिंर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे है वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढियों का उपयोग न करें सम्भवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढियों की ओर न भागे, क्यों कि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्यों की सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूके जब तक कम्पन्न खत्म न हो।

- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन्न विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरचनाओं अथवा उंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या उपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुए, गिरी हुइ विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखो।
- भकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसे लोगो को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करे, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की लीक की सम्भावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीशण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात क झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचो को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

ओलावृश्टि

ओलावृश्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृश्टि के कारणव्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है।जिले में ओलावृश्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृश्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निदेर्शित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृश्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ–

यद्यपि ओलावृश्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय कियाजाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला 'प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन कीहानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृश्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ–

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसेः भोपाल गैस कांड अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।

सुरक्षात्मक दृश्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होनाभी आवश्यक है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बेकार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोड़वेज,विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर इस आपदा से निपटे।

मौसमी कीड़ों का प्रभाव

हनुमानगढ़ जिले में खरीफ की फसल में देसी कपास तथा अमेरिकन कपास काश्त किया जाता है, जो वाणिज्यक फसलें है। कभी–कभी इस फसल को कीड़े (अमेरिकन सुण्डी) से क्षति पंहुचती है। यह कीड़ा फसल को खाकर नश्ट कर देता है तथा कीड़ेमार दवाईया (पेस्टीसाईडस) भी बेअसर होती है।

ताप (लू) व शीतघात

तापधात (लू)

–राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेशता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रो का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाशा मे ''लू'' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्श का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39–70 से– और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24–3^0 से– रहता हैं जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीशण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 24–3^0 से 45^0 से– तक पंहुच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।

- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जाये तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते है।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें कि जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोंहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हों, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों कें तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान $22–0^0$ से– व माध्य दैनिक न्यूततम तापमान $5–8^0$ से– रहता है। शीतलकाल के दौरान जब उत्तरी भार से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्मकपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेश्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एड़ियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थित से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवाबढ़ सकती है याबर्फ गिर सकती है।

- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें।पानी का इंतजाम करें। सर्दी से ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमणरोकने के लिए पेय लें । गर्म पेय जैसे कि चावल कापानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा सेपरहेज करे।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांसन लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कम्बल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं। उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियन्त्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियन्त्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय–समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकड़े तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेश सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
रेवले व यातायात विभाग से सामन्जस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।

- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वयक करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।

- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होतो है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पंहुचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन–सी–सी– इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में प्रभावितों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को प्रभावितों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिशद/निगम की मदद लेना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुॅचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिका/परिशद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी–डी–टी– अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निषमन सेवाऍ प्रदान करना। (अग्निषमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।

2.6 क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लैशण–

जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना बनाने के उदेष्य जिले में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं से होने वाले

नुकसान को भविश्य में कम करने एवं उनके स्थाई समाधान हेतु आपदा नीति तैयार करवाना है। यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर तैयार की जायेगी जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया हैः–

1. आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय एवं आपदा उपरांत सहायता, पुर्नवास एवं मूलभूत अघोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनःस्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

2. राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियत्रंण के लिए आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी जिससे आपदा प्रबन्धन से संबंधित समस्त कार्यों को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी। जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रूप से आपदा के समय सुचारू रूप से अपने कार्यों को स्वतंत्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सकेगें।

3. भावी आपदा प्रबन्धन अस्थाई प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम हैः–

क – दीर्घकालीन योजनाएं– राज्य योजनाएं/विभागीय योजनाएं अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनाई जावेगी एवं उन कार्यों के लिए अन्य प्लान कार्यों की तरह लगातार जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते बजट प्रावधान रखे जायेगें। खासतौर से ड्रॉट प्रूफिंग के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

ख – आपदा प्रबन्धन योजना– प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी संबंधित विभाग ग्राम स्तर की योजनायें बनायेगें तथा ग्राम स्तर पर डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा यह सूचना प्रत्येक वर्श अघतन प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा और आपदा प्रबन्धन के लिए यह सूचना एक प्रभावर्षाली तंत्र का कार्य करेगा।

ग– क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेगें तथा राज्य स्तर पर एच.सी. एम. रीपा मॉडल एजेन्सी होगी। जो राज्य स्तर एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विद्याओं के रिसोर्स परसंस तैयार करेगी तथा ये विशेश प्रशिक्षित रिसोर्स परसंस जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगें तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण करेंगें। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेन्स विभाग में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक विशिश्ट टीम तैयार की जावेगी।

घ–समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।

च–बहु आपदा रेस्पोरेन्स व्यूह–रचना–बहु आपदाओं के तुरंत प्रबन्धन के लिए इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है। उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेंनिग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है जो आवश्यकता पडने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

छ–एक इस प्रकार से संचार नेटवर्क विकसित किया जावेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिले से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूटरीकृत नियत्रंण कक्ष स्थापित किये जायेगें तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (S.D.R.N.) एवं इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (I.D.R.N.) तैयार किया जायेगा।

ज–प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियंत्रण हेतु पृथक–पृथक कार्ययोजना बनाने की आवष्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व एवं आपदा के पष्चात दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिए प्रत्येक आपदा विशेश के प्रबन्धन हेतु योजना एंव दिषा–निर्देष भी इस नीति में समायोजित किये जायेगें।

झ–राज्य में विभिन्न आपदाओं से संबंधित मैन्यूअल सरल प्रक्रिया अनुसार तैयार किये जायेगे। जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत/सहायता त्वरित गति से उपलब्ध करवाई जा सके।

अध्याय–3
आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था

3.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

इस अधिनियम में राश्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किये गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृश्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राश्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राश्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

3.3 स्थानीय प्राधिकरण–

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो

नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिश्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.4 जिला प्रशासन–

जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

3.5 पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं–

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाए, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहु– जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

3.6 नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स–

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षैत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जा सकती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन–जागरुकता के लिये उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रुप से डयूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढावा दिया जाएगा।

3.7 नेशनल केडिट कोर्प्स (एन सी सी), राश्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरु युवा केन्द्र संगठन–

सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिये इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को ईश्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

EOC setup and facilities available in the district- शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ./2017/5678–710 दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में कलैक्ट्रेट में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रुम को लगातार हेल्प लाईन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) 15 जून 2017 से आगामी आदेशों तक मानसून/बाढ. नियन्त्रण कक्ष के रुप में स्थापित किया जाता है। अतिवृश्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्ड दी क्लॉक" कार्यरत रहेगा। ई0ओ0सी0 के प्रभारी अधिकारी श्री विक्रम सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हनुमानगढ है, जिनके कार्यालय टेलिफोन नंबर 01552–261187 तथा मोबाईल नंबर 9680389117 है। ई0ओ0सी0 के टेलिफोन नंबर 01552–260299 तथा टोल फ्री नंबर 1077 है।

इस कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक कलैक्ट्रेट हनुमानगढ को सहायक प्रभारी अधिकारी (ई0ओ0सी0) बाढ. नियंत्रण कक्ष नियुक्त किया गया है। इनके कार्यालय के टेलिफोन नंबर 01552–260300 है। बाढ. नियंत्रण कक्ष में एक पंजिका का संधारण किया जाता है, जिसमें दैनिक घटनाओं का पूर्ण इन्द्राज किया जाएगा तथा उस पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट दर्शाई

जाएगी। वर्षा संबंधी दैनिक सूचना प्रभारी अधिकारी, बाढ. नियंत्रण कक्ष एवं सहायक प्रभारी एवं सदर कानूनगो, कार्यालय हाजा मौसम विभाग, सहायता विभाग तथा श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। (ई0ओ0सी0) नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों/कर्मचारियों की पारी वाईज ड्यूटी लगाई जाती है, जो तीन पारियों में 24 घंटे लगातार राउण्ड दी क्लॉक ड्यूटी पर कार्यरत रहेंगे।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसीज– सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिश्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अन्तरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके।

अध्याय–4

रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेश रुप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृश्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संसकृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। Measures कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थत तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर–संरचनात्मक न्यूनीकरण।

4.1 स्ट्रक्चरल शमन उपाय– यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की और से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्अर प्लान स्पश्ट रुप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संसोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन पतिचित शहरी विकास के पौश्टिक प्रक्रिया से जुडा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरुरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत–नियमिीकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बएने पर एक योजना बना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विशय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड रहे है। बिल्डिंग कोड सख्ती से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृश्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही Retrofitting भी विशेश सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं–

– मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और

– भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

4.2 गैर संरचनात्मक शमन उपाय– गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रुप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

4.3 तैयारी क्रियाविधि– आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार कर के , पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। इस संबंध में DDMA इस नियमित आधार पर तैयारियों के लिये उचित पद्वती सुझाएगा और जिले की विभिन्न गतिविधियों की योजना होगी।

4.4 जागरुकता कार्यक्रम– हर जगह हडतालों, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यह गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचने के लिये आयेजित किया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रुप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेश प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे–

–– जनसभाएं

–– पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने

–– नुक्कड नाटक

–– इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भागीदारी

–– ऑडियो/विडियो शो

–– बैनर और हॉल्डिंग

–– चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेश रुप से स्कूलों में छात्र रैलियां

–– अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

4.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण–विशेश समूहों, जिला(DMTs), उप विभाजन और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है/ किया जाएगा।

सभी समुदाय आधारित संगठनों(CBOs), सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षैत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाऐगा।

Summary of Mitigation measures(उपशमन उपाय) **गृह रक्षा हनुमानगढ**

Task	Activity	Authority for implemention	Starting date	Date of completion	Cost	Source of Fund
1	2	3	4	5	6	7

Rescue service and law and order duty security	During operation	D.M.	When Need	N.A.	Rs. 325/- per vol per day for 8 hrs.	D.M.

जिले में स्थित अमोनिया, मैयॉनोल एवं अन्य गैसों को उपयोग लेने वाली फैक्ट्रियों की सूची

क्र. सं.	फैक्ट्री का नाम	काम में ली जा रही गैस का नाम	उपलब्ध मात्रा (कि.ग्रा. में)	विषेश विवरण व मो.नं.
1.	मै0 श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, हनुमानगढ़	अमोनिया	2500	01552–260735
2.	मै0 शर्मा आईस फैक्ट्री, हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	400	94140–95304
3.	मै0 सरस्वती आईस फैक्ट्री, हनुमानगढ टाउन	अमोनिया	200	94140–95304
4.	मै0 श्री बालाजी आईस फैक्ट्री, हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया	100	94140–95304
5.	मै0 षिवा आईस फैक्ट्री, सतीपुरा हनुमानगढ़	अमोनिया	100	98283–69869
6.	मै0 षिवम ऐडहैषिव प्रा0लि0, हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया	500	01552–265210
7.	मै0 प्रिंस आईस फैक्ट्री, रोड़ावाली	अमोनिया	–	बंद
8.	मै0 मोहन फ्लोर मिल्स, संगरिया	अमोनिया	150	94611–07815
9.	मै0 षिवषक्ति आईस फैक्ट्री, संगरिया	अमोनिया	125	94139–31804
10.	मै0 अग्रवाल आईस फैक्ट्री, संगरिया	अमोनिया	200	94139–31804
11.	मै0 बंसल आईस फैक्ट्री, पीलीबंगा	अमोनिया	–	बंद
12.	मै0 गणेष आईस फैक्ट्री, पीलीबंगा	अमोनिया	300	94138–83975
13.	मै0 शंकर आईस फैक्ट्री, रावतसर	अमोनिया	200	94615–50348
14.	मै0 पवन आईस एण्ड चिलिंग सैन्टर, रावतसर	अमोनिया	300	95718–20000
15.	मै0 पशुपतिनाथ आईस फैक्ट्री, रावतसर	अमोनिया	300	90013–13105
16.	मै0 जगदम्बा बर्फ फैक्ट्री, रावतसर	अमोनिया	180	97829–82875
17.	मै0 दुर्गा आईस फैक्ट्री, रावतसर	अमोनिया	300	94135–36310
18.	मै0 मोनिका डेयरी, नोहर	अमोनिया	–	बंद
19.	मै0 गणपति दुग्ध अवषीतन केन्द्र, नोहर	अमोनिया	100	99286–13709
20.	मै0 नवीन इण्डस्ट्रीज, नोहर	अमोनिया	200	94145–11370
21.	मै0 लक्ष्मी आईस फैक्ट्री, नोहर	अमोनिया	200	94144–40504
22.	मै0 कविता आईस फैक्ट्री, नोहर	अमोनिया	–	बंद
23.	मै0 सांई बाबा कॉल्ड स्टोर, नोहर	अमोनिया	–	बंद
24.	मै0 जय अम्बे गंगा केमिकल्स प्रा0लि0, हनुमानगढ.	अमोनिया	–	बंद

	जंक्षन			
25.	मै0 श्री गंगानगर दु.उ.स.सं. मिल्क चिलिंग सेन्टर, नोहर	अमोनिया	500	01555–220083
26.	मै0 अनिल इन्टरप्राईजेज, नोहर	अमोनिया	200	99835–36951
27.	मै0 गणपति आईस फैक्ट्री, पीलीबंगा	अमोनिया	300	94146–57765
28.	मै0 गणपति आईस प्लान्ट, ब्रहमसर	अमोनिया	250	99826–67007
29.	मै0 मिल्क फुड एडस प्रा0 लि0, पल्लू	अमोनिया	200	98292–18566
30.	मै0 जय जगदम्बा आईस प्लान्ट, पल्लू	अमोनिया	250	99825–09312
31.	मै0 धुन्धवाल मिल्क चिलिंग सेन्टर, पल्लू	अमोनिया	350	99826–65308
32.	मै0 सिधू इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	200	97726–00007
33.	मै0 हरिओम आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर, हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	300	94144–82634
34.	मै0 एस एस ब्लॉकेन प्रा0लि0, हनुमानगढ जं.	क्लोरिन सल्फ्यूरिक एसिड कास्टिक सोडा	7200 31 टन 68 टन	94140–94610
35.	मै0 ज्योति इण्डस्ट्रीज नोहर	अमोनिया	200	94144–40504
36.	मै0 शुभ लक्ष्मी फूड्स हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	300	94140–94383
37.	मै0 बंसल चिलिंग सेन्टर, मानकसर	अमोनिया	200	94140–95500
38.	मै0 नंद राम दौलत राम बिहाणी, हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	150	76655–50000
39.	लीलाधर बिहाणी साल्टपिटर (इण्डिया) लि0 हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	200	94140–94360
40.	मै0 वरूण कैमिकल्स, हनुमानगढ़ जंक्षन	अमोनिया	300	94140–90326
41.	मै0 अपाला चिलिंग प्लांट, नोहर	अमोनिया	300	94619–01450
42.	मै0 जय दुर्गे आईस फैक्ट्री, भादरा	अमोनिया	500	
43.	मै0 गिरधर गोपाल मिल्क अवशीतन केन्द्र,रावतसर	अमोनिया	200	99826–80635
44.	मै0 महेश इण्डस्ट्रीज, रावतसर	अमोनिया	200	98298–37892
45.	मै0 कुबैर डेयरी, पीलीबंगा	अमोनिया	200	82392–22229
46.	मै0 सुखद मिल्क प्रोडक्टस प्रा0लि0, जण्डावाली	अमोनिया	300	97823–24116
47.	मै0 रिद्धी–सिद्धी आईस फैक्ट्री, टिब्बी	अमोनिया	200	94138–85481
48.	मै0श्री विनायक इण्डस्ट्रीज, रावतसर	अमोनिया	200	94138–85481

अध्याय–5

तैयारियों के उपाय

आपदा प्रबन्धन योजना के विभिन्न चरणों का विवरण

5.1 आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरणः–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं की रोकथाम, नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए तीन चरण निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना।
2. द्वितीय चरण– आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तत्कालिक राहत व्यवस्था करना।
3. तृतीय चरण– आपदा के बाद की पुर्नवास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना।

5.2. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना :–

आपदा घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (Prevention. Mitigation and Preparedness) शामिल है। इस चरण में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकडों का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से संबंधित नोडल विभागों व संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक्षन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आते है। जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेष किया जावेगा :–

1. **भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार करना**– केन्द्र सरकार के निर्देषानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (I.D.R.N.) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं **जिला कलक्टर के पास कम्प्यूटर में वेबसाईट पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन एवं शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री एवं मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेगी।** आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता टेलीफोन नं0 के भी उपलब्ध हेागा, ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

अ–विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री एवं व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है उनकी जानकारी तैयार की जावेगी, जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों एवं राज्य के बाहर जहां भी वे संसाधन उपलब्ध होगें उन्हें तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

ब–सामग्री मानव संसाधन, मशीनों व यंत्रों और उपकरणों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का प्रत्येक छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता व टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जायेगा व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित व आदिनांक किया जायेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिले के जिला कलक्टर की होगी, परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले संबंधित अधिकारियों को

इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पांबद करें कि वे आवश्यक सूचनायें जिला कलक्टर को उपलब्ध करायें व उसमे नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

2. **आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न**– भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौधोगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावें, जो प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनस्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। **अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूराईजड नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें।**

3. **नियोजित विकास करना**–विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविश्य में प्रभाव व खतरों का कम करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को सतत् विकास प्रक्रिया में शामिल किया जावे। जैसे– सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियरेटरों से सुसज्जित होना, 24 घंटे विधुत व्यवस्था होना, एम्बुलेंसों की व्यवस्था, भविश्य में बनने वाले स्कूल भवनों, सरकारी भवनों आदि को उॅचे क्षेत्रों में निर्माण करना जो भविश्य में आपदा के समय आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सके।

4. **कानून, नियम उपनियम तथा दिषा–निर्देष का निर्माण करना**– सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने के लिए स्पश्ट नीतियां, दिषा–निर्देशों एवं नियम हों एवं उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं, एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो, इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

क–भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण की संरचना व डिजाईन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से निर्माण के स्पश्ट नियम/उपनियम व भवनों के रैट्रोफिटिंग संबंधी विभिन्न दिशा–निर्देश।

ख–भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पश्ट नियम एवं प्रावधान।

ग–फसल चक्र के स्पश्ट प्रावधान, दिशा–निर्देश व पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

घ–महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्य योजना होगी, स्पश्ट दिशा निर्देश व विभागों की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

ड–बाढ़, आंधी, तुफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पश्ट निर्देश।

च–आपदा प्रबन्धन से संबंधित कानूनों व नियमों का निर्माण।

छ–पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों, व पुराने फेमिन कोड व अन्य विभागीय मैन्युअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संषोधन।

ज–बडे शहरों में बहुमंजिले भवनों में आग में बचाव के समस्त उपायों को आई.एस. कोड व एन.बी. कोड के प्रावधान को भवन निर्माण कानून में जोडने बाबत नियमों में संशोधन।

5. **आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण करना**– सभी आपदाओं से प्रभाव रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेगें व समय समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका प्रत्येक वर्श पूर्वाभ्यास करेगें।

6. **आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढांचा तैयार करना**– आपदा से पूर्व चेतावनी यदि उचित स्तर पर हो सके तो आपदा के प्रभाव व खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं आपदा से संबंधित नोडल विभाग पूर्व चेतावनी की पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

7. **आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रकिया अपनाना**– कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत व बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुर्नवास व विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन को आपदा व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। इस संबंध में सरकार की ओर से स्पश्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

8. **क्षमता निर्माण करना**– किसी भी आपदा के प्रभावी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं व आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आपदा से संबंधित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने के लिए उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान।
3. आपदा से निपटने के लिए विशेश ज्ञान के समवर्गों की स्थापना एवं प्रशिक्षण व रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा के रेस्पोन्स मेकनिज्म की स्थापना करना, जिससे आपदा के विशिश्टीकरण कैडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से संबंधित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिए उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों में पाठयक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन सरचनाओं एवं माडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोागो को प्रदान करना एवं सभी इन्जिनियरिंग कॉलेजों के पाठयक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक गांव व मौहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवा गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जाये एवं पीडित व्यक्ति को कहॉ एवं किस अस्पताल में पहुंचाया जावें इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाए आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पडोसी या उसके गांव व कालोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों के गांव व कस्बों में सतर्कता समितियों व स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना।

9. **प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना–**

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की नोडल एजेन्सी एच.सी.एम. रीपा होगी।

1. ऐसे व्यक्ति जिसे आपदा प्रबन्धन में सक्रिय रूप से जुडे रहने की आवश्यकता है उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेशज्ञ समिति द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।

2. इसके अतिरिक्त आपदा से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्यों से संबंधित विशेश प्रशिक्षण दिया जावेगा जिससे आपदा के समय व बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सके।
3. उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबन्धन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबन्धकीय ज्ञान को प्रतिवर्श अद्यतन किया जावेगा।
4. जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जावेगें।

10. स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर व्यवस्था–

किसी भी आपदा में पीडित पक्ष को तुरन्त राहत पहुंचाने में मेडिकल केयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की इतनी क्षमता एवं संसाधनों की उपलब्धता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हो। ऑपरेषन थियेटरों का सुसज्जित व पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घंटे विधुत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसों एवं मोाबाईल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये।

5.3 द्वितीय चरण–

आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना–

इस चरण में राज्य प्रषासन के आपदा के विरूद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहों एवं संस्थाओं को दिये गये विशिश्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत सक्षमताओं के विकास का बहुत बडा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने की कार्यवाही इसकी पूर्व तैयारी सतर्कता एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा से निपटने के लिए इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. **संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना–**

1. आपदा के तुरंत बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ईमेल सुविधा व अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिश्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनायें प्राप्त की जावेगी तथा नियत्रंण व रोकथाम की कार्यवाही के लिए निर्देष जारी किये जायेगें। यहां से सूचना माध्यमों व आम जनता के लिए आवष्यक सूचनायें सामान्य रूप से जारी की जावेगी व जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जावेगी।
2. आपदा स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेगें जहां से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यों से संबंध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।
3. जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है वेसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पति की रक्षा के पूर्ण प्रयास किये जायेगें।
4. विशेश रूप से बनाये गये कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेगें। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीक्षा राहत उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

2. **सर्च एवं रेस्क्यू टीम का गठन करना–**

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितना त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फंसे हुए लोगों को त्वरित गति से बाहर निकाला जायें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जायें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जावें यह सब जिम्मेदारी जिला कलक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर संभव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों से जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

3. आवष्यक सेवाओं की बहाली करना–

आपदा की स्थिति में बिजली पानी, संचार के साधन सडक, पूल, आदि की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते है। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो तथा किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गई हो तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जावें। जिला प्रशासन, सभी विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

4. **आपदा पीडितों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था कराना–**

आपदा के समय खाध आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गडबडा जाती है। अधिकांश लोागों के मकान ध्वस्त हो जाते है। या बाढ़ भूकम्प व अग्निकांड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता हेाती है।

5. आपदा के बाद राहत आंकलन करना–

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जिला प्रषासन एवं संबंधित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुश्य एवं पशुओं के हुए नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुचांई जा सके।

अ– जन एवं सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेगें जो आवश्यकता पडने पर तुरंत कार्यवाही करें। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पति छोड़कर अन्यत्र चले जाते है। उनकी सम्पति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेगें।

ब– संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत एवं बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन एंव सम्पति की हानि तथा बचाव व राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरन्तर दी जावेगी।

6. **राहत पीडितों के लिए राहत पैकेज उपलब्ध करना–**

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहियें। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहियें। उसमें किसी भी प्रकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

7. **आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीडित व्यक्तियों को पहुंचाने की परिवहन की व्यवस्था करना**–

आपदा के समय पीडित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता हेाती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस.आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जावें। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते है अत ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेश कोश की व्यवस्था करायेगी। यह कोश

राज्य सरकार दानदाताओं एवं निजी आपरेटरों से एक निश्चित शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

8. **क्रेन बुलडोजर एव आवष्यकतानुसार संसाधनों का अधिग्रहण करना–**
कई बार भूकंप एवं मकानों के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते है उन्हें तुरंत निकालने के लिए केन, बुलडोर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होगें। उनके किरायें एवं फसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेंडर प्रकिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलक्टर को होगी।

5.4 तृतीय चरण–

आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना–
आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास शीघ्र किये जायेगे। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनस्थापित करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. **विस्तृत हानि का आंकलन–**
आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जाता है। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुश्परिणामों को समाप्त कर एक स्थाई सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार की होगी।

2. **प्रभावित लोगों को पुनःस्थापना–**
यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृश्टि से उन्हें मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में उन्हें बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विधुत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चों के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

3. **पुनर्स्थापना एवं पुनः सरंचना योजनाओं की स्वीकृति–**
दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिए विस्तृत एस्टीमेंट बनाना उसकी तकनीक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे की इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

4. **धन का आवंटन एवं ऑडिट करना–**
विभिन्न माध्यमों से वित व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियंत्रण एवं आडिट आवश्यकता इस चरण में होती है। जिससे कि धन का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं हो सके।

5. **परियोजना प्रबन्धन–**
पुनर्वास एवं पुननिर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनीटरिंग की आवश्यकता है इसके मुख्य निम्न कार्य है–

- भवनों का आपदा प्रुफ एवं रेट्रोफिटिंग
- रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनों का निर्माण
- आपदा से क्षतिग्रस्त सडकें, पूल, बांध कैनाल आदि के भी स्ट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव।

- आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएं जैसे सड़क, पावर स्टेषन एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवेलाईन, आदि योजनाओं का मोनीटरिंग।
- स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण प्राथमिक उपचार केन्द्र, डाक्टरों व सर्जनों की आवश्यकता
- ध्वस्त औघोगिक इकाईयो की पुनस्थापना
- आजीविका का पुनर्स्थापना।
- आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशवरा।

6. **संचार नेटवर्क एवं जनजागृति–**
   किसी भी आपदा के स्थाई समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

5.5 संवेदनशीलता–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है। लोग स्थिति स्थान समय घटना भवन आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जनसुविधाएं, आवश्यक जन सेवायें जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृशि भौतिक साधन है। जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते है–

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ।

द– हल्के, लकडी, पतो आदि की झोपड़ियॉ।

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर– जिले का लगभग 15 प्रतिषत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान प्रभावित क्षेत्र में आता है।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर– जिले में पकी हुई ईटों या बडें पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ– इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात भूकम्प की दृश्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द– हल्के, लकडी, पत्तो आदि की झोपड़ियॉ– हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियॉ, हल्के लकडी पतो आदि की सामग्री से बने हुए है जो भूकम्प की दृश्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों मे अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

य– आर्थिक, सामाजिक, संवेदनषीलता–हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

5.6 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी है और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

अध्याय– 6
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. **दृश्टिकोण–** आपदाएं समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक ताक कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उडीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

राजस्थान में सूखा या अकाल की स्थिति रहती आई है जिससे बडी संख्या में मानव तथा पशु प्रभावित हुए हैं तथा अकाल मौत का शिकार हुये है। हनुमानगढ जिले में से घग्घर नदी गुजरती है, जो बरसात के मौसम में अक्सर ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे कई बार बाढ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जानमाल का नुकसान झेलना पडता है। इसके अलावा यहां सूखा, अतिवृश्टि, ओलावृश्टि, शीतलहर, लू, आग आदि आपदाऐं अपना प्रभाव दिखाती रहती है।

भारत सरकार ने वर्श 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राश्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विशम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बडा. योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परंतु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. **क्षमता निर्माण हेतु योजना–**

क्षमता निर्माण के दृश्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

– प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षैत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिश्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

– राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राश्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।

– अपनी कुशलता सिद्व कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

– अंतर्राश्ट्रीय तथा क्षैत्रीय सहयोग को बढावा देना।

– पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेश्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

– राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लैशण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण– जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों , अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षैत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण– समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

1. नागरिक सुरक्षा/स्वंय सेवक (समस्त विवरण परिशिश्ट में दिया गया है।)

3. आपदा प्रबंधन की शिक्षा

1. स्कूलों– जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन–जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

4. कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करना– समय–समय पर इन कौशन उन्नयन प्रशिक्षणों की आवश्यक जांच की जाएगी।
5. प्रशिक्षित पेशेवरों की सूची, इंजीनियर्स, वास्तुविद, Masons, चिकित्सा, बचाव विशेशज्ञ (समस्त विवरण परिशिश्ट में है)

अध्याय– 7

प्रतिक्रिया और राहत उपाय

परिचय– हनुमानगढ जिले में जैसे राजस्थान कैनाल नहर, घग्घर फ्लड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम डिपो, घग्घर धारा पर रेलवे ब्रिज, गोगामेडी मेला, पंजाब, हरियाणा राज्यों का सीमांत ईलाका होने के कारण बाढ. ,भगदड.,अग्निकाण्ड, भूकम्प इत्यादी घटनाऐं संभावित है, इस आपदा से निपटने हेतु गृह रक्षा हनुमानगढ द्वारा निम्न प्रकार से कानून व्यवस्था/सुरक्षा/रेस्क्यू सर्विस इत्यादि हेतु मानवशक्ति उपलब्ध है।

गृह रक्षा स्वयंसेवकः– स्वीकृत नफरी–501, ऑनरोल–496, रिक्त– 05

ऑनरोल नफरी में अन्य विभिन्न कार्यों में दक्ष स्वयंसेवकों जैसे वाहन चालक, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, बैल्डर राजमिस्त्री की सूची परिशिश्ट में संलग्न है।

आवश्यकता होने पर उक्त मैन पावर निम्नानुसार समय में उपलब्ध करवाई जा सकती है।

1- छः घण्टे के नोटिस पर– 20 प्रतिशत

2- 12 घंण्टे के नोटिस पर– 50 प्रतिशत
3- 18 घण्टे के नोटिस पर– 70 प्रतिशत
4- 24 घण्टे के नोटिस पर– 100 प्रतिशत

बहु– आपदा प्रतिक्रिया योजना, तैयारी तथा मूल्यांकन

1. नुकसान तथा आवश्यकता/जरूरत का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है।
2. प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट तैयार किया जाता है।

चेतावनी –

1. पूर्व चेतावनी प्रणाली, गावो तथा जिले की बीच संचार प्रणाली– समुचित संचार का व्यवस्था की जाएगी।
2. चेतावनी का प्रसार– सरल भाशा में प्रसार, विभिन्न मीडिया स्त्रोतो से चेतावनी जारी करवाई जाएगी।

अध्याय– 8

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचयः– आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण है और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। एसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकडे जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रुप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते है और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीडितों का मनोबल बढाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

8.1 लघु अवधि योजना–

अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती है और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षैत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाशित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाशित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी–

1. राहत के रूप में जुटाऐ जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीवव्रा के आकडों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता हैं।

2. कुछ क्षैत्र आपदा से ग्रस्त है और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविश्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते है।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोशणा विशेश प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविश्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा ,में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य ,गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बादः–

8.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव ,निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायू सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए।सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उधोग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें। परंपरागत रूप से, चिंन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेसियों, जो बडी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे है। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर , दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढानें और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा ।

8.1.3 राहत अभियान

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीडितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प ,आग, बाढ, दंगे, आतकंवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीडितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

8.1.4 पुनर्वास

अल्वावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निश्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुननिर्माण के शेश कार्यो को ले जायेगा।

8.2 दीर्घकालिक योजना

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नही है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निमार्ण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्वेश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बडी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के

लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।

2.पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है , के स्तर का फेसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नही है । पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।

3.एक समुदाय , जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते है बाहर करना चवाहता है के विस्तृत सर्वेक्षण , बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

4.दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोशजनक आश्रय,आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्वेश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्वेश्य नही है और एक उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।

5.लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है।उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुवर्चास के लिए जरूरत है, ण्क ही भुमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नही हकया जा सकता है।

6.लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापुर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है,।

अध्याय– 9

DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

1. राज्य –
   - राज्य बजट/प्लान फण्ड
   - राज्य शमन निधि
   - राज्य प्रतिक्रिया निधि
2. जिला
   - जिला प्लानिंग फण्ड
   - जिला प्रतिक्रिया निधि
3. आपदा जोखिक बीमा
4. बुनियादी ढांचा/आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तपोशण विकल्प

अध्याय– 10

DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

10.1 तैयारी और DDMP का अपडेशन–

संगठनात्मक DDMP में दिया सुझाव निम्नलिखित अवधारणाओं के आधर पर किया जायेगाः–

योजनाओं के मामले में ही काम करेंगे। जब वर्तमान संगठनातत्मक ढांचा अपने आपातकालीन कर्तव्यों को करने के लिए जिम्मेदार है तो यह काम अच्छी तरह से किया जाता है । यह सबसे अच्छा है कि आपातकाल के दौरान संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। संकट में सरकार से सबसे कम समय पर तत्काल मुलाकात की जानी चाहिऐ। स्थानीय योजनाओं में यदि आवश्यक हो तो पूरक, अगले उच्च अधिकार क्षेत्र से प्रतिक्रिया के लिए कह सकते है। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया और निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की और जोर दिया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रबंधन साझेदारी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के सभी चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। जिले की जिला आपदा प्रबधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। DDMP योग और जिले के सभी क्षैतिज और उर्ध्वाधर आपदा प्रबधन की योजना का पदार्थ है। क्षैतिज योजनाओं में पुलिस, अग्निशमन सेवा, एमएमसी के रूप में लाइन विभागों द्वारा तैयार योजना शामिल है, और एफसी विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों और कार्यक्षेत्र की योजना, उप मंडल की योजना, सामुदायिक योजना, स्कूल योजना, अस्पताल, निचले स्तर पर आदि योजनाओं में शामिल और राज्य आपदा प्रबधन योजना और उच्च स्तर पर राश्ट्रीय आपदा प्रबधन योजना है। जिला आपदा प्रबधन योजना की तैयारी जिले के जिला आपदा प्रबधन समिति की जिम्मेदारी है। पहला मसौदा योजना पर DDMC में चर्चा की जायेगी और बाद में DDMC अध्यक्ष इसमें सुधार हेतु सुझाव देगें ।

योजना के दस्तावेज को अद्यतन करने में एक ही प्रक्रिया का पीछा किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्श अपडेट किया जा रहा है। दस्तावेज को अद्यतन करने के लिये, सभी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर योजनाएं एकत्र की है और जिला आपदा पंबंधन योजना (DDMP) को शामिल किया जाएगा।

जिला आपदा पंबंधन योजना (DDMP) में से प्रत्येक अपडेशन के बाद, एक संस्करण संख्या क्रमानुसार दी जाएगी। अद्यतन दस्तावेज की प्रति जिले में आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितधारक को परिचालित की जाएगी।

10.2 जिला आपदा पंबंधन योजना (DDMP) का रेगुलर अपडेशन–

DDMP को अद्यतन करने की उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा, एक नियमित रुप से डेटा संग्रह प्रणाली जिले के आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इओसी) में स्थापित किया जाएगा और सत्यापित डेटा अध्यक्ष, DDMC की देखरेख में प्रभारी ईओसी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

10.3 पोस्ट आपदा मूल्यांकन तंत्र–

आपदाएं हमेशा अप्रत्याशित होती है। प्रत्येक आपदा मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान का कारण बनती है, और हर आपदा के लिये एक विशेश अंतराल के बाद दोहराता है। इसके अलावा एक विशेश आपदा से सबक सीखकर किसी संभावित खतरे के लिये योजना बनाने में मदद मिलेगी।

DDMC अध्यक्ष आकार और सुरक्षा की एक विशेश आपदा पर ध्यान दिये बिना डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेश व्यवस्था करेगा। इस पोस्ट में आपदा मूल्यांकन तंत्र को अच्छी तरह से crosschecked और आगे के संदर्भ के लिए ईओसी में प्रलेखित किया जाएगा। योग्य व्यवसायों, विशेशज्ञों और शोधकर्ताओं और एकत्र आंकडों के साथ स्थापित किया जाएगा। इस दस्तावेज को उचित ध्यान में रखते हुये राहत और पुनर्वास उपायों के साथ किया जाएगा।

10.4 विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय–

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते है। और जितनी जल्अी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरुरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पश्ट रुप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग–2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रुप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निटने के लिये ज्यादातर मामलों में शामिल किया जाना हैं। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षैत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बना मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रुप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और एसी स्थिति में मल्टी सर्विस भागीदारी के लिये जरुरत की सराहना कर सकते हैं।

10.5 निश्कर्श–

जिला स्तर के विभिन्न विभागों को विभिन्न गतिविधियां सौंपी गई है। इन विभागों की विभागीय नियमावलीनीचे अलग–अलग अधिकारियों की जिम्मेदारियां रखना, आपदाओं को रोकने के लिये और एक आपदा की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया गतिविधियों की शुरूआत के लिए जिम्मेदारियों को भी शामिल किया है। हालाकि , इस योजना की जिममेदारियों को संबधित विभागीय मैनुअल में निर्धरित करने के लिए सीमित नही है। यह एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया क लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए प्रयास करता है । विभिन्न संसाधन संग्रठनों के अधिकारियों को आपदा की स्थिति या एक आपदा के खतरे में अपने दम पर कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद कर रहे है।लेकिन वे निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट और ईओसी कार्यवाही के बारे में सूचित उनके दवारा लिया गया था और उच्च अधिकारी से निर्देशो के अनुसार तुरंत कार्य करने के लिए उम्मीद कर रहे है।एक आपदा की स्थिति में, एक त्वरित राहत एवं बचाव मिशन के लिए आवश्यक है । हालाकि आगामी नंकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है,तो पर्याप्त तैयारियों के स्तरको प्राप्त कर रहे है। वास्तव में, यह अतीत में देखा गया है , कि जब कभी ध्यान पर्याप्त तैयारियों के उपाय करने के लिए भुगतान कियश गया है, जीवन और संपति को नुकसान काफी कम हो गया है।

अध्याय– 11

DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1 आपातकालीन सहायता कार्यो (ESF)

आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) विभिन्न पहचान की प्रतिक्रिया टीम है, जो किसी भी आपात स्थिति से पहले अपनी ताकत का आकलन कर्रेगें और उसके अनुसार उनके मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार कर्रेगे किसी भी आपदा को कम करने के लिए कर रहे है। उनकी अच्छी तरह से तैयारियों में किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इन आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) कुछ जरूरत के अनुसार पहचान की जायेगी एसे ESF चेतावनी (संचार) ESF –सडक, मलबे निकासी ESF –राहत आदि इसलिए आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने के रूप में किसी भी आपदा के दौरान महसूस किया कार्य होता है।

(ESFs) का एक प्रभावी संचालन प्रणाली के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

–वयक्तिगत ESFs उनका मानक परिचालन प्रकिया एसओपी और योजना तैयार करना होगा।

–इन योजनाओं को जिला रिस्पांस योजना के फार्म करने के लिए एकीकृत किया जाएगा

–समय समय पर प्रत्येक ESF सिमुलेशन व्यायाम (मॉक डिल)का अभ्यास उनकी lacunas समझने के लिए होगा।

–वे नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया प्रणाली को अदयतन करने के लिए है।

एक पुल राज्य, जिला स्तर और आनसाइट स्तर की इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों के बीच एक सूचना के आधार पर समर्थन करने के रूप में कार्य करने के लिए, वहां एक जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर होने के लिए है और जमीनी स्तर से जानकारी इकटठा करने के लिए परिचालन हो रहा है, जिला स्तर के साथ ही राज्य स्तर के रूप में।

आपातकालीन सहायता कार्यो ,अपने दल के नेताओं और सर्मथन एजेंसी की सूची निम्न तालिका में जानकारी दी जाती हैः–

ESF	Function	Team leader	Participation agencies
ESF1	coordination	District magistrate	Dig/SSP,ADMcity, nagar parished special officer,special officer district fire officer, chief medical officer,Dist supply officewr,city magistrate RTO, Executive Engineer, PWD , District information officer, Civil defence, Home guards and all other relevent departments
ESF2	communication	SSP	ham radio operator clubs,Existing wireless operators(police,fire,revenue) Telecom dept, mobile operators, FM radio Doordarshan radio
ESF3	Debris clearance	Municiple commissioner	nagarparished,Forest officer, PWD NCC, Zila sanik Board Nearst army cant
ESF4	information dissemination	VC-MDA	NGO,Emergency operation centre, Media,NSS,scout & guide,education department
ESF5	Emergency Medical response	CMO/CMS Health	civil hospital,nagar parished,blood bank,red cros society, Nursing home, lion clubs, ambulance service, medicine stokist
ESF6	Evacuation(sea rch & rescue)	Chief fire officer	Fire service,police officer cum dog handler,civil defence,home gaurd,health,NCC,NSS,Zila sanik Board Nearst army cant
ESF7	Relief	ADM (relief)	District Supply officer, Food corporation of india, Local civil supply
ESF8	Electricity water Transport	ADM (city)	DM office,Police(traffic), Transport Dept,Public Health Engineering, Water

			Resource,PWD(Roads)
ESF9	Law and order	ADM (city)	SDM, ADDi.S.P., Home Guards, Other paramilitary agencies

11.2 जिला स्तर पर ESF संगठन सैटअप–

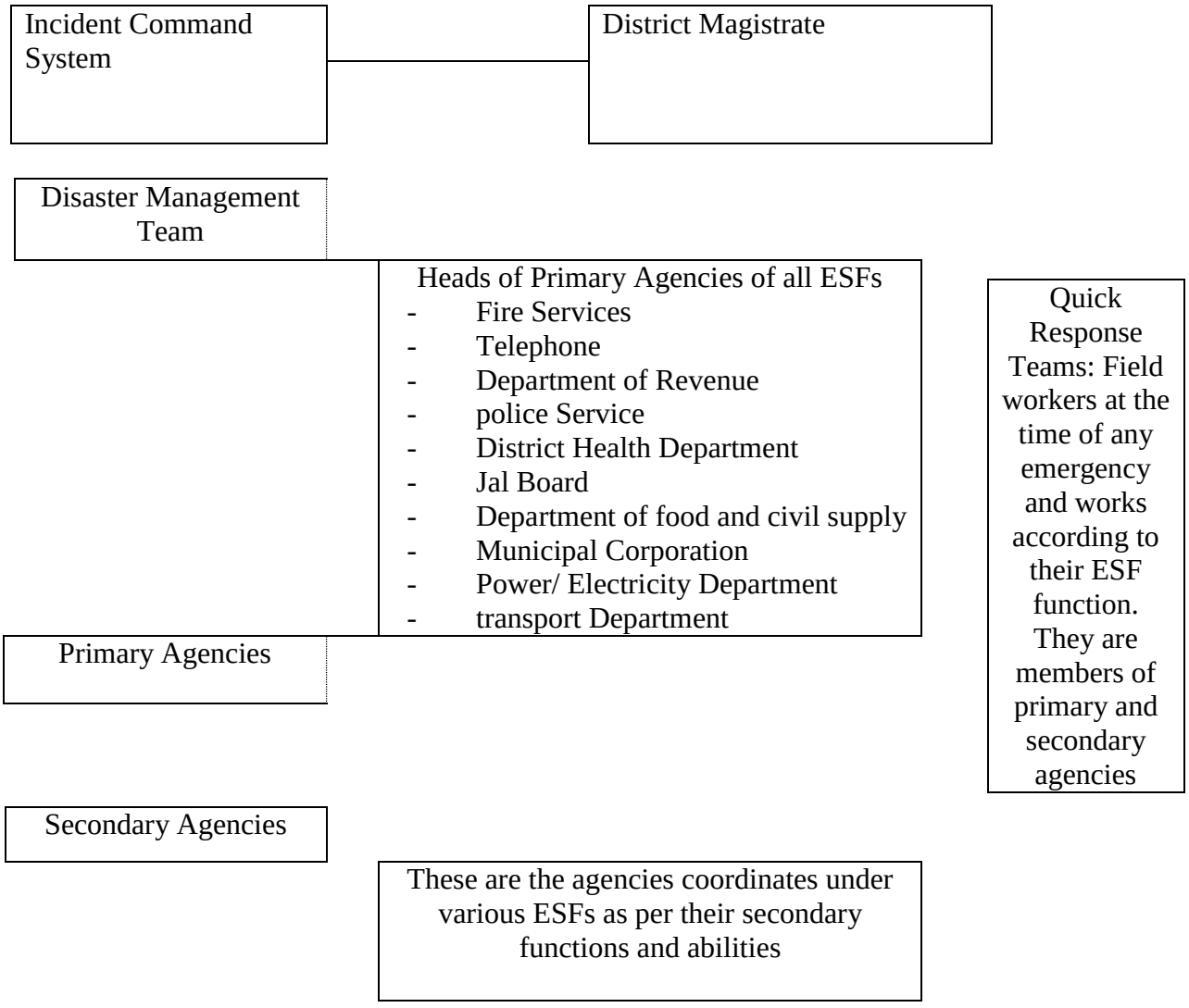

11.3 जिम्मेदारियां और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्य–

1. **समन्वय**–

टीम लीडरः जिलाधिकारी

भाग लेने वाली एजेंसियां–एसएसपी(एफ/आर), एडीएम(कानून और व्यवस्था), नगर निगम, एमडीए, जिला अग्निशमन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सिटी मजिसट्रेट, डीटीओ, युवा सह–समन्वयक, इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अन्य संबंधित विभाग।

किसी भी आपदा की प्रत्याशा में जिला प्रशासन विभिन्न एहतियाती कदम उठाएगा। नियंत्रण कक्ष, नदी और नहर तटबंधों में पिछले उल्लंघनों के बंद होने के कामकाज और कमजोर अंक, बारिश रिकॉर्डिंग और वर्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गेज पढने का संचार, बाढ./ चक्रवात क्षेत्रों के कामकाज, शक्ति, नौकाओं की तैनाती, अस्थाई वीएचएफ स्टेशनों, टेलिफोन लाइनों की व्यवस्था, खाद्य सामग्री के भंडारण, जल निकासी, पशु चिकित्सा के उपाय, बाढ./चक्रवात में आश्रयों का चयन आदि के लिये ठीक से व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी।विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों को आपदा के दौरान अपने कर्तव्यों से अवगत करवाया गया है।

2. **संचार**–

टीम लीडरः एसपी, हनुमानगढ

एजेंसियां– हैम रेडियो आपरेटर क्लब,वायरलैस ऑपरेटरों, दूरसंचार विभाग मोबाइल आपरेटरो, एफ एम रेडियो, रेजीमेन्ट सेना, दूरदर्शन, रेडियो।

विभागीय योजनाएंः–

दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक आपातकालीन संचार योजना माध्यमिक सहायक एंजेसियो की सहायता से कार्यात्मक अवधारणा का समर्थन करने के लिए विकसित करना होगा ।

अत्यावश्यकताः–

यह संभंव है कि टेलीफोन सेवा भुकम्प में बहुत बुरी तरह से बाधित हो जायेगी, टेलीफोन प्रणाली के सभी घटक समान रूप से प्रभावित हो जायेगें , लेकिन शुरू में भूमि आधारित घटकों की विफलता कुल प्रणाली की विश्वसनीयता की एक सामान्य विफलता का कारण होगा। टेलीफोन प्रणाली को धीरे– धीरे सुधार करके प्राथमिकताओं के अनुसार सेवा में वापस लाया जाता है।

इस कार्य में केवल आपातकालीन संचार आवश्यकताओं तक सीमित है, जैसे आपदा के दौरान सार्वजनिक क्षैत्र की संचार बहाली दूरसंचार विभाग के आपातकालीन कार्यों के एक भाग के रुप में है।

तत्काल कार्य–

– नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट का संग्रह
– राज्य/ देश के बाकी हिस्सों के साथ संचार की स्थापना के संबंध में प्रभावित क्षैत्रों की स्थिति
– क्षैत्र में प्रमुख अधिकारियों की स्थिति
– राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के रुप में अच्छी तरह से राहत केंद्रों के साथ रेडियो संचार स्थापित करना

प्रारंभिक कार्रवाई–

– प्रभावित क्षेत्र के भीतर परिचालन दूरसंचार सुविधाओं को पहचानें
– प्रभावित साइट के लिये दूरसंचार सुविधाओं को ले जाने के लिये आपातकालीन परिचालन सेवायें स्थापित करना
– उनकी सुविधाओं के पुनर्निमाण की दिशा में निजी दूरसंचार कंपनियों के वास्तविक और सुनियोजित कार्रवाई को पहचानें।

3. **मलबा मंजूरी–**

टीम लीडरः नगर आयुक्त

एजेंसियां– नगर निगम, लोक निर्माण विभाग(सडक एवं भवन निर्माण), विद्युत बोर्ड, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जल बोर्ड

तत्काल कार्य–

– सभी तकनीकी अधिकारियों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिये अधिसूचित किया जाएगा
– आवश्यकताओं की बचत व जीवन को बचाने के लिये संसाधनों के संचालन का प्रावधान करना
– सभी सड.कों, नींव और खम्भों के नीचे पानी के निरीक्षण सहित पुलों का निरीक्षण

– पारगमन और राहत शिविरों, केंद्रों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिये स्थानों की पहचान करने में जिला मजिस्ट्रेट की मदद करना
– तैयार पृथ्वी की चेन, केबल के साथ उपेरण, क्रेन, ट्रेक्टर की मांग और ईंधन के बफर स्टॉक की व्यवस्था
– सडकें जो अस्पताल और मंख्य सडकों के लिये खोला जाएगा, की प्राथमिकता सूची तैयार करना
– राहत शिविरों और आपदा पीडितों को चिकित्सा सुविधा के लिये अस्थाई पारगमन के लिये उपयोग के लिये अस्थाई सडकों का निर्माण
– संभावित तकनीकी नुकसान का आकलन
– तोडफोड., मलबे के मार्ग निकाससी आदि

4. सूचना प्रसार–

टीम लीडर– पीअरओ

– आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकटठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीउिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है।राहत , पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोशणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोशणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था , जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बडी. आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।
– मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।
– जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोशणाएं अद्यतन गुजरती है।

5. इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस –

टीम लीडर– सीएमएचओ

ऐजेंसियां– नगर निगम, ब्लड बैंक, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, निजी अस्पताल, एनएसएस, रोटरी क्लब, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा Stockiest

आवश्यकता– एक गंभार आपदा में सवास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली शायद किसी अन्य तरीके से अधिक इसके प्रभाव की विशेशता है। वहां कई घायल व्यक्तियों के होने की संभावना, चोट के प्रकार, मलबे के नीचे फंस जाने में तत्काल असपताल देखभाल की आवश्यकता है। एक ही समय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिये आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है।

– सभी राज्य और जिला स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है कि घायलों के लिये आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये जुटें। गंभीर रूप पे घायलों को अस्पताल में निरंतर देखभाल,
–एक स्थान, जहां बीमार और घायलों की देखभाल की जा सके वहां के लिये धायलों की निकासी,
– आम जनता की शिक्षा के माध्यम से महामारी की रोकथाम
– चिकित्सा की आपूर्ति, रक्त और रक्त उत्पादों के वितरण के लिये राज्य स्तरीय समन्वय, एंबुलेंसस सेवाओं का संचालन
– महामारी के दौरान टीकाारण कार्यक्रम की शुरूआत।
– स्वासथ्य विभाग के कुछ सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब भी जरूरत, रोगियों को शिफ्ट करने के लिये है, प्रत्येक वार्ड में आम जनता के प्राथमिक चिकित्सा और डिस्पेंसरी, रक्त, पटटी, कपास, बेंजीन, डेटॉल और जीवन रक्षक दवाओं/ इंजेक्शन की एक आरक्षित स्टॉक बनाए रखना चाहिये, के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्य–

– जिले के लिये नोडल स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करना
– सुनिश्चित करें कि जिले के भीतर काम कर रहे कार्मिक, जिला नोडल अधिकारी के सीधे नियंत्रण में आते हैं
– आपातकालीन रोगी के लिये कपडे., मोबाइल अस्पताल, उपकरण आदि तैयार रखना,

– रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के लिये भाग लेने, आवश्यक रूप में जहां स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षैत्र में जहां निजी क्षैत्र की दवा की दुकानों से काम बंद हैं में आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का विस्तार, आदि।

6. निकासी (खोज एवं बचाव)–

टीम लीडरः मुख्य अग्निशमन अधिकारी

एजेंसियां– जिला मजिस्ट्रेट, नगर परिशद, सार्व0 निर्माण विभाग, फायर सर्विस, पुलिस अधिकारी सह डॉग हैंडलर, नागरिक सुरक्षा, हॉमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, जिला सैनिक बोर्ड, निकटतम सेना टुकडी.

आवश्यकता–

शहरी क्षैत्रों में इमारतों के ढहने, आग आदि में सेना के बूते बचाव स्थितियों को हल करने तें शामिल हो सकते है। इन स्थितियों में व्यापक मलबे में, जहां स्पश्ट पता नहीं चलता, तो बचाव की विशेश जरूरत है। कुछ बचाव स्थितियों में फंसे लोगों को निकालने में भारी वसतुओं को ले जानें में कटौती की जानी चाहिये, शायद टनलिंग तकनीक की जरूरत हो सकती है। अक्सर जहां एसे हालात हों, वहां अन्य विशिश्ट कौशल जैसे प्राथमिक उपचार के परे ऑन दृश्य चिकित्सा देखभाल के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्यः

– घायल लोग हैं, जो क्षतिग्रस्त भवनों और अन्य संरचनाओं के मलबे में फंसे हों का पता लगाएं

– क्षतिग्रस्त भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाएं

– ऑन साईट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये ढही संरचनाओं से मृत को हटाने में सहायता

– खोज और भारी बचाव दल को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिये कि कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मियों की टीम उसके सहायकों के द्वारा पीछा के आदेश में रहता है। इसके अलावा वहां एक सर्जन, एक संरचनात्मक इंजीनियर, एक रसद व्यक्ति, खोजी कुत्ते और मजदूर आदि जैसे विशेशज्ञों के साथ एक जिला समन्वयक टीम हानी चाहिये।

– भारी बचाव समूह, भारी उपकरण समुह, सहायक बचाव समूह आदि तैयार रखने चाहिये।

7. राहत–

टीम लीडर– एडीएम (एफ/आर)

एजेंसियांः जिला आपूर्ति अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, स्थानीय नागरिक आदि

आवश्यकताः–

इस आपातकालीन स्थिति में अस्थाई आश्रय, आपदा के शिकार लोगों के लिये समन्वित राहत सामग्री के थोक वितरण के प्रावधान शामिल है। जिले में एक गंभीर आपदा आश्रय और भोजन की जरूरत में लोगों की एक बडी. संख्या छोड. देगा, परिवार के सदस्य अलग हो सकते हैं और जीवित बचे लागों के बारे में जानकारी के लिये भारी मांग हो जाएगी। कई लोगों को तत्काल भावनात्मक समर्थन और संकट परामर्श की आवश्यकता होगी, हालांकि इमरजेंसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिये प्राथमिक जिम्मेदारी, जिला प्रशासन और नगर पालिकाओं के साथ टिकी हुई है।

तत्काल कार्य–

– रेलवे स्टेशन, हवाई अडडे, बस स्टेशन पर राहत सामग्री की आवाजाही के लिये अलग–अलग बिंदुओं पर लामबंदी केन्द्र की स्थापना,

– आपदा की घटना के 2–3 घंटे के भीतर राहत सामग्री तैयार रखने के लिये आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करें

– राहत सामग्री के परिवहन के लिये व्यवस्था

– राहत शिविरों की स्थापना करने के लिये बिल्डिंग, फर्नीचर, स्थानीय कार्यालय आदि जुटाने में सहायता करें।

– आपदा में शामिल परिवारों का पंजीयन, पीडितों के ठिकाने के विशय में रिश्तेदारों और दोसतों से पूछताछ का जवाब देने, अलग परिवार के सदस्यों का पुनर्मिलन और Evacuees की संख्या पर प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना

–भोजन, गर्म पेय और स्नैक्स से स्वसथ्य की रक्षा के लिये, प्रतिक्रिया कर्मियों की ताकत बनाए रखने के लिये और पीडितों को आश्वस्त करने के प्रावधान।

8. बिजली और जल आपूर्ति–

टीम लीडरः एडीएम (सिटी)

एजेंसियां– डीएम कार्यालय, पुलिस (ट्रेफिक), परिवहन विभाग, पीएचईडी, सार्व0 निर्माण विभाग, राश्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन

प्राथमिक कार्यः

– सभी स्तरों पर और सभी नोडल सहायता एजेंसियों के लिये चिकनी परिवहन लिंक सुनिश्चित करें
– अन्य राज्यों से सहायता के लिये बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांवे को नुकसान का आकलन
– प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर बिजली वितरण प्रणाली की बहाली में खोज और बचाव कार्य में मदद करना
– जीवन रक्षक इमारतों में बिजली उपलब्ध कराना
– स्वच्छ पेयजल की खरीद
– सीवर पाईप, पेयजल से अलग रखा जाए।

9. कानून एवं व्यवस्था–

टीम लीडरः एडीएम (सिटी)

एजेंसियां– एसडीएम अपर, एसपी, होमगार्ड, अर्धसैनिक एजेंसियां

कानून और व्यवस्था की दिनचर्या में पुलिस की गतिविधियों की एक व्यापक रेंज है। यदि आवश्यक हो तो कानून और व्यवस्था की बहाली केलिये वहां सामान्य रूप से पालन करने वाला Law होना चाहिये। प्रतिक्रिया समारोह कानून और व्यवस्था की गतिविधियों के रखरखाव के अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में हो।

संभावना मौजूद है कि एक भूकम्प, जेल या सुधार केन्द्रों पर भौतिक सुरक्षा का उल्लंघन का कारण है और एक आंतरिक दंगा या भागने की संभावना को जन्म दे सकती है।

तत्काल कार्यः

– जान बचाने और चोट या संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिये किसी भी आवश्यक कार्सवाई के लिये बाहरी मदद लेना
– मार्ग नुकसान का आकलन करने, योग्य आपातकालीन मार्गों की पहचान की अनुमति ली जाए
– आकलन और क्षमताओं के भीतर अन्य नुकसान की रिपोर्ट
– लोगों की मृत्यु के कारणों की जांच में सहायता, शरीर मचान क्षैत्रों की सुरक्षा, शव की पहचान
– आपातकालीन सूचनाओं के प्रसार में सहायता
– समन्वय केंद्रों की मैपिंग और उन्हें तत्काल रेडियो संचार का प्रावधान हो।

11.4 सामुदायिक टास्क फोर्स (सिविल डिफेंस, रेड क्रॉसश एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी आदि) के लिये एसओपी–

Task Force Group	Primary	Secondary
Search and Rescue	**To trace and locate people who are physically traooed and distressed, people in the buldings and houses etc.** **To move out these people to the safe locations indentified in advance and to organize futher care.**	**Administering primary health care to rescued victims.** **Assisting the sanitation group in carcass disposal and the cremation of dead bodies.** **cordinatiion with the evacuation teamto shift rescued persons to safe shelters in case of recurring heavy rains.**
First Aid and Health	**To provide primary health care to the ill or injured until more advanced care is provided and the**	**Assisting the sanitation team to inoculate against water borne and other diseases.**

	patient is transported to a hospital.	**Assisting the communication team to disseminate precautionary information on post-disaster health hazards and remedies.**
Water	**Restoring and maintaining the water supply and minimum quality and quantity parameters.**	**Assisting the sanitation team in ensure that there is enough water stored in buckets at latrines and for bathing.** **Assisting the sanitation team in deciding the location for the construction of latrines away from ground water sources.** **Assisting the shelter group to ensure that there is sufficient water stored in the water tank in the safe shelter.**
Sanitation	**To ensure that the minimum basic facilities such as temporary toilets and common bathing units are constructed near the relief camp, that these facilities and the surroundings are kept clean, garbage disposed, dead bodies cramated and that normal drainge systems function smoothly.**	**Assisting the shelter team to ensure that water spouts and water harvesting tanks at the safe shelter are clean and functional.** **Assisting the relief group to ensure that containers for storing water are clean, narrow necked and covered.**
Relief Coordination	**To establishing contact with the District Control Room and organizing the distribution of assistance in teams of food, water, medicines and so on, in a fair and equitable manner.**	**Co-oridnating with the shelter group in the distribution of material for the construction of temporary shelters.** **Assisting the shelter group to ensure that the safe shelter is well stocked in terms of dry food, water and so on in order to cater for the needs of evacuees after a cyclone or flood warning has been issued.**
Warning and communication	**To ensure that: (a) the warning of the impending disaster reaches every single household, thereby allowing people to take timely action to protect their lives and property (b) accurate information is provided regularly as events unfold (c) information flows quickly and reliably upwards to District level to Community/Neighbourhood/Villege level.**	**Assisting the relief group in disseminating information about the quantity and type of ration to be distributed for each distribution cycle.** **Assisting the sanitation group in raising awareness about water borne diseases and vaccination programs.**

Evacuation and Shelter Management	**To construct/ identify maintain and make repairs to the flood shelter, to evacuate people on receipt of a warning and to make all the neccessary arrangements to accommodate evacuees during a flood.**	**Assisting the Communities in accessing compensation.** **Assisting the relief group in stocking up dry food, medicines, water and temporary shelter materials.** **Assisting the sanitation group in the construction of latrines, soak pits and drainage channels.**

अध्याय– 12

SOP– मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन

12.1.1 जिला प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

जिलाधिकारी के निद्रेशन पर्यवेक्षण और आपदाओं के लिए और जिला स्तर की योजना की तैयारी के लिए राहत उपायों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों से अधिक समन्वय और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयाकग करेगें। आपदा शमन या राहत के लिए वास्तविक संचालन के दौरान सभी कलेक्टरों की शक्तियों/डीसीएस काफी बढा रहे है,आम तौर पर इस विशय पर निर्देश या आदेश खडें हो कर, या दवचारा विशिश्ट सरकारो का आदेश है ,यदि ऐसा है तो जरूरी है। कभी कभी संबधित राज्य परमिट के प्रशासनिक संस्कृति, हालाकि अनौपचारिक रूप में कलेक्टर उच्च शक्ति आपात सिथितियों में प्रयोग करने के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिले, अर्थात सेना,वायु सेना और जल संसाधन आदि के बचाव में जिला प्रशासन और राहत कार्यो के प्रयास के पूरक के मंत्रालय में राज्य, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथनिकट सर्म्पक बनाए रखना होगा। जिला मजिस्ट्रेटभी गैर सरकारी ऐसी स्थितियों में काम करने में सक्षम संगठनों को जुटाकर सभी स्वेच्छिक प्रयासों में समन्वय करेगा।

आपदा के समय में कर्तव्य

–दर्शनीय स्थलो पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण की रोकथाम, लूटमार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि बचाव वाहनों की मुक्त आवाजाही हो सके।

–लोगो की निकासी

–शवों और दनके निपटान की व्यवस्था

–घायलो के लिए चिकित्सा व्यवस्था

– भोजन एवं पानी की लाइनों की आपूर्ति

–टेंट,धातु शेड की तरह अस्थायी आश्रय

–संचार और सूचना तंत्र की अहाली

–परिवहन मार्गो को बहाल करना

–नुकसान और क्षतिग्रस्त क्षेत्रो का आकलन करना

–महिला प्रतिनिधियों की योजना, निर्णय लेने कार्यान्वयन और मूल्याकंन

12.1.2 पुलिस के लिए कार्य योजना

–आपातकालीन सेवाओं के साथ संयोजन के रूप में जीवन की बचत

– आपातकालीन सेवाओं और अन्य संगठनों की समन्वय

–यातायात और भीड पर नियत्रण

कोलेशन औरन करणीय जानकारी के प्रसार

–पीडितों की पहचान

जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की बहाली

प्रवेश और भीड नियंत्रण

जब भी किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो पुलिस प्रशासन को उस क्षेत्र को अपने घेरे में लेकर उस क्षेत्र में भीड पर नियंत्रण करेगी और वहा पर पुलिसकर्मियों दवारा तत्काल यातायात व्यवस्था को सुधारेगी ताकि आपातकालीन सेवाओं के वाहनो को साइट तक पहुचने के लिए कोई बाधा का सामना न करना पडे। जिससे फायर बिग्रेड, एबूलेस और अन्य आपदा से संबधित वाहन भी उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपदा से प्रभावित लोगो को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था करेगी।

खोज, बचाव और निकासी

आपदा के दौरान पुलिसकर्मी उस प्रभावित स्थान पर पहले पहुंच कर आपातकालीन सेवा कर्मियों के आने तक साइट से हताहतों की संख्या को कम करना चाहिए। अन्य सेवाओं और बचाव तथा निकासी के संचालन में स्थानीय प्राधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगें।

दृश्य नियंत्रण और कानूनी कर्रवाई–

यह महत्वपूर्ण है कि किसी बडी. घटना के आसपास के क्षैत्र को दृश्य के लिये संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि पीडि.तों की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। आपदा के दौरान चौरी, लूटपाट आदि के कारण प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण होना चाहिये।

यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पुलिस अधिकारियों की बडी. संख्या को इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिये जिला या हादसा कमांडर के नियंत्रण में सुदृढीकरण के लिये जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वीआईपी दर्शक–

आपदा के समय वीआईपी के द्वारा दर्शन से जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रभावित लोगों का मनोबल बढा सकती है। यह देखा गया है कि मंत्रियों, संसद और राज्य विधानसभाओं, स्थानीय पार्शदों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं आदि के लिये आपदा के दृश्य का दौरा करने और सार्वजनिक चिंता जाहिर करने से घायलों का मनोबल बढता है। कभी कभी आपदा साइट के लिये अपनी यात्रा पर प्रतिकूल बचाव कार्य प्रभावित होने की संभावना रहती है, खासकर अगर हताहत अभी भी फंसे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके दर्शन, बचाव और जीवन को बचाने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। आपदा प्रतिक्रिया के समन्वयक के रुप में, उन्हें जमीनी स्थिति स्पश्ट होनी चाहिये।हालांकि इस मामले में यात्रा से बचना असंभव हो जाता है, अतः इसे दर्शन के समय ठीक करना चाहिये। उनकी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त जरुरत भी समस्या का एक कारण होगा।

स्वागत केन्द्र–

आपदाओं के हाल के अनुभव से पता चला है, अगर उनका मानना हे कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रभावित किया गया हो सकता है, यह संभव है कई लोग एसी यात्रा टर्मिनल के रुप में दृश्य के लिये या बैठक के अंक के लिये करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिये आवश्यक एक स्वागत केन्द्र स्थानीय प्राधिकारी और वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य संगठनों का संबंध है और पुलिस, स्थानीय प्राधिकारी और तैयार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्टॉफ के साथ परामर्श पुलिस द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये। एक आपदा में प्रभावित लोगों की पूरी संभव जानकारी enquirers को दी जानी चाहये।सामान्य पूछताछ के लिये यह सबसे अच्छा विशिश्ट स्रोत है।दोस्तों और रिश्तेदारों को गहन चिंता, सदमे या दुःख महसूस हो सकता है, अतः सहानुभूति और समझ के साथ इलाज किया जाना चाहिये। स्वागत केन्द्र को देखकर बिन बुलाए मीडिया प्रतिनिधियों या दर्शकों द्वारा परेशन किया जा रहा हो तो उन लोगों को अंदर आने से रोकना चाहिये।

12.1.3 फायर सर्विस के लिये कार्य योजना–

– फायर सर्विस के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

– साइट पर , संवेदनशील क्षैत्रों के बारे में जानकारी इकटठा करने के लिये स्थानीय स्वंयसेवकों और स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जाएगा ताकि खोज और बचाव अभियान में भारी घने क्षैत्रों, बडे. भवनों, सामुदायिक केन्द्र, होटल, अस्पताल, सार्वजनिक इमारतों में एक उचित माध्यम से जगह ले सकें और किसी भी अन्य क्षैत्र की बडी. भीड. को नियन्त्रित किया जा सके।

– घायल लोगों को अत्यंत सावधानी से क्षतिग्रसत भवनों से बाहर रखा जाना चाहिये।

–महिलाओं और बच्चों की विशेश देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि वे अधिक प्रभावित है और किसी भी आपात स्थिति में असहाय होने की संभवना रहती है।

12.1.4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

–नोडल अधिकारी ईओसी तक पहुंचने और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

–समर्थन ओर कानून व्यवस्था के लिये हादसा कमान प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित कर खोज और बचाव व औसत दर्जे प्रतिक्रिया और ट्रामा काउंसलिंग
– क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो चुकी संरचनाओं का पता लगाएं और प्रभावित लोगों को बचाएं।
– महिलाओं और बच्चों के समूहों के लिये विशेश देखभाल करना
– मेडिकल टीम के साथ प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में मदद करना

12.1.5 नगर परिषद के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी अरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।
– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।
– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।
– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।
– आपदा पीडि.तों के लिये अस्थाई पारगमन और राहत शिविरों और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग के लिये काम करेंगे। असपताल में पीउि.तों के लिये खान–पान केन्द्रों की स्थापना
– प्रत्यक्ष और उपकरण सहायता, राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सहयता प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर सम्पर्क करेगा।

12.1.6 सार्व0 निर्माण विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी अरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।
– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।
– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।
– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

– पीडब्ल्यूडी भी उचित लाश निपटान सुनिश्चित करने और चिकित्सा प्रतिक्रिया पर ESF के साथ समन्वय करेगा।
– अस्थाई सड.कों का निर्माण करेगा।
– सभी पक्का और unpaved सड.क, धार metaling सहित पट्टी और सतह की मरम्मत का कार्य।

जल बोर्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– पानी की लाईन की क्षति और प्रदूशण का त्वरित आकलन।
– पानी के अैंकरों की आपूर्ति
– प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती, मरम्मत और पानी की आपूर्ति लाइनों को बहाल करना

12.1.7 जल निकासी के लिये कार्य योजना एवं बाढ. नियंत्राण विभाग–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी एवं बाढ. नियंत्रण विभाग त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– QRTs पानी की आपूर्ति के लिये दल के नेता के साथ समन्वय स्थापित करेगा
– QRTs बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिये समन्वय स्थापित करेगा
– QRTs ईओसी के लिये स्थिति और कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट देगा

12.1.8 खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– राहत सामग्री की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ESFs के साथ समन्वय
– प्रभावित लोगों के लिये मुफ्त रसोइ की सतत व्यवस्था
– साइट राहत शिविरों में रिपोर्ट करना
– प्रभावितों को खाद्य सामग्री के वितरण का प्रबंध करना
– कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट ईओसी पर देना

12.1.9 परिवहन विभाग के लिये कार्य योजना–

– निकासी में मदद करना
– को झोंपडियां प्रदान करने में नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे
–प्रभावित क्षैत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये एजेंसियों से अनुरोध ओर समर्थन

12.1.10 दूरसंचार विभाग–

– बीएसएनएल संचार सुविधाओं की बहाली के लिये मुख्य रुप से जिम्मेदार है।
– बीएसएनएल, जानकारी के निर्बाध प्रवाह के लिये प्रतिक्रिया के प्रयासों में राज्य सतर पर संवेदनशील ढंग से आउटरीच को पुरा करेगा
– दल का नेता आपातकालीन मरम्मत टीमों के लिये आवश्यक उपकरण, टेंट और भोजन के साथ सुसज्जित प्रेशण हेतु जाएगा
– अन्य सहायता एजेंसियों अथ्रात निजी टेलिफोन ऑपरेटरों को सिंिति से संवाद करेगा

– निजी दूरसंचार कंपनियों के लिये कार्रवाई की एक योजना पर काम करेंगे और बैठक बुलाने पर चर्चा करने के तौर–तरीकों को अंतिम रुप देना
– सार्वजनिक ओर इस बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से घोशणा हेतु टेलिफोन की सुविधा स्थापित करना
– की गई कार्रवाई से जिले के साथ–साथ राज्य के अधिकारियों को सूचित करना

12.1.11 हैम रेडियो ऑपरेटरों के लिये कार्य योजना–

– हैम क्लबों को सूचित करें, अन्य भागों से व्यक्तियों, जिला, राज्य
– जितनी जल्दी हो सके एक हैम संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये अपने सदस्यों को सक्रिय करें
– महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साझा करने के लिये समन्वय तंत्र
– मुख्य संचार संपर्कों तथा वैकल्पिक संचार नेटवर्क के सेट के रुप में बहाल करना

12.1.12 स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी समर्थन ऐजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगें
– ESF के साथ समन्वय में, यह विकित्सा पेशेवरों और सहायकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करेगा
– मदद तर्ज पर ESF की मदद से अस्पतालों में अस्थाई सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करेगा

की जाने वाली कार्रवाईः

– आवश्यक दवाइयां, टीके, मलहम, दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक
– रोगी की देखभाल के लिये प्रणालीगत दृश्टिकोण प्रदान करें।
– सभी रोगियों का इलाज कर दनका रिकार्ड रखने के लिए ट्रेकिंग प्रणाली को अपनाए।
– मोबाइल अस्पताल की तैनाती की जाये
– QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे
– QRTs प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.13 रेड क्रॉस सोसायटी के लिए कार्य योजना

रिस्पांस एक्टिवेशन

–नोडल अधिकारी QRTs को सक्रिय करेगें
–चिकिम्सा पेशेवरों औार सहायकों की पर्याप्त संख्या मं उपलग्ध कराने के लिए पर्याप्त दवाएं और आवश्यक सामग्री के साथ साइटों तक पहुचने के लिए मदद करना
–मदद तर्ज पर ESF की मदद में अस्पतालों में अस्थायी सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करें।

की जाने वाली कार्यवाही

–एम्बूलैंस सेवा प्रदान करना
–स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था
–गम्भीर रूप से घायल पीडितों के प्रबन्धन के लिए तैयार सभी अस्पतालों में मदद करने के लिए
–आवश्यक दवाइया,टीके,मलहम,दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए
–मोबाइल अस्पतालों की तैनाती के रूप में आवश्यक
– QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे
– QRTs प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.14 चुने हुए गैर सरकारी संगठनों/आरडब्लयूए और एनवाईकेएस के लिए कार्य योजना

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबधन में उभरते रूझान आपदा प्रबधन एजेंसियों और प्रभावित समंदाय के बीच एक कुशल संचार लिंक प्राप्त करने का सबसे प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में एक गैर सरकारी संगठनों की भूंमिका पर प्रकाश डाला है ठेठ आपदा की स्थिति में, वे निगरानी और

प्रतिक्रिया में तैयारियो राहत और बचाप पुनर्वास और पुनमिार्ण में मदद की हो सकती है और यह भी।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा प्रबधंन में एक संभावित प्रमुख तत्व है। क रूप में वे समुदाय की भागीदारी को लागू करने के लिए सरकारी एंजेसियों पर एक बढत हासिल गेर सरकारी संगठनों जमीनी स्तर पर काम कर रही एक उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकते है। क्योकि एनजीओ सेक्टर समुदाय के आधार के साथ मजबूत संबधों की हैऔर प्रक्रियात्मक मामलों तुलना –ए– पिज सरकार में काफी लचीलापन प्रर्दशन कर सकते है

गैर सरकारी संगठनों कह गतिविधियों का आयोजन/आरडब्लयूए/एनवाईकेएस/आपदा प्रबधन के विभिन्न चरणों में

Stage	Activity
Pre-Disaster	Awareness and information,Training of local volunteers,Avocacacy and planning
During diaster	immediate rescue and first aid, including psychological and supply of food,water,medicines and other immediate need materials ensuring danitation and hygiene demage assessment
Post Disaster	Technical and material aid in reconstruction assistance in seeking financial aid monitaring

Annexure

परिशिश्ट–1: जिला प्रोफाईल–आपदाओं का इतिहास

1.1 हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति–

भौगोलिक दृश्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के उत्तरपश्चिम छोर पर हनुमानगढ़ जिला उतरी क्षेत्र में $29^0.5'$ से $30^0.6'$ अक्षांश पर है। यह सात पंचायत समितियों एवं सात उपखंड क्षेत्रों में विभक्त है। जिले का 40 प्रतिशत भू–भाग नहरी तथा 60 प्रतिशत भू भाग मरूस्थलीय है। इसका कुल क्षेत्रफल 970315 हैक्टेयर है। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 1779650 है। जिसमें से 1428884 ग्रामीण क्षेत्र में रहते है। अनु. जाति की जनसंख्या 494189 व 14289 अ.ज.जा. कुल अनु.जाति/जनजाति की जनसंख्या 508478 (28.57 प्रतिशत) है। 80 प्रतिशत जनसंख्या के जीवनयापन का मुख्य आधार कृशि व पशुपालन है। जिले का साक्षरता प्रतिशत 68.37 है। जिले के 70 प्रतिशत भूभाग में भूमिगत जल खारा है। जिले में एकमात्र नदी घग्घर नदी प्रवाहित होती है। यह मौसमी नदी है।

1.2 क्षेत्रफल – वन क्षेत्र वर्श 2022–23 (हैक्टर में)

क्र.सं.	नाम वन मंडल	आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1.	हनुमानगढ़	0	11324.66	12621.34	23946.00
	योग	0	11324.66	12621.34	23946.00

1.3 जनसंख्या :–

क्र.सं.	वर्ष	पुरूश	स्त्री	योग	कमी / वृद्धि
1.	1991	645205	575128	1220333	44.60 %
2.	2001	801486	716519	1518005	24.39 %
3.	2011	933660	845990	1779650	17.24 %

जनसंख्या 2011 के आंकड़ो के अनुसार जिले की जनसंख्या की स्थिति :–

क्र.सं.	विवरण	जनसंख्या
1.	पुरूश	933660
2.	स्त्री	845990
3.	योग	1779650
4.	ग्रामीण	1428884
5.	शहरी	350766
6.	जनसंख्या घनत्व	184
7.	कुल साक्षरता दर	68.37
अ.	पुरूश	78.82
ब.	स्त्री	56.91
8.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या	350766
9.	1000 पुरूश पर महिला	906
10.	जनसंख्या की 10 वर्शीय वृद्धि दर– 2001–2011	17.24

1.4 समाज (धार्मिक, जातीय समूह,सामाजिक ढांचा, सामंजस्य की स्थिति)– जिले में लगभग सभी जातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा सभी में परस्पर सामंजस्य तथा आपसी मेल–मिलाप रहता है। धर्म के नाम पर लोगों में कोई वेर–भाव नहीं है, तथा जिले की सामाजिक–धार्मिक स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से जीवन–यापन करने की है।

1.5 अर्थव्यवस्था (प्रमुख क्षैत्र, अर्थव्यवस्था में प्रतिशत हिस्सा, वृद्धि एवं विकास की प्रवृति)–

कृशिः– भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद (Indian Counil of Agriculture Research) के अनुसार हनुमानगढ जिला जलवायु की दृश्टि से Irrigated North Westerh Plain Zone-1B के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग '' थार'' रेगिस्तान के शृश्क एंव अर्धशृश्क जलवायु है। यह जिला हरियाणा व पंजाब के राज्य की सीमा से लगा हुआ है।जिले की भौगोलिक स्थिति उत्तरी आंक्षाश में 29.5^0 से 30.6′ तथा पूर्वी देशान्तर 74.0 से 75. 7′ स्थित है। उत्तरी हिस्से में श्रीगगांनगर जिला दक्षिण में चूरू जिला लगता है। इस क्षेत्र में असमान्य मानसून व वर्षा के असमान वितरण की प्रमुख समस्या है। जिले का कुल भगोलिक क्षेत्रफल 9,70,315 हैक्टर है। जिसमे कुल कृशि योग्य भुमी 8.71 लाख हैक्टर है। जिले में

सिंचाई का मुख्य स्त्रोत नहरे है जिसमे मुख्यतया भाखडा नहर परियोजना, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व नव विकसित राजीव गांधी सिद्धमुख एवं नोहर सिंचाई परियोजना मुख्य है। इसके साथ–2 कुछ क्षेत्रो में ट्युबवेल से भी सिंचाई होती है। इस प्रकार जिले में सिंचित क्षेत्र 3.71 लाख हैक्टर है तथा शेश क्षेत्र असिंचित बलुई सें बलुई दोमट भूमि व कही–2 पर 8–10 मीटर उचाई तक के टिले भी है। जिले में असिंचित क्षेत्र 5.00 लाख हैक्टेयर है। कृशि उपजिला वार सिंचित, असिंचित, समस्त बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टर) में निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विवरण	इकाई	कृशि उपजिला वार विवरण			
			हनुमानगढ	नोहर	भादरा	योग
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	लाख है0	3.62	4.34	1.74	9.70
2	कुल कृशि योग्य क्षेत्रफल	लाख है0	3.21	3.93	1.57	8.71
3	सिंचित क्षेत्रफल	लाख है0	2.71	0.69	0.31	3.71
4	असिंचित क्षेत्रफल	लाख है0	0.69	3.17	1.14	5.00
5	समस्त बोयागया क्षेत्रफल	लाख है0	5.79	4.54	2.45	12.78
6	शुद्ध बोयोगया क्षेत्रफल	लाख है0	3.20	3.44	1.68	8.32
7	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	लाख है0	2.81	0.90	0.75	4.46

(कृशि अंकतालिका 2011–12, कृशि गणना 2010–11)

जिले में कोई महत्वपूर्ण नदी नही है। एक मात्र घग्घर नदी सामान्य रूप से नाली के नाम से जानी जाती है जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का बरसाती पानी हनुमानगढ के समीप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बहता है। नाली क्षेत्र के आस पास ट्युबवैल है। जिसके कारण नाली क्षेत्र में वर्श में दो से तीन फसले ली जाती है। जलवायु की विपरीत परिस्थतियां जैसे भूजल की कमी व मिटटी रेतीली होने के कारण जिले में वन संपदा बहुत कम है। जिले की औसत वर्षा 273.5 मिलीमीटर है। जिले का गर्मी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दियो में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिले के सिंचित क्षेत्र में मुख्यतया गेहू, जौ, सरसो, चना तथा खरीफ में धान, कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग, तिल व अरण्ड मुख्य फसले है। असिंचित क्षेत्र की मुख्य फसले रबी में चना, सरसो तथा खरीफ में ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल व अरण्ड आदि है।

भू स्वामित्व के अनुसार राज्य सूचकांकों की तुलना में जिले की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

भूमि का विवरण	हनुमानगढ (प्रतिशत में)		राजस्थान (प्रतिशत में)	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
0–1 हैक्टर	9.47	1.14	36.45	5.86
1–2 हैक्टर	17.04	5.03	21.94	10.23
2–4 हैक्टर	28.17	16.64	19.38	17.85
4–10 हैक्टर	34.22	43.25	16.36	32.73
10 हैक्टर से अधिक	11.10	33.94	5.87	33.33
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

1.6 बुनियादी ढांचा और सेवाएं(सड.कें, दूरसंचार, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, जल स्वच्छता आदि)

(अ) जिले मे स्थित मोबाईल टॉवरो की सूची

क्र.सं.	तहसील	शहरी/	ग्राम का नाम	टावर कम्पनी का नाम

		ग्रामीण		BSNL	AirTel	Voda Phone	Reliance	Rainbow	Idea	Tata
1	हनुमानगढ़	ग्रामीण	झाम्बर	—	1	—	—	—	—	—
2			चौहिलावाली	—	1	—	1	—	—	—
3			भोमपुरा	—	—	1	—	—	—	—
4			लखुवाली	—	1	1	—	—	—	—
5			जोरावरपुरा	—	1	—	—	—	—	—
6			रामसरा नारायण	—	1	—	—	—	—	—
7			फतेहगढ़	—	1	1	—	—	—	—
8			सहजीपुरा	—	—	1	—	—	—	—
9			डबलीबास मौलवी	1	1	—	—	—	1	—
10			डबलीमिढढा	—	1	—	—	—	—	—
11			9एसटीजी	—	—	1	—	—	—	—
12			3जेआरके	—	—	—	1	—	—	—
13			जण्डावाली	—	1	1	—	1	1	—
14			पक्कासारण	1	1	—	1	1	—	—
15			धौलीपाल	1	1	1	1	—	1	1
16			रोड़ावाली	1	1	1	—	—	—	—
17			जोड़कियां	—	—	—	1	—	—	—
18			हिरणावाली	—	—	—	1	—	—	—
19			नौरंगदेसर	1	—	1	1	—	—	—
20			हरिपुरा	—	1	—	—	—	—	—
21			किशनपुरा दिखनादा	—	1	1	1	—	1	—
1		शहरी		8	6	2	6	2	4	3
1	संगरिया	ग्रामीण	नगराना	1			1		1	
2			ढ़ांबा	1	1		1			
3			हरिपुरा	1	1	1	1			
4			सन्तपुरा	1						
5			नुकेरा		1		1		1	
6			किशनपुरा उतराधा		1					
7			बोंलावाली		1	1				
8			मानकसर		1				1	
9			शेरगढ़		1					
10			जण्डवाला सिखान			1				
11			इन्द्रगढ़			1				
12			मोरजण्ड सिखान			1				
13			लींलावाली			1				
14			भांखरावाली			1				
15			किकरवाली			1				
16		शहरी		2	1	2	1	1	1	1
1	[illegible]	[illegible]	बड़ोपल		1					

2			18एसपीडी	1	1					
3			रामपुरा		1					
4			34एसटीजी		1					
5			लखासर			1	1			
6			लिखमीसर	1					1	
7			अयालकी		1					
8			गोलूवाला	1	1	1	1		1	1
9			खोथांवाली	1	1	1	1			
10			उमेवाला	1						
11		शहरी		1	2	1	1	1	1	2
1	टिब्बी	ग्रामीण	सुरेवाला		1	1				
2			कुलचन्द्र	1						
3			पीरकामड़ीया		1					
4			खिनानीयां			1				
5			मसीतावाली	1	1					
6			तलवाड़ा झील	1	1	1	1			1
7			गुड़िया	1		1			1	
8			सलेमगढ़			1			1	
9			खाराखेड़ा		1	1				
10			रामपुरा / रामसरा		1	1	1			
11			डबलीकलां		1					
12			मेहरवाला		1	1	1			
13		शहरी		1	1	1	1			1
1	रावतसर	ग्रामीण	16केडब्ल्युडी							
2			चाईया							
3			कनवानी		1	1				
4			न्योलखी		1					
5			मोटेर		1	1				
6			झेदासर	1	1	1				
7			बरमसर	1	1	1				1
8			पोहड़का		1	1	1			
9			पल्लू	1	1	1	1			1
10			सीरासर		1	1				
11			पूरबसर		1					
12			नैयासर			1				
13		शहरी			3	2	1		2	1

क्र.सं.	तहसील	शहरी / ग्रामीण	ग्राम का नाम	टावर कम्पनी का नाम						
				BSNL	AirTel	Voda Phone	Reliance	Idea	Tata	other
1	नोहर	ग्रामीण	देईदास	1	1	0	1	1	0	0
2			टोपरिया	1	0	1	0	1	0	0
3			रामगढ	1	1	0	1	1	0	0
4			थालडका	1	1	1	1	1	0	1
5			बरववाली	0	1	1	0	1	0	0
6			भूकरका	0	1	0	0	1	0	1

7			ढण्ढेला	0	1	1	0	1	0	0
8			पाण्डूसर	0	1	1	0	1	0	0
9			टिडियासर	0	1	1	0	1	0	0
10			गंगोई	0	1	1	0	0	0	0
11			धानसिया	0	1	1	0	1	0	0
12			सोनडी.	1	0	1	1	1	0	1
13			खुईयां	1	1	1	0	1	0	0
14			सिंगरासर	0	1	0	0	0	0	0
15			थिराना	0	0	0	0	1	0	0
16			कानसर	2	0	0	0	0	0	0
17			देवासर	1	0	0	0	0	0	0
18			श्योरानी	0	1	0	0	0	0	0
19			जबरासर	0	1	1	0	0	0	0
20			लाखासर	0	1	0	0	0	0	0
21			मेघाना	1	1	1	0	0	0	0
22			दुर्जाना	0	0	1	0	0	0	0
23			दलपतपुरा	1	0	0	0	0	0	0
24			रायसिंहपुरा	0	0	0	1	0	0	0
25			आपूवाला	0	0	0	1	0	0	0
26			25 एनटीआर	1	1	0	1	0	0	1
27			26 एनटीआर	0	0	0	0	0	0	1
28			25 जेएसएन	1	1	0	1	0	0	1
29			17 एनटीआर	1	0	0	0	1	0	1
30			19 एनटीआर	0	1	0	1	0	0	0
31			गुडिया	1	1	0	0	0	0	0
32			दीपलाना	0	1	1	0	0	0	0
33			गोगामेडी.	0	0	1	1	0	0	0
34			ललानाबास दि0	0	1	1	0	1	0	0
35			फेफाना, 1 केएनएन	1	1	1	1	1	0	0
36			मलवानी, 3 केएनएन	1	0	1	0	0	0	0
37			रतनपुरा, 1 आरपीएम	1	1	1	0	1	0	0
38			गोरखाना	1	0	1	0	0	0	0
39			भगवानसर	0	0	1	0	0	0	0
40			बिरकाली	1	1	0	0	1	0	0
41			मन्दरपुरा	1	1	1	0	0	0	0
42			ननाऊ	0	1	1	0	0	0	0
43			मुन्सरी	0	1	1	0	0	0	0

(ब) निजी चिकित्सा संस्थानो के नाम एवं दूरभाश न.

1	चावला अस्पताल ज.	डॉ बी.के. चावला	01552–269164,269426, 9414094426
2	बैनिवाल अस्पताल ज.	डॉ0 ओ.पी. बैनिवाल	01552–268432,9414094632
3	महावीर अस्पताल, हनु.टाऊन	डॉ0 प्रताप सिंह शेखावत	01552–226495, 9414094690

4	जैन अस्पताल टाऊन	डॉ. पारस जैन	01552–222300,222316
5	हिसारिय अस्पताल टाऊन	डॉ0 सुरेष हिसारिया	01552–230100,9414636781
6	गेट अस्पताल टाऊन	डॉ0 सुखवीर सिंह गेट	01552–230747, 9414246885
7	चण्डीगढ अस्पताल ज.	डॉ0 करूणा गुप्ता	01552–268055,268326, 9414095555
8	बाम्बे अस्पताल ज.	डॉ0 रेणु सेतिया	01552–268859,9414095459
9	शर्मा नर्सिंग होम ज.	डॉ0 तेज शर्मा	01552–268074
10	ममता अस्पताल,हनुमानगढ जं.	डा0कपूरीलालगर्ग	01552–260697, 260552
11	शान्ती नर्सिंग होग,हनुमानगढ टा.	डा0कैलाषषर्मा	01552–226687
12	गुप्ता अस्पताल,हनुमानगढ जं.	डा0अषोकगुप्ता	9414095134
13	सेठी नर्सिंग होम,हनुमानगढ टा.	डा0राजेन्द्रसेटी	01552–231754,9828416476
14	बठिण्डा अस्पताल,हनुमानगढ टा.	डा0बिहारीलालबंसल	01552–226332,9414094864
15	पारीक होस्पिटल,हनुमानगढ टा.	डा.शंकरलाल पारीक	01552–
16	बीकानेर होस्पिटल,हनु.टा.	डा.आनन्द जैन	01552–
17	राठौड होस्पिटल,हनुमानगढ टा.	डा.महेन्द्रसिंह राठौड	9414094477
18	आसोपा बच्चों का होस्पि.हनु.टा.	डा.आर.एस.आसोपा	9414094280
19	स्वास्तिक हस्पताल,हनुम.टा.	डा.आर.के.शर्मा	9414305826
20	बंसल नर्सिंगहोग,हनुमानगढ जं.	डा.पी.सी.बंसल	01552–269400, 9414095500
21	नागपालआई होस्पि.हनुमानगढ जं.	डा.सतीषनागपाल	01552–269236, 9414283075
22	थेहडी वाला होस्पि.हनुमानगढ जं.	डा.रवि. त्रेहन	01552–269030
23	माकडा नेत्र होस्पि.हनुमानगढ टा.	डा.एम.पी.माकड	01552–222749
24	छाबडा नर्सिंग होम,हनुमानगढ टा.	डा.छाबडा	01552–222084, 9414095684
25	नवरतन होस्पि.हनुमानगढ जं.	डा.एन.आर.शर्मा	01552–
26	नगरपालिका डिस्पें,हनुमानगढ टा.	डा.केदारगुप्ता,चि.अ.	9414512093
27	सेतिया ई.एन.टी,हनुमानगढ टा.	डा.राजीव सेतिया	225100, 9983927010
28	गुप्ता आई होस्पि,संगरिया	डा.पी.सी.गुप्ता	01499–220987
29	वर्धमान जैन आई होस्पि.रतनपुरा	संस्थागत	01499–231390
30	प्रखर परोपकार होस्पि.रतनपुरा	संस्थागत	01499–223123
31	फौजी अस्पताल,संगरिया	डा.ओ.पी.अग्रवाल	01499–
32	अरोडा नर्सिंग होम,संगरिया	डा.रीता अरोडा	01499–220344
33	बाबा मस्तनाथ आई होस्पि.थेहडी	संस्थागत	01552–222779
34	बठिण्डा अस्पताल,पीलीबंगा	डा.ममता बंसल	01508–233591
35	आंसेरी होस्पिटल,पीलीबंगा	डा.जे.सी.आंसेरी	01508–

36	शान्ती नर्सिंग होम,गोलूवाला	डा.आर.पी.पूनिया	01508–
37	बेनीवाल आई होस्पि.नोहर	डा.बेनीवाल	01555–220526
38	भाटी होस्पि,रावतसर	डा.सी.एस.भाटी	01537–
39	विवेकानंद अस्पताल,भादरा	संस्थागत	01504–
40	सुराना होस्पिटल,भादरा	डा.सुराना	01504–
41	सिंदोंलिया हस्पताल,भादरा	डा.ओ.पी.सिंदोलिया	01504–
42	निर्मल क्लिनिंक,संगरिया	डा.आभाबंसल	9414091142
43	स्वामी नर्सिंग होम,भादरा	डा.ललिता स्वामी	01504–223285
44	सिद्धु हास्पि.नोहर	डा.षिल्पीसिंह	09214321520
45	उतम होस्पि.संगरिया	डा.विनोदबाला	9414949971

(स) नर्सिग प्रषिक्षण केन्द्र

क.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रभारी का नाम	दूरभाश नं.
1	बंसल स्कूल आफ नर्सिंग,हनुमानगढ जं.	डा.पी.सी.बंसल	01552–512042
2	फलोरेंस नाईटेंगल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ टा.	डा.बिहारीलाल बांसल	01552–282071 9414095158
3	करूणा इंस्टी.आफ नर्सिंग,हनुमानगढ जं.	डा.एस.पी.गुप्ता	9414095555
4	राजकीय ए.एन.एम.प्रषिक्षण केन्द्र,हनुमानगढ	श्री रणवीर सिहाग	9414094620

(द) :–एम्बूलेंस की सूचना

क.सं.	**संस्थान का नाम**	**वाहन संख्या**
1	अति.मु.चि.एंव स्वा.अ.(प.क.)	आर.जे.31–ई. 0086, 0131
2	हनुमानगढ	आर.जे.31–पीए–0336
3	सीएचसी,संगरिया	आर.जे.31–ई. 0090
4	सीएचसी,पीलीबंगा	आर.जे.31–ई. 0091
5	सीएचसी,रावतसर	आर.जे.31–ई. 0098
6	सीएचसी,नोहर	आर.जे.31–ई. 0088
7	सीएचसी फैफाना	आर.जे.31–पीए–0944
8	सीएचसी,भादरा	आर.जे.31–ई. 0097
9	सीएचसी,छानीबडी	आर.जे.31–पीए–1746
10	**आपातकालीन एम्बूलेंस** **108 (कुल–14 स्थानों पर)**	**108 कुल–14 स्थानों पर** ट्रेफिक कन्ट्रोल रूम,हनुमानगढ टा. पुलिस कन्ट्रील रूम,हनुमानगढ पीएचसी पक्कासहारना पीएचसी भिरानी पुलिस थाना,रावतसर पुलिस थाना,पल्लू पुलिस थाना,गोलूवाला

		पुलिस थाना,पीलीबंगा पुलिस चौकी कैंचिया,एन.एच.15 पर पुलिस थाना,भादरा पुलिस थाना,नोहर पुलिस थाना,टिब्बी पुलिस थाना,संगरिया(पुराना कार्या.)
11	**आपातकालीन एम्बूलेंस 104 (कुल 17 स्थानों पर)**	सामु.स्वा.केन्द्र,भादरा प्राथ.स्वा.केन्द्र,अजीतपुरा प्राथ.स्वा.केन्द्र,डाबडी प्राथ.स्वा.केन्द्र,गांधीबडी प्राथ.स्वा.केन्द्र,कलाना सामु.स्वा.केन्द्र,नोहर प्राथ.स्वा.केन्द्र,धानसिया प्राथ.स्वा.केन्द्र,मालारामपुरा प्राथ.स्वा.केन्द्र,मेधाना सामु.स्वा.केन्द्र,रावतसर प्राथ.स्वा.केन्द्र,दीनगढ प्राथ.स्वा.केन्द्र,जाखडांवाली सामु.स्वा.केन्द्र,टिब्बी सामु.स्वा.केन्द्र,धौलीपाल सामु.स्वा.केन्द्र,पीलीबंगा सामु.स्वा.केन्द्र,संगरिया उपकेन्द्र,धन्नासर
12	**मेडिकल मोबाइल वेन (2)**	संगरिया व पीलीबंगा

(य) जिला/उपखण्ड/सामु./प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय अधिकारियों के दूरभाश नं.की सूची

जिला/ब्लॉक स्तरीय,अधिकारियों के दूरभाश नं.की सूची

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल न.	फोन न.
1	डॉ0 प्रीत मोहिन्दर सिंह	CMHO	9460647411	01552.261190
2	डॉ0 अरूण कुमार	Dy. CMHO	9414246999	01552.264295
3	डा0 अरूण कुमार	Addl. CMHO	9414246999	01552.260225
3	डॉ0 विक्रम सिंह	RCHO	9461077909	01552.265692
4	डॉ0 प्रीतमोहिन्द्र सिंह	DPC,RMSC	9460647411	01552.261176
5	डॉ0 राजेन्द्र भंवरिया	BCMO, Bhadra	9462479302	01504.222979
6	डॉ0 सुरेन्द्र भांभू	BCMO, Nohar	9667511825	01555.221502
7	डॉ0 ज्योतिधींगडा	BCMO, HMH	9414243233	01552.260702
8	डा0 गौरीषंकर	BCMO,Rawatsar	9414600282	01537.250068
9	डा0 सुरेन्द्रपाल स्वामी	BCMO,Tibbi	9649831158	01539.225216
10	डा0 संदीप तनेजा	BCMO,Pilibangan	9414589863	01508.233112
11	डा0 गौरीषंकर	BCMO,Sangria	9414600282	01499.250122
12	डा0 रविशंकर	Disst-T.B.Officer	9414332764	01552.226099
13	सुश्री रचना चौधरी	DPM, NRHM		01552.265692

(र) विभिन्न सामुदायिक स्वा.केन्द्रों/राजकिय चिकित्सालय प्रभारियों एवं चिकित्सकों के दूरभाश की सूची (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों संगरिया,रावतसर,नोहर व भादरा की बैड क्षमता 50–50 बैड व अन्य सभी की 30–30 बैड है)

क्रसं	संस्थान का नाम	सीएचसी/ पीएचसी का नाम	संस्था प्रभारी का नाम	मोबाईल नं.
1	ब्लॉक पीलीबंगा	सीएचसी पीलीबंगा	डॉ. हरि ओम बसंल	9414318578
2	ब्लॉक पीलीबंगा	सीएचसी गोलूवाला	डॉ. बद्रीराम	9460203966
3	ब्लॉक रावतसर	सीएचसी रावतसर	डॉ.सुभाश भिंडासरा	9829425976
4	ब्लॉक रावतसर	सीएचसी पल्लू	डॉ. जयप्रकाश	9529777766
5	ब्लॉक टिब्बी	सीएचसी टिब्बी	डॉ. सुरेन्द्रपाल स्वामी	9530140000
6	ब्लॉक भादरा	सीएचसी भादरा	डॉ. जसवन्त सिंह सहारण	9829625971
7	ब्लॉक भादरा	सीएचसी छानीबडी	डॉ. गौरव कौशिक	9991735037
8	ब्लॉक नोहर	सीएचसी नोहर	डॉ विनोद मूड	9414511430
9	ब्लॉक नोहर	सीएचसी– फैफाना	डॉ0रामस्वरूप	9929620136
10	ब्लॉक नोहर	सीएचसी–रामगढ	डॉ. राकेश	8875561732
11	ब्लॉक हनुमानगढ़	सीएचसी–धोलीपाल	डॉ. शंकर लाल खाती	9461535348
12	ब्लॉक पीलीबंगा	सीएचसी–डबलीराठान	डॉ. अरविन्द भादू	01552–286356
13	ब्लॉक संगरिया	सीएचसी संगरिया	डॉ0 अरविन्द्र शर्मा	9414380689
14	ब्लॉक संगरिया	सीएचसी–ढाबां	डॉ. अनुपमा	9779209356
15	ब्लॉक हनुमानगढ़	राज चिकित्सालय हनुमानगढ जक्शन	डॉ0 बीएल शर्मा	9414380644
1	ब्लॉक हनुमानगढ़	राज0डिस्पै0 हनुमानगढ	डॉ0 अरविन्द कुमार पाठक	9252259076
2	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी मक्कासर	डॉ. सत्य प्रकाश	9694213286
3	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– गांधीबड़ी	डॉ. भाल सिंह	9024803381
4	ब्लॉक भादरा	पीएचसी–डाबड़ी	डॉ. मनजीत	8504011718
5	ब्लॉक भादरा	पीएचसी–भिरानी	डॉ. संदीप पूनियां	9983045107
6	ब्लॉक भादरा	पीएचसी–अजीतपुरा	डॉ. रविन्द्र कुमार	8432728709
7	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– कलाना	डॉ. मनीश कुमार	9460959580
8	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– उत्तरादाबास	डॉ. नरेन्द्र कुमार	9784024501
9	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– गदरा	डॉ. रमेश कुमारी	9680015035
10	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– मलसीसर	डॉ.विजय सिंह	7688871854
11	ब्लॉक भादरा	पीएचसी– नेठराना	डॉ.प्रमोद कुमार	9462965353
12	ब्लॉक भादरा	पीएचसी घेउ	डॉ. दीपक कुमार	8130547001
13	ब्लॉक भादरा	पीएचसी शेरपुरा	डॉ. राजेश कुमार	9462479302
14	ब्लॉक भादरा	पीएचसी अनूपशहर	डॉ. अजय प्रकाश चौधरी	9521655060
15	ब्लॉक भादरा	पीएचसी जिगासरी छोटी	डॉ. नरेन्द्र सिंह	7727878177
16	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी पक्कासारणा	डॉ. राजपाल गोदारा	9414221635
17	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी लखूवाली	डॉ. कालू राम	9460446111
18	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी सहजीपुरा	डॉ. रवि खीचड़	8955550444
19	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी नौरंगदेसर	डॉ0 अनुराग सिराव	9413544135
20	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी जण्डावाली	रिक्त	9414381987
21	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी किशनपुरा दिखनादा	डॉ. कुलदीप सिंह बराड	9680004383
22	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी अराईयावाली	डॉ. अंजलि सिंह	8890397622
23	ब्लॉक हनुमानगढ़	पीएचसी भौमपुरा	डॉ. सुखवीर सिंह	8263022044
24	ब्लॉक नोहर	पीएचसी गोगामेड़ी	रिक्त	01504–211099
25	ब्लॉक नोहर	पीएचसी –दीपलाना	डॉ. प्रभुदयाल	9461394016

26	ब्लॉक नोहर	पीएचसी–परलीका	डॉ. धर्मवीर कस्वा	9782725554
27	ब्लॉक नोहर	पीएचसी– जसाना	डॉ. विकास चौधरी	9829775850
28	ब्लॉक नोहर	पीएचसी –मेघाना	डॉ.रतनलाल	9414636561
29	ब्लॉक नोहर	पीएचसी–मंदरपुरा	डॉ. जयपाल	9461474878
30	ब्लॉक नोहर	पीएचसी –बिरकाली	डॉ. अभिशेक मिश्रा	01537–221401
31	ब्लॉक नोहर	पीएचसी– धानसिया	डॉ0 बसन्त कुमार	9929146887
32	ब्लॉक नोहर	पीएचसी–टोपरियॉ	डॉ. अशोक सहारण	8144290341
33	ब्लॉक नोहर	पीएचसी–टिडियासरं	डॉ. कुमकुम मेहता	8890993186
34	ब्लॉक नोहर	पीएचसी थिराना	डॉ. रघुवीर प्रसाद	9414429566
35	ब्लॉक पीलीबंगा	पीएचसी खोथावाली	डॉ. रिजवान अहमद	9024733170
36	ब्लॉक पीलीबंगा	पीएचसी जाखंडावाली	डॉ. रिजवान अहमद	9166206066
37	ब्लॉक पीलीबंगा	पीएचसी लिखमीसर	डॉ. सत्य प्रकाश	9166206066
38	ब्लॉक पीलीबंगा	पीएचसी बडौपल	रिक्त	9414318578
39	ब्लॉक पीलीबंगा	पीएचसी डबलीवास मिडडारोही	डॉ. गरिमा चौधरी	7597827400
40	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी गंधेली	रिक्त	01537–270625
41	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी –बरमसर	रिक्त	8890298941
42	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी–केलनियां	डॉ. विनोद कुमार	9530206952
43	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी मोधूनगर	डॉ. सचिन कासनियां	9587647063
44	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी रामपुरा मटोरिया	डॉ. रमेश कुमार नेहरा	9460633408
45	ब्लॉक रावतसर	पीएचसी खोंडा	डा.सत्यप्रकाष	9166206066
46	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी, दीनगढ़	डॉ. रमेश कुमार	9462094210
47	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी मालारामपुरा	डॉ. दिनेश कुमार	9928112090
48	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी किशनपुरा उ.	डॉ.दिनेश कुमार	9928112090
49	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी चकहीरासिहवाला	डॉ. राजेश	9166311119
50	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी नुकेरा	डॉ. विनोद कुमार घोड़ेला	9772029068
51	ब्लॉक संगरिया	पीएचसी लीलांवाली	रिक्त	01499–280399
52	ब्लॉक टिब्बी	पीएचसी, सूरेवाला	डॉ. मुकेश कुमार	9414094637
53	ब्लॉक टिब्बी	पीएचसी, सिलवालार्खुद	डॉ. मुकेश कुमार छिम्पा	7568958485
54	ब्लॉक टिब्बी	पीएचसी तलवाडा–झील	रिक्त	9414636561
55	ब्लॉक टिब्बी	पीएचसी मिर्जेवाली मैर	डॉ. रामस्वरूप	8952920341

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बैड क्षमता 6–6 बैड है तथा जिले में 381 गांवों में उप स्वास्थ्य
केन्द्र है, जिनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है। सभी उपकेन्द्रों में 1–1 बैड स्वीकृत है।

(व) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों एवं प्रा.स्वा.केन्द्रों के दूरभाश नं.की सूची (सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बैड क्षमता 6–6 बैड है)

Sr. No.	PHC Name & Designation	Name	Office	Mobile
	HANUMANGARH			
1	राज.शहरी डिस्पे.,हनु.	डा.अनिल गोयल	01552–268209	9413933039
2	पीएचसी–मक्कासर	डा.अजय सिंगला	01552–244200	9414390436
3	पीएचसी–पक्कासारना	डा.रिपुदमन सिंह	01552–241444	9983520255
4	पीएचसी–सहजीपुरा	डा.भालसिंह	01552–272130	9024803381

5	पीएचसी–नौरंगदेसर	डा.धर्मवीर सिहाग	01552–281170	9460767895
		डा.सुनील नागपाल(आ.)	''	9414600816
6	पीएचसी–लखूवाली	डा.धनपत राम	01552–281082	8890554901
7	पीएचसी–जण्डांवाली	डा.विनीतगौतम		9460925829
8	पीएचसी–किषनपुरा दिख.	डा.रजत तिन्ना		7791879573
9	पीएचसी अराईयांवाली	डा.जयपाल		9461474878
10	पीएचसी–भोमपुरा	डा.सुखवीरसिंह		8263022044
	TIBBI			
1	पीएचसी–सिलवालाखुर्द	डा.सुनील विद्यार्थी	01539–283810	9414509583
2	पीएचसी–सूरेवाला	डा.मुकेषकुमार		9414094637
3	पीएचसी–तलवाडाझील	डा.रतनलाल		9414636561
4	पीएचसी–मिर्जेवालीमेर	डा.रामस्वरूप		8252920341
	PILIBANGAN			
1	पीएचसी–खोथांवाली	डा.मीनाक्षी(आ.)	01508–270122	9460949447
2	पीएचसी–जाखडावाली	डा.लोकेश छाबडा	01508–217051	9828677462
3	पीएचसी–लिखमीसर	डा.सत्यप्रकाष		9166206066
4	पीएचसी–बडोपल	रिक्त(नवसृजित)		
5	पीएचसी–डबलीमिढारोही	डा.भजनलाल		9413849567
	SANGRIA			
1	पीएचसी–लीलांवाली	डा.देवीलाल	01499–280399	9828516982
2	पीएचसी–चक हीरासिंह वाला			
3	पीएचसी–नुकेरां	रिक्त(नवसृजित)		
4	पीएचसी–दीनगढ	डा.रमेशकुमार	01499–273105	9462094210
5	पीएचसी–मालारामपुरा	डा.श्रवणकुमार	01499–273104	9784042948
6	पीएचसी–किशनपुरा	डा.प्रभूदयाल स्वामी	01499–245300	9461394016
	RAWATSAR			
1	पीएचसी–केलनीया	डा.विनोद नेहरा		9530206952 8769546834
2	पीएचसी–बरमसर	डा.रविन्द्र सिह		8890298941
3	पीएचसी–गंधेली	डा.सुनीलहर्ष	01537–270625	8562856123
		डा.भीखाराम(आ.)	''	8696214122
4	पीएचसी–खोडां	रिक्त(नवसृजित)	–	–
5	पीएचसी–मोदूनगर	डा.गौतम स्वामी		9460683583
6	पीएचसी–रामपुरा मटोरिया	डा.रमेषकुमार नेहरा		9928672867
	NOHAR			
1	पीएचसी–दीपलाना	डा.राजेन्द्र प्रसाद	01555.262099	9928807995
2	पीएचसी–रामगढ	डा.विनीत गौतम	01555.240356	9460925829
3	पीएचसी–टोपरियां	डा.अमृतपालसिंह	01537.234700	9667404397
4	पीएचसी–जसाना	डा.विरेन्द्रपालसिंह	01555–265273	
5	पीएचसी–मेघाना	डा.रमेश कुमार पूनिया	01555–212585	9460012683
6	पीएचसी–धानसिया	डा.बसन्तकुमार	01502–210574	9929146887
7	पीएचसी–परलिका	डा.राजवीर बेनीवाल		9462266151
8	पीएचसी–बिरकाली	डा.राकेश फगेडिया	01537–221401	8875561732
9	पीएचसी–मंदरपुरा	डा.कालूराम	01555–213388	9460446111
10	पीएचसी–गोगामेडी	डा.रमेश कुमार जांगीड	01504–211099	9461124463

11	पीएचसी–थिराना	डा.जसवन्त मीणा	''	7597715399
12	पीएचसी–टीडियासर	डा.जतिन	01555–	8890993186
	BHADRA			
1	पीएचसी–भिरानी	डा.विवेक कुमार	01504–281345	9783094312
2	पीएचसी–कलाना	डा.मंजीत ढाका	01504–282182	9462942708
3	पीएचसी–उतरादाबास	डा.अनिलकुमार	01504–211604	7728863799
4	पीएचसी–डाबडी	रिक्त	01504–210602	–
5	पीएचसी–गांधीबडी	डा.भालसिंह	01504–287120	9660201951
6	पीएचसी–गदरा	डा.सुमेश खिचड	01504–211607	9414954411
7	पीएचसी–अजीतपुरा	डा.दीपेश सोनी	01504–285391	9460013068
8	पीएचसी–नेठराना	डा.जयप्रकाष	01504.283149	9529777766
9	पीएचसी–मलसीसर	डा.मनीशकुमार	01504–211104	9460959580
10	पीएचसी–घेउ	डा.के.के.शर्मा		9982727270
11	पीएचसी–षेरपुरा	रिक्त(नवसृजित)		
12	पीएचसी–अनूपषहर	रिक्त(नवसृजित)		
13	पीएचसी–जिगासरी छोटी	रिक्त(नवसृजित)		

1.7 राजनीतिक तंत्र (स्थानीय सरकार प्रणाली, परिशद आदि)– जिले को पांच विधानसभा क्षैत्रों तथा दो संसदीय क्षैत्रों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार है–

क्र0सं0	संसद/विधानसभा क्षैत्र	सांसद/विधायक का नाम	मोबा0न0
1	लोकसभा क्षैत्र श्रीगंगानगर	मा0 श्री निहाल चन्द मेघवाल	9414090050
2	लोकसभा क्षैत्र चूरु	मा0 श्री राहुल कस्वां	095601.11599 9413364800
3	विधानसभा क्षैत्र हनुमानगढ	मा0 विनोद चौधरी	9414095383
4	विधानसभा क्षैत्र पीलीबंगा	मा0 धमेन्द्र मोची	9414229268
5	विधानसभा क्षैत्र संगरिया	मा0 गुरूदीप शाहपीणी	9772711111
6	विधानसभा क्षैत्र नोहर	मा0 श्री अमित चाचाण	9783580000
7	विधानसभा क्षैत्र भादरा	मा0 श्री बलवान पुनिया	9414951191

1.8 प्रशासनिक संरचना–

हनुमानगढ़ जिले में प्रशासनिक दृष्टि से 7 उपखंड तथा 8 तहसील है–

अतिरिक्त कलेक्टर	उप खण्ड एवं तहसील	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या			
			आबाद	गैर आबाद	कुल योग	शहरी क्षेत्र मे शामिल
1. हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	41	347	12	359	1
	पीलीबंगा	340	336	16	352	0
	संगरिया	26	184	03	187	1

	टिब्बी	29	247	07	254	0
2. नोहर	रावतसर	36	306	11	317	4
	नोहर	47	208	15	223	1
	भादरा	49	203	12	215	0
	महायोग	**268**	**1831**	**76**	**1907**	**7**

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु अनुक्रिया योजना है तथा यह प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करती है। तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाली गतिविधियों को सुनिश्चित करती है।

परिशिश्टः–2 आश्रय प्रबंधन व्यवस्था

2.1 जिले में उपलब्ध आश्रय स्थल/विवाह स्थल/होटलों की सूची (तहसीलवार)

क्रं.सं.	*तहसील*	*आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता*	*कमरो की संख्या*	*सम्पर्क नम्बर*	
				मोबाईल	*टेलीफोन*
1	पीलीबंगा	गंगा मैरिज पैलेस	1 हॉल 04 कमरे	9414095824	–
2	पीलीबंगा	गणपति मैरिज पैलेस	1 हॉल 07 कमरे	9982018030	–
3	पीलीबंगा	लग्न मैरिज पैलेस	1 हॉल 03 कमरे	9462895600	–
4	पीलीबंगा	राजकीय सीनियर सैकेण्डरी गर्ल्स स्कूल	20 कमरे	–	01508–223384
5	पीलीबंगा	राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल	15 कमरे	9460400799	–
6	पीलीबंगा	बी0एम0 स्कूल	12 कमरे	–	01508–235626
7	पीलीबंगा	इन्दिरा गांधी पी0जी0 कॉलेज	20 कमरे	9414501321	–
8	पीलीबंगा	जीनियस सैकेण्डरी स्कूल	30 कमरे	9414501141	–
9	पीलीबंगा	रा.उ.प्रा.विधालय दुलमानी	10 कमरे	9001471043	–
10	पीलीबंगा	प्रकाश मॉडल स्कूल दुलमानी	12 कमरे	9828681238	–
11	पीलीबंगा	केशव विधालय दुलमानी	15 कमरे	9414515161	–
12	पीलीबंगा	अग्रवाल रैस्टोरेन्ट	01	9782674510	–
13	पीलीबंगा	ढिल्लो रेस्टोरेन्ट	01	9887315823	–
14	पीलीबंगा	डॉलफिन होटल	कमरे 03 हॉल 01	9929177823	–
15	रावतसर	श्री अग्रसेन भवन धर्मशाला	8	97853–52019	–
16	रावतसर	महेश्वरी धर्मशाला	4	98870–87501	–

17	रावतसर	श्री रामदेव धर्मशाला	12	94602–66249	–
18	रावतसर	कुम्हार धर्मशाला	10	99839–76246	–
19	रावतसर	श्री विश्वकर्मा मन्दिर व धर्मशाला	12	90010–81187	–
20	रावतसर	होटल नारायण टावर	10	94135–38100	–
21	रावतसर	फूड ग्रेन धर्मशाला	08	99506–43999	–
22	रावतसर	मेघवाल धर्मशाला	06	94135–38027	–
23	रावतसर	ब्रहाम्ण धर्मशाला	10	98290–81699	–
24	रावतसर	श्री खेतरपाल धर्मशाला	10	94145–09753	–
25	रावतसर	चौधरी आईटीआई कालेज रावतसर	09	94145–10371	–
26	रावतसर	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा संस्थान रावतसर	22	98289–66847	–
27	रावतसर	बेसिक कालेज रावतसर	27	93090–00650	–
28	रावतसर	वैदिक कालेज रावतसर	18	81048–36873	–
29	रावतसर	चौधरी पी.आर.टी.टी. कालेज रावतसर	20	94146–32780	–
30	रावतसर	सैठ सी.एल सोमानी कालेज रावतसर	11	99297–88701	–
31	रावतसर	रविन्द्र नाथ टैगोर गर्ल्स कालेज रावतसर	16	98296–85671	–
32	रावतसर	सरस्वती गर्ल्स कालेज रावतसर	23	99282–29919	–
33	रावतसर	गुरूकुल बीऐड कालेज रावतसर	08	94135–15132	–
34	रावतसर	गुरू जम्भेश्वर टी.टी. कालेज रावतसर	15	94135–15132	–
35	रावतसर	कनीराम गर्ल्स कालेज रावतसर	06	99834–40768	–
36	रावतसर	रा0प्रा0वि0 वार्ड न0 10 रावतसर		–	–
37	रावतसर	रा0उ0प्रा0वि0 वार्ड न0 2 रावतसर		–	–
38	रावतसर	रा0प्रा0 सस्कृंत वि0 वार्ड न0 22 रावतसर	4	94136–14529	–
39	रावतसर	रा0 उ0 मा0 वि0 रावतसर	25	97834–39897	–
40	रावतसर	रा0उ0प्रा0वि0 वार्ड न0 3 रावतसर	7	94609–49487	–
41	रावतसर	रा0बा0उ0प्रा0 वि0 उतराधाबास रावतसर		–	–

42	रावतसर	रा0उ0प्रा0वि0 वार्ड न0 1 जोधाबास रावतसर	6	94602–66029	–
43	रावतसर	रा0उ0प्रा0वि0 वार्ड न0 5 रावतसर	6	99824–11477	–
44	रावतसर	रा0बा0उ0मा0वि0 रावतसर	17	94610–85420	–
45	रावतसर	रविन्द्र नाथ टेगोर उ. मा. विद्यालय रावतसर	13	98296–85671	–
46	रावतसर	चौधरी बाल उ.मा. विद्यालय रावतसर	18	94145–10321	–
47	रावतसर	चौधरी पब्लिक उ.मा. विद्यालय रावतसर	12	94146–32780	–
48	रावतसर	एम.डी. पब्लिक उ.मा. विद्यालय रावतसर	40	94145–09836	–
49	रावतसर	विश्वकर्मा उच्च मा. विद्यालय रावतसर	12	97831–31457	–
50	रावतसर	बाल नवजीवन सी.सै. विद्यालय रावतसर	16	99825–89014	–
51	रावतसर	जय हिन्द पब्लिक मा विद्यालय रावतसर	15	99298–42097	–
52	रावतसर	आदर्श विद्या मन्दिर उ. मा. विद्यालय रावतसर	08	94145–09899	–
53	रावतसर	डॉ.अम्बेडकर मा. विद्यालय रावतसर	10	99293–46069	–
54	रावतसर	पारीक पब्लिक मा. विद्यालय रावतसर	14	99283–45951	–
55	रावतसर	रामा प.सी.सै.विद्यालय रावतसर	13	99292–29748	–
56	रावतसर	विकास मॉडल मा. विद्यालय रावतसर	15	94145–78463	–
57	रावतसर	नोबल सैंट्रल एकेडमी विद्यालय (हनुमान मन्दिर) रावतसर	08	–	–
58	रावतसर	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस उ. मा. विधालय	24	98833–00650	–
59	रावतसर	जम्मेश्वर सी.सै. विद्यालय रावतसर	05	98293–96708	–
60	रावतसर	जय भारत मा. विद्यालय रावतसर	12	98874–98174	–
61	रावतसर	श्री सनातन धर्म सी.सै. वि.(नामदेव धर्मशाला)	10	97822–09922	–

		रावतसर			
62	रावतसर	स्वामी हरनामदास प. सी.सै.विद्यालय रावतसर	15	94135–15132	–
63	रावतसर	गुरूकुल सी.सै.वि. रावतसर	30	98284–13766	–

2.2 जिले में उपलब्ध राजकीय/गैर राजकीय आश्रय स्थल की सूची (तहसीलवार)

आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नं.
1 तहसील हनुमानगढ़			
राजकीय भवन			
डी.डी.ए.ओ हनुमानगढ जंक्शन	7	01552	260584
डी.ए.ओ. हनुमानगढ जंक्शन	14	01552	260584
पुराना ट्रेजरी भवन (वर्तमान सीएमएचओ कार्यालय), हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	261190
पुराना एसडीएम कोर्ट भवन (वर्तमान एनडीपीएस न्यायालय), हनुमानगढ जंक्शन	5	01552	262459
डी.आई.जी. स्टाम्पस , हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	260778
सर्किट हाउस , हनुमानगढ जंक्शन	15	01552	262116
सी.जे.एम. कोर्ट , हनुमानगढ जंक्शन	10	01552	262167
डी.जे. कोर्ट , हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	260207 260813
कम्जूमर कोर्ट, हनुमानगढ जंक्शन	5	01552	262425
ड्रस वेयर हाउस , हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	261140
उप निदेशक कार्यालय , जीपीएफ एवं राज्य बीमा, हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	260973
डी.आई.सी. भवन , हनुमानगढ जंक्शन	19	01552	260114
पुलिस लाईन, हनुमानगढ जंक्शन	51	01552	261106
सार्वजनिक निमार्ण विभाग, हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	260560
विश्राम गृह , सार्वजनिक निमार्ण विभाग, हनुमानगढ जंक्शन		01552	
जिलाधीश कार्यालय भवन मय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हनुमानगढ जंक्शन	133	01552	260001 260546 200125 200037 260728 260003
पुलिस थाना, हनुमानगढ जंक्शन	30	01552	260615
पुलिस अधीक्षक, कार्यालय हनुमानगढ़	5	01552	260757
रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ़ जं0	3	01552	261650

रा0उ0मा0वि0, छात्र, हनुमानगढ जं0	30	01552	260605
रा0उ0मा0वि0, छात्रा, हनुमानगढ जं0	16		
राजकीय मिडिल स्कूल, रेलवे	8		
राजकीय मिडिल स्कूल, कैनाल कालोनी	8		
राजकीय कन्या छात्रावास, हनुमानगढ जं0	26		
राजकीय मिडिल स्कूल, खुन्जा	7		
राजकीय मिडिल स्कूल, वार्ड नं 40	6		
पुरानी कलैक्ट्रेट भवन हनुमानगढ जं0	25		
सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय, हनु0जं0	1		
हनुमानगढ टाउन			
प्रथम– राजकीय भवन			
उपनिदेशक कृशि अनुसंधान केन्द्र, हनुमानगढ टा0	15	01552	231921
उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग	4		
पशु चिकित्सालय, हनुमानगढ टा0	3		
मत्सय विभाग, कार्यालय	7	01552	222791
जिला आबकारी कार्यालय,	8	01552	222088
पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन	23	01552	222026
राजकीय अस्पताल	150	01552	231399
राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल	23	01552	222765
यातायात पुलिस थाना	13	01552	230226
रिकार्ड रुम	3		
भाखडा तहसील बिल्डिंग, गुरुद्वारा सर्किल	3		
शैक्षणिक भवन			
राजकीय कन्या छात्रावास	11		
राजकीय उ0मा0वि0 फोर्ट स्कूल	24	01552	231739
राजकीय मिडिल स्कूल नं 1 नजदीक पुराना अस्पताल	8		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 2	6		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 1, नजदीक फायर ब्रिगेड	1		
राजकीय मिडिल स्कूल कन्या, नजदीक हिसारिया मार्केट	8		
राजकीय प्राथमिक स्कूल, नजदीक राधास्वामी डेरा	3		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 2, अम्बेडकर धर्मशाला	2		
II. TEHSIL SANGRIA			

Government Offices

आश्रम स्थल का नाम व पता	कमरो की सं.	S.T.D. CODE	TEL. NO.
SDM OFFICE WARD NO. 3	**8**	**1499**	**20950**
SUB TREASURY BIDG WARD NO. 3	**3**	**1499**	**253201**
THE. BIDG WARD NO. 3	**9**	**1499**	**250138**
A.C.J. M. COURT	**10**	**1499**	**253794**
R.S.W.C.	**3**	**1499**	**250074**
K.U.M.S	**8**	**1499**	**250064**
KREY VIKREY SAHKARI SAMITI	**19**	**1499**	**250046**
VETERINARY HOSPITAL	**2**	**1499**	**9829914478**
PHC & DCMHO	**13**	**1499**	**250122**
PHED SUB DIV.	**8**	**1499**	**250014**
R.S.E.B. COLONY	**6**	**1499**	**250428**
R.S.E.B. DIV.	**3**	**1499**	**251146**
IRRIGATION SUB DIV.	**3**	**1499**	**9413184527**
MINCIPLE CORPRATION & SUB RAGISTRAR	**16**	**1499**	**250030**
EXEISE OFFICE	**3**		
POLICE STN.	**18**		**250076**
DY. SP. OFFICE.	**3**		**250036**
PWD SUB DIV.	**5**		**9414337041**

B. EDUCATION			
GOBT. SR. SC. SCHOOL	**20**	**1499**	**253800**
GOVT. SR. SC. SCHOOL (GIRLS)	**15**	**1499**	**251974**
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	**10**	**1499**	**250650**
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 2	**8**		**9461376818**
GOVT.MIDDLE SCHOOL (GIRLS)	**7**	**1499**	
GOVT. PRIMARY SCHOOL, GURUNANAK BAGH	**5**		
GOVT. PRIMARY SCHOOL, 3 RTP - 2	**4**		**9269482801**
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	**4**		**9414481372**
GOVT. PRIMARY SCHOOL NO. 3	**4**		**9667931237**
GOVT. PRIMARY SCHOOL, 1 RTP	**4**		**9413932127**
GOVT. MIDDLE SCHOOL (GIRLS)	**16**		**9315596574**
GOVT. PRIMARY SCHOOL NO. 3	**4**		
GOVT. 3 RTP RATANPURA	**2**		
GOVT. SR. SC. SCHOOL	**15**		
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	**1**		**7597046236**

III. TEHSIL PILLIBANGA

A. Govt. Buildings

PWD Insp. Hut, Sub&div.	3	01508	233374

Tehsildar (Revenue)	13	01508	233313
Police Station	13	01508	233013
RSEB Sub div.	9	01508	233249
PHED Sub div.	6	01508	233143
Forest Deptt.	3		9982576377
K.U.M. Samiti	10	01508	233067
B. Education			
Indira Gandhi Memo. College	24	01508	233027
Vyapar Mandal Public School	12	01508	235626
Govt. Girls Sr. Sec. School	14	01508	234542
Govt. Hr. Sec. School	28	01508	234506
Samaj Kalyan Hostel	10		7597056025
Genius Sr. Hr. Sec. School	32	01508	233211
Keshav Vidhyapeeth Middle School	20	01508	234561
Saraswati Baal Mandir School	9		9784469114
Bhartiya Vidhya Mandir Sr. Sch.	12		9414501153
IV. TEHSIL TIBBI			
रा0 उ0 मा0 विद्यालय टिब्बी	25	नगेन्द्र सिंह	9950124957
रा0 प्रा0 वि0 वार्ड 18–20 टिब्बी	4	स्वराज	9414630418
रा0 बा0 उ0 मा0 वि0 टिब्बी	12	नीतूबाला	9413108362
रा0 प्रा0 विद्याालय	5	किरन सोंलकी	9509016262
रा0 प्रा0 वि0 10 जीजीआर	3	सुवर्षारानी	9782809796
रा0 प्रा0 वि0 6 जीजीआर	6	वीनारानी	9887308940
रा0 बा0 प्रा0 वि0	6	बलवीरसिंह	9667803444
रा0 प्रा0 वि0 तारासिंह की ढाणी	3	गुरजन्ट सिंह	9414950333
रा0 उ0 मा0 वि0 सलेमगढ	9	कल्याणसिंह	9414509614
रा0 प्रा0 वि0 सलेमगढ	6	भवानीसिंह	9982993551
रा0 प्रा0 वि0 सलेमगढ	6	कान्ता रानी	9460445374
रा0 प्रा0 वि0 3 केएसपी	2	नन्दराम	9460561945
रा0 मा0 वि0 4 केएसपी	9	धर्मेन्द्र मीणा	9887181514
रा0 प्रा0 वि0 4 केएसपी	5	सचिन शर्मा	9887089550
पंचायतभवन 4 केएसपी	3	अमीचन्द्र कांटीवाल सचिव	9460266340
राजीव गांधी केन्द्र 4 केएसपी	3	अमीचन्द्र कांटीवाल सचिव	9460266340
रा0 उ0 प्रा0 वि0 5 जीजीआर	5	देवेन्द्र	9414509621
रा0 उ0 प्रा0 वि0 11 एसएलडब्लयू	5	बलवीर	9928181115
केसरगढ पैलेस		शैलेन्द्रसिंह शेखावत	9351378887
पंचायत घर शेरेका	3	गीता	9530305181
राजीव गांधी सेवा केन्द्र शेरेका	3	गीता	9530305181
किसान सेवा केन्द्र शेरेका	2	अशोक	9468971990

रा0उ0प्रा0 वि0 19जीजीआर	5	सुरेन्द्र तोमर	7665461992
बिश्नोई धर्मशाला 19 जीजीआर	2	श्याम	9982680454
रा0 मा0 वि0 पन्नीवाली	10	सुखदेव सिंह	9602383109
रा0 प्रा0 वि0 14 एफटीपी	3	विद्या देवी	9461261827
रा0 प्रा0 वि0 12 एफटीपी	3	कलवन्त सिंह	9829393499
रा0 उ0 मा0 वि0 पीरकामड़िया	10	सुरेश घोटिया	9799368067
रा0 बा0 उ0 प्रा0 वि0 पीरकामड़िया	7	आशारानी	9460701745
रा0 प्रा0 वि0 19एनजीसी ए	2	सुमन बिश्नोई	8290067832
रा0 उ0 मा0 वि0 9 केएसपी	3	मोटाराम	9414509767
रा0प्रा0वि02एसएसडब्लयूस्थान एसएसडब्लयू	4	विनोद मीणा	9782907079
सामुदायिक केन्द्र 3 एसएसडब्लयू	1		
रा0 प्रा0 वि0 6 केएसपी	4	सोढीपाल	9772720905
रा0 प्रा0 वि0 6 केएसपी	3	राजेन्द्र सुथार	9983181221
रा0 बा0 उ0 प्रा0 वि0 चक 4 आरपी	8	प्रेमलता	9251727871
रा0 प्रा0 वि0 चक 4 आरपी	4	रामलाल	9610818477
रा0 प्रा0 वि0 चक 13 डीबीएल	5	राकेश बैनिवाल	
रा0 प्रा0 वि0 चक 5एनडीआर	3	दयाराम	9828336310
रा0उ0मा0 वि0 चक 14डीबीएल	13	सिमरजीतकौर	9950645167
रा0 प्रा0 वि0 चक 11डीबीएल	5	अमरचन्द	9785564898
रा0 प्रा0 वि0 चक 5एमजैडडब्लयू	4	रामसिंह	9414951401
रा0 प्रा0 वि0 चक 8एमजैडडब्लयू	4	साहबराम	9610651639
रा0 उ0 प्रा0 वि0 7एमजैडडब्लयू	11	कालूराम शर्मा	9983462392
रा0 उ0 प्रा0 चक 12डीबीएल	5	कृश्ण कुमार	9413713841
रा0 प्रा0 एवं रा0मा0वि0 रामपुरा/रामसरा	11	श्रीराम	9467738753
हरिजन धर्मशाला रामपुरा/रामसरा	2	शारदा	9024122255
उतम पब्लिक उ0मा0 वि0 रामपुरा/रामसरा	16	विनोद कुमार	9355980527
रा0प्रा0वि0(रा0गा0पा0 चक 7एजी)	3	—	—
रा0 मा0 वि0 6डीबीएल	12	राजकुमार	9784248579
रा0 उ0 प्रा0 वि0 8डीबीएल	13	भागीरथ	9460120282
रा0 उ0 प्रा0 वि0 7डीबीएल	9	सुशील कुमार	9413778488
रा0 उ0 प्रा0 वि0 2एमएसटीएसएम	3	निरंजनसिंह	8058951810
रा0प्रा0 वि0 3एमएसटीएसएम	3	—	—
रा0 प्रा0 वि0 5एजी	5	गणपतराम	9982323330
रा0 उ0 मा0 वि0 तलवाड़ा	16	01539	289173
रा0 प्रा0 पाठशाला 2टीएलडब्लयू	6		
रा0 बा0 मा0 विद्यालय तलवाड़ा	11		
रा0 प्रा0 वि0 तलवाड़ा	6		
राजीव गांधी सेवा केन्द्र तलवाड़ा	3	नरेन्द्र कुमार	9414953352
रा0 प्रा0 वि0 5टीएलडब्लयू	4		
ग्र0 प0 भवन तलवाड़ा	3	नरेन्द्र कुमार	9414953352
रा0 बा0 मा0 वि. बेहरवाला कलां	5	ममता गोस्वामी	9460573796

रा0 प्रा0 वि0 बेहरवाला कला	5	सुरेश कुमार	9649285797
राजीव गांधी सेवा केन्द्र बेहरवालाकला	3	लेखराम लाखोटीया	9530305159
ग्राम पंचायत भवन बेहरवाला कला	3	लेखराम लाखोटीया	9530305159
रा0 प्रा0 वि0 654 आरडी	3	धर्मेन्द्र मीणा	9461564478
गुरूद्वारा बेहरवाला कला	7	लखासिंह	9950748278
रा0 उ0 प्रा0 वि0 सिलवाला कला	10	जगदेवसिंह	9413537313
रा0 प्रा0 वि0 1 बीआरडब्लयू	3	कलवन्त फगोड़िया	9414964565
गुरूद्वारा सिलवाला कला	5	रणजीतसिंह	8432406353
बालिका उ0 मा0 वि0 राठीखेड़ा	9	बिसनाराम	8696089077
प्राथमिक विद्यालय रताखेड़ा	4	हरजीतसिंह	9413612066
उ0 प्रा0 वि0 2जीजीआर	7	राजेन्द्रसिंह	9460648091
पंचायत घर लोक सेवा केन्द्र	2	भंवरसिंह	9414509087
रा0 उ0 मा0 वि0 मिर्जावालीमेर	20	लालचन्द वर्मा	9784893687
रा0 बा0 मा0 वि0 मिर्जावालीमेर	7	उशाशर्मा	9462577239
रा0 बा0 प्रा0 वि0 मिर्जावालीमेर	5	कविता	9414874734
ग्राम पंचायत भवन मिर्जावालीमेर	3	रामकुमार सचिव	9530305171
राजीव गांधी केन्द्र मिर्जावालीमेर	3	रामकुमार	9530305171
रा0 मा0 वि0 चाहूवाली	7	सत्यपालसिंह	9950298051
रा0 प्रा0 पा0 चाहूवाली	3	–	–
रा0 उ0 प्रा0 वि0 केहरवाला	8	आत्माराम	9694900104
राजीव गांधी सेवा केन्द्र चाहूवाली	3	अनन्तराम	9983826836
ग्राम पंचायत भवन चाहूवाली	3	अनन्तराम	9983826836
रा0 मा0 वि0 भुरानपूरा	14	दलीप कुमार	9460120540
रा0प्रा0पाठशाला भुरानूपरा 13 आरडब्लयूडी	2	–	–
रा0 मा0 वि0 खिनानिया	12	–	–
रा0प्रा0 पाठशाला खिनानिया	8	–	–
रा0 मा0 वि0 श्योदानपुरा	13	नानकराम	9983391325
रा0 प्रा0 पाठशाला श्योदानपुरा	6	नानक राम	9983391325
राजीव गांधी सेवा केन्द्र खिनानिया	3	भगतराम	9783007870
ग्राम पंचायत भवन खिनानिया	2	भगतराम	9783007870
रा0 उ0 मा0 वि0 सिलवालाखुर्द	18	हरबंससिंह	9462174955
रा0बा0उ0प्रा0वि0 सिलवालाखुर्द	6	कृश्ण वाटस	9772818900
रा0प्रा0वि0 सिलवालाखुर्द	3	गंगाराम	8890395103
रा0प्रा0 वि0 चक 1एनडीआर	2	तरसेमसिंह	9680588848
रा0प्रा0 वि0 6एसएलडब्लयू	2	ईशवरसिंह	9413935296
राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिलवालाखुर्द	3	सुनिता मीणा	9530305187
रा0मा0वि0 2केएसपी	13	मदनलाल	9460095082
राजीव गांधी सेवा केन्द्र 2केएसपी	3	अमीचन्द कांटीवाल	9460266340
गाम पंचायत भवन 2केएसपी	3	अमीचन्द्र कांटीवाल	9460266340
रा0उ0प्रा0 वि0 11एसएलडब्लयू	4	बलवीरसिंह	9928181115
रा0उ0मा0प्रा0वि0 5 जीजीआर	6	देवेन्द्र सिंह	9414509621

रा0मा0वि0मसीतावाली	9	महेन्द्र ढाका	9983886043
रा0मा0वि04–5आरडब्लयूबी	5	लालचन्द	9354768787
राजीव गांधी सेवा केन्द्र व पंचायत भवन	6	अन्नतराम	9983826836
रा0उ0मा0वि0 मेहरवाला	13	जगदीशप्रसाद	9950049395
रा0उ0प्रा0वि0 मेहरवाला	9	बलवीरसिंह	9950175275
रा0उ0प्रा0वि016एसएलडब्लयू	8	साहबराम	9983513113
राजीवा गांधी सेवा केन्द्र मेहरवाला	3	वीरपालकौर	
ग्राम पंचायत भवन मेहरवाला	3	वीरपालकौर	
धर्मशाला चाहूवाली	1	–	–
धर्मशाला मसीतावाली	3	–	9460617043
कबीर धर्मशाला	15	परमानंद	9460617043
सामुदायिक केन्द्र सालीवाला	2	–	–
भाट धर्मशाला सालीवाला	4	–	–
बावरी धर्मशाला सालीवाला	2	–	–
हरिजन धर्मशाला गुड़िया	3	–	–
बावरी धर्मशाला खाराखेड़ा	2	–	–
हरिजन धर्मशाला खाराखेड़ा	1	–	–
हरिजन धर्मशाला साबुआना	2	–	–
सेलिब्रेशन मैरिज पैलेस चन्दूरवाली	5	–	–
रा0उ0मा0वि0 सूरेवाला	12	–	–
रा0उ0प्रा0वि0 सूरेवाला	8	–	–
रा0उ0मा0वि0 गिलवाला	10	–	–
रा0मा0वि0 सहारणी	8	–	–
रा0मा0वि0 चन्दूरवाली	10	–	–
हरिजन धर्मशाला चन्दूरवाली	2	–	–
रा0उ0मा0 वि0 बशीर	10	–	–
रा0 बा0 उ0 प्रा0 वि0 बशीर	7	–	–

V. TEHSIL NOHAR

A. Government Buildings

Panchayat Samiti & BEEO, Nohar	13	01555	220035
PWD Office, Nohar	15	01555	220556
PHED Office Nohar	29	01555	E.E.220223 A.E.220033
RSEB Nohar	14	01555	E.E.221083 A.E.220448
Irrigation Office, Nohar	17	01555	220429
Excise Office, Nohar	4		
RSAMB Office, Nohar	8	01555	220006
Public Office Building, Nohar (ADM, SDM, Tesildar, etc.)	21	01555	ADM 220508 SDM 220018 TDR 220187

Asstt. Director, Agriculture, Nohar	9	01555	220395
Sub&treasury, Nohar	3	01555	221468
Livestock Research Centre, Nohar	7	01555	220072
Municipality, Nohar	8	01555	220019
Police Station, Nohar	12	01555	220007
Dy. S.P. Office, Nohar	4	01555	220056
Judicial Campus, Nohar	12	01555	220228
NDB Govt. College, Bhadra Road, Nohar	23	01555	220233
Govt. Sr. Sec. School, Bihani Marg, Nohar	35		
Govt. Girls Sr. Sec. School Near Municipality, Nohar	32		
Govt. Middle School No.1 (Near old Sabzimandi), Nohar	10		
Govt. Middle School No.2 (Behind Matoria Garage), Nohar	7		
Govt. Middle School Jogi – Asan, Nohar	6		
Govt. Primary School No.1 (Behind Panchayat Samiti)	6		
Govt. Primary School No.2 (Balji ki Tal), Nohar	5		
Govt. Primary School No. 3 (Regeon ka baas)	4		
Govt. Primary School Sonri Road, Nohar	&		
Govt. Primary School Nehru&nagar, Nohar	5		
Govt. Primary School Dhani – Sikhan, Nohar	2		
Govt. Girls Primary School Opp. Police Station, Nohar	6		
Irrigation Rest House Bhadra Road, Nohar	5	01555	220429 (O)
Kisan Roat House (RSAMB), Nohar	6	01555	220006 (O)
P.W.D. Rest House, Nohar	3	01555	220556 (O)
VI. TEHSIL BHADRA			
A. Government Buildings			
Police Thana, Bhadra	12	01504	222028
B. School and Colleges			
Smt. Gorandevi Govt. Girls Senior Secondary School Bhadra Ward 11	31	01504	223686

Govt. Higher Secondary School, Bhadra Station Road	37	01504	222661
Govt. Middle School Bhadra, Ward No. 14	16		
Govt. Primary School Bhadra Ward No. 23	4		
Govt. Primary School No. 4 Bhadra Ward No. 13	5		
Govt. Girls Middle School Bhadra, Ward No. 14	12		
Govt. Primary School Bhadra, Ward No. 8	4		
Govt. Primary School Bhadra Ward No. 5	2		
Govt. Primary School Bhadra Ward No. 16	3		
Govt. Primary School Bhadra Ward No. 20	3		
Govt. Primary School Bhadra Ward No. 14	5		
Government offices			
AEN, PWD, Bhadra	5	01504	222050
AEN PHED Bhadra (PHED colony)	7	01504	222256
XEN Siddhmuch Irrigation Div. Bhadra (Irrigation colony)	7 rqsrp	01504	222212
AEN Siddmuch Div. I Bhadra	1		
AEN Siddhmuch Div.II Bhadra	1		
AEN Siddhmukh Div. III Bhadra	1		
AEN Appu Irrigation Div. Bhadra	1		
AEN Siddhmukh Survey & Research Div., Bhadra			
AEN Siddhmukh Survey & Research Div.&II, Bhadra			
AEN Siddhmukh Survey & Research Div.& III, Bhadra			
AEN Irrigation Bhakra Div. Bhadra	5		9414421775
AEN RSEB O & M Bhadra (RSEB colony)	14	01504	222090
AEN 132 KVGSS RSEB Bhadra	8	01504	222010
Secretary KUMS Bhadra (Opp. Telephone Exchange)	9	01504	222052
Tahsildar, Bhadra (TDR Campus Bhadra)	14	01504	22055
ACM, Bhadra, SDM Bhadra	5	01504	224793

Area Forest Officer, Forest Deptt, Bhadra	4		9414513530
Block Education Officer Panchayat Samiti Campus	3	01504	222130
Animal Husbandry Officer (Near Sawa Adda)	5		9414512944
Asstt Director Agriculture, Bhadra (Near Rly Station)	10	01504	222837
AEN Gun Control Div. Irrigation, Irrigation Colony, Bhadra	1		

VII. TEHSIL RAWATSAR

A. Government Buildings

1	GOVT. Senir secondary school New Bulding Rawatsar	**10**	**1537**	**251268**
2	GOVT. primary school (Urban) Noar social Wolfaro Doptt. Rawatsar	**2**	**--**	**--**
3	GOVT. Senir secondary Girls school Ward No 8 (Indra market) Rawatsar	**15**	**--**	**-**
4	GOVT. Middle School uttradabas Rawatsar	**9**	**-**	**-**
5	GOVT. primary Girls school Jodabas Rwatsar	**2**		
6	GOVT. primary Girls school vishnobas Rwatsar	**4**	**-**	**-**
7	Rani laxmi kumari public school Rawatsar	**21**	**1537**	**250707**
8	Ravindar nath Tegore Public School (Near Fort) Rwatsar	**25**	**1537**	**250449**
9	Jai Hind Public School (brahamin dharmshala) Rawatsar	**24**	**1537**	**9929842097 250006**
10	Visha Karma School (RCP coloney) Rwatsar	**23**		**9782847441**
11	Choudary maniram mamoriyal School Nai mandi Rawatsar	**25**		**9914632780**
12	choudarysenior Seccondary school near Polic thana Rawatsar	**22**		**9914510321**
13	assistant Engineer, PWD Sub.dvi. Rawatsar	**4**		
14	assistant Engineer, RSEB Sub.dvi. Rawatsar	**3**		**250289**
15	assistant Engineer, PHED Sub.dvi. Rawatsar (Urban)	**5**		**250066**
16	assistant Engineer, PHED Sub. dvi. Rawatsar (Sind)	**4**		**250177**
17	assistant Engineer, PHED Sub. dvi. (Rural) Rawatsar	**4**		**250067**
18	Muncipal Borad Rawatsar	**10**	**1537**	**250043**
19	Cort Bulding Rwatsar	**5**	**1537**	
20	Co-operative Society Rawatsar	**6**	**1537**	**250057**
21	Karshi upaj mandi Rwatsar	**7**	**1537**	**250055**

22	Executive Engineer, Dpptt. Pf irrgation Divison, Rawatsar	6	1537	250258
23	ACM Rawatsar	5	1537	
24	Tehsildar (Revnue) Rawatsar	6	1537	250123
25	Ranger, Forest Dept., Rwatsar	1	1537	
26	Donor, deptt. Of shoop And wool Rwatsar	2	1537	
27	Donor, Key villge yojana Rwatsar	4	1537	
28	assistant Engineer, Sub (RCP) dvi. Rawatsar	3	1537	250176, 150177
29	Exrcutive Engineer Div. RCP Rawatsar	7	1537	
30	Rest House, Assistanet Engineer Deptt. Of Irrgation Sub.-div Rwatsar	4	1537	
31	Rest House, RCP (I)	4	1537	
32	Jawala mandir Rwatsar		1537	250054
	B-Hotel			
1	Hotel Batra	6	01537	9929900202
2	Hotel Yuvraj	15	01537	9929346777 9829221904

परिशिश्ट–3: मीडिया भागीदारी–

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरुकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षैत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

परिशिश्ट–4:– चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना–

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना

हनुमानगढ में प्रायः माह जून के मध्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाडियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका,ओलावृश्टि,अतिवृश्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

हनुमानगढ जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल 1

जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	15
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	56
उप स्वा. केन्द्र	381

(1) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल एवं बाढ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :–जिले में भीड–भाड वाले तथा आंतककारी हमले के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/ अप्राकृतिक आपदा जैसे आंतकवादी (फिदाइन हमले) हमले, बम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, कारखानों में दुर्घटना,धरना ,प्रदर्शन,विरोध प्रदर्शन,चक्काजाम आदि के दौरान होने वाले जान–माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनशील क्षेत्र :–

1.रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ जं.
2.बस अडडा, हनुमानगढ जंक्शन
3.भगतसिंह चौक, हनुमानगढ जंक्शन
4.बाबा रामदेव मंन्दिर,ओवरब्रिज के नीचे, हनुमानगढ जं.
5.रोडवेज डिपो के सामने का चौक,सूरतगढ रोड, हनुमानगढ जं.
6.कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर, हनुमानगढ जं.
7.हनुमान जी का मंन्दिर,टाउन रोड, हनुमानगढ
8.अंबेडकर चौक, हनुमानगढ जं.
9.गंगानगर फाटक हनुमानगढ जं
10.सतीपुरा चौराहा, हनुमानगढ जं.
11.बस स्टेण्ड, हनुमानगढ टाउन
12.शिलापीर व बाबा सुखासिंह महताब सिंह गुरूद्वारा में मेला, हनुमानगढ टाउन
13.सुभाश चौक व इन्द्रा चौक,नगरपालिका रोड, हनुमानगढ टाउन
14.हिसारिया मार्केट/लालाजी चौक, हनुमानगढ टाउन
15.चूंगी नं.6, हनुमानगढ टाउन
16.भद्रकाली मेला,हनुमानगढ टा.
17.बाबा रामदेव/खेतरपाल मेला, रावतसर
18.माता का मंदिर ,पल्लू
19.सिंधी/रानी बाजार, नोहर
20.गोगामेडी मेला/गोरखनाथ टीला, गोगामेडी
21.मूर्ती चौक, भादरा
22.तहबाजारी, पीलीबंगा
23.सोनडी बस अडडा ,नोहर

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान:–

घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा. केन्द्र,तलवाडाझील,सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औशधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेगें। सर्वे,बचाव एवं

उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर.एस.पैक्टस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्शा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग)**अतिवृश्टि,ओलावृश्टि एवं पानी भराव की समस्याः–**

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृश्टि,ओलावृश्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया,पीलिया,हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड सकता है। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी ।

(घ)खान–पान संबंधीः–

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग,दूशित खाना खाने,दूशित जल पीने से उल्टी–दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बिमारीयां होने की संभावना रहती है । ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता,लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टाफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च)अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना,सर्दी,बुखार, सिरदर्द, डि–हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है । इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ नर्स–2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगें वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औशधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2)आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क)आपदा प्रबन्धन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):– प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं /मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स –ा एवं एक पुरूश स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते है। ये टीमे मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औशधि होती है। आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर–घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख)नियंत्रण कक्ष का गठन :–प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/ मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रो पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाश या किसी अन्य माध्यम से सूचना पंहचने पर तुरन्त संबधित स्वास्थ्य कार्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलो का गठन किया गया है ।

(ग)एम्बूलेंस की व्यवस्था :–

जिले में जिला चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बूलेंस का उपयोग रोगियों को लाने–ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने–ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बूलेंस में आपातकालीन औशधियां,स्ट्रेचर,की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थनों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतू एम्बूलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति ुसविधा के लिये 104 नं.एम्बूलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

एम्बूलेंसों की सूची संलग्न है।

रेपिड रेस्पोंस टीम(आर.आर.टी.),नियंत्रणकक्ष एवं एम्बूलेंस की सूची निम्न प्रकार से है

क्र. स.	टीम के सदस्य	संस्थान का नाम	दूरभाश नं. चिकित्सालय/ नियंत्रण कक्ष	एम्बूलेंस/वाहन
1	डा0 हरिओम बंसल,चि.अ. श्री नक्षत्रसिह नर्स II श्री भादरराम एम.पी.डब्ल्यू श्री लाधूराम वार्डबॉय	सीएचसी पीलीबंगा	233112 9414318578	आर.जे.31 ई.0091/108
2	डा0 अरविंद षर्मा,चि.अ. श्री भानीराम,नर्स II श्री फुलाराम वार्डबॉय	सी.एच.सी. संगरिया	250122 9414535834 9784060845	आर.जे.31 ई.0090/108
3	डा0 सुरेन्द्रषर्मा,चि.अ. श्री लाधूराम,नर्स II श्री लीलाधरषर्मा,एमपीडब्ल्यू	सी.एच.सी. नोहर	220022 9887831991 9414579274	आर.जे.31 ई.0088/108
4	डा0 मनोजडूडी चि. अ. श्री इन्द्र सैन नर्स II श्री सुरेन्द्रकुमार एमपीडब्लयू	सी.एच.सी. फेफाना	230144	आर.जे.31 पीए .0944
5	डा0 जसवंत सिंह,चि.अ. श्री महावीरसिंह नर्स II श्रीमती रोषनी देवी,एएनएम श्री राधेष्याम,वार्डबॉय	सीएचसी भादरा	223940 9928803031	आर.जे.31 ई.0097/108
6	डा0 विकासगर्ग चि. अ. श्री चन्द्र सिंह नर्स II श्री दीपचन्द एमपीडब्लयू	सी.एच.सी. छानीबड़ी	286356	आर.जे.31–पीए–1746
7	डा0 बद्रीप्रसाद मेहरडा चि. अ. श्री सुखमहेन्द्र सिंह नर्स II श्रीमती सुशमा एलएचवी	सी.एच.सी. गोलूवाला	250088	108
8	डा0 सुभाश भिडासरा चि. अ. श्री रमेषषर्मा नर्स I श्रीमती प्रीतम कौर ए.एन.एम.	सी.एच.सी. रावतसर	250068	आर.जे.31 ई.0098/108
9	डा0 अरविन्द पाठक चि. अ. श्रीमती बबीता नर्स II श्री हंसराज वार्ड ब्वाया	शहरी डिस्पैन्सरी हनुमानगढ ज.	268209 9252259076	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार/108

10	श्री मुकेषकुमार,चि.अ. श्री प्रभात,नर्स–II श्रीमती निर्मला,एल.एच.वी.	सीएचसी टिब्बी	225216 9414094637 8875554922	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार/108
11	डा0 ज्योतिधींगडा,चि.अ. श्री शैलेन्द्रसिंह,नर्स I श्री नरेशकुमार वा.बॉय	जिला मुख्यालय	261887 260702 261190 9414243233 9950155938	जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार/108
12	राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ टाउन से आवष्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	231399 9414319488	स्थानीय/108

(घ) औशधि भण्डारण :–

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औशधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :– जैसे हलोजन गोलिया, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस./क्लोरो क्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./ जी.डी.डब्लयू, ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औशधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च)मलेरिया नियंत्रण हेतू उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतू बुखार के रोगियों का घर–घर सर्वे कर रक्त पटिटकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिडकाव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ.डालकर उपचारित किया जाएगा ।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतू जोहड तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोडी जाएगी। बीटीआई / वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :–

जिले के एपीआई–2 या अधिक के आबादी क्षेत्र/जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिडकाव किये जातें है। इसके लिये प्रतिवर्श पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज)पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनें की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि.प्रयोगषाला में भिजवाये जातें है तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोशजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है । डिग्गी,कुण्डों,एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जााता है । सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनशेन की कार्यवाही भी की जाती है ।

(झ)स्वास्थ्य शिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां:–

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य षिक्षा दी जाती है :–

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बाध कर या छाता लेकर ही निकले। लू–ताप घात से प्रायः कुपोशण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते है। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटायें कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें । रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें ।
- सार्वजनिक स्थानो एवं विद्यालयों के आस–पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतू जन साधारण को जानकारी दी जाएगी ।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतो का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतू नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जॉच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य षिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानो में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रो पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवष्यक जीवन रक्षक औशधियो,जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिष्चित की जाएगी।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूशित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो में असंतोशप्रद पाये पेयजल स्त्रोतो का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपरक्लोरिनेशन एवं नमूनो का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जायेगा।

- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) चिकित्सा/जांच व्यवस्था :– सभी सीएचसी एंव जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवष्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानो में विषेश वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिये 150,नोहर,भादरा,रावतसर व संगरिया प्रत्येक सीएचसी में 50–50 अन्य सीएचसी में 30 तथा प्रत्येक पीएचसी में 6 बैड की क्षमता है । आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त बैडस की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

जिला चिकित्सालय,सीएचसी छानीबडी,नोहर,भादरा,पीलीबंगा,संगरिया व रावतसर में एक्स–रे मशीन,वायल्स ऑप्रेटर्स, ऑटोक्लेव मशीनों की व्यवस्था है। सभी चिकित्सालयों/सीएचसी में पैथेालोजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

(4) प्रचार प्रसार :–

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतू समय–2 पर प्रचार प्रसार हेतू पम्पलेटस वितरण किये जाते है दैनिक समाचार पत्रो द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारो श्लोग्न लिखवाये जाते है। बैनर/होंर्डिग लगाये जाते है। एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों एवं प्रा.स्वा.केन्द्रों के दूरभाश नं.की सूची

क्रस	खण्ड का नाम	संस्थान का नाम	चिकित्सा अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1	HANUMANGARH	PHC MAKKASER	DR.MANIKA SHARMA	94613-94807
2	HANUMANGARH	PHC LAKHUWALI	DR.JAI RAM SWAMI	7357416767
3	HANUMANGARH	PHC SAHJIPURA	DR.MANJU SHARMA	83860-83197
4	HANUMANGARH	PHC NORANGDESHAR	DR.AMISHA NAGPAL	76118-38851
5	HANUMANGARH	PHC JANDANWALI	DR.TANISHA BALADIAY	9672692698
6	HANUMANGARH	PHC KISHANPURA DIKHNADA	DR.SANDEEP KUMAR	9414884020
7	HANUMANGARH	PHC BHOMPURA	DR.ARVIND BISHNOI	79907-48840
8	HANUMANGARH	PHC ARAIYANWALI	DR.PARBHAT KUMAR	9460793183
9	HANUMANGARH	PHC MUNDA	DR.SUSHILA	8107508275
10	SANGARRIA	PHC DEENGARH	DR.KAJAL MAKKAR	70091-56848
11	SANGARRIA	PHC	DR.GOPAL KRISHAN	9414677036

		MALARAMPURA		
12	SANGARRIA	PHC KISHANPURA UTT.	DR.SAHIL SHARAN	7689813993
13	SANGARRIA	PHC CHAK HEERA SINGH WALA	DR.PRASANT PANWAR	8561813424
14	SANGARRIA	PHC NUKERA	DR.SURENDER KUMAR KANWARIA	8058382614
15	SANGARRIA	PHC LEELANWALI	DR.SIMRAN ARORA	9461378434
16	TIBBI	PHC SUREWALA	DR RANVIJAY SINGH SHEKHAWAT	9997497899
17	TIBBI	PHC SILIWALA Khurad	DR.SUKHVEER SINGH	82630-22044
18	TIBBI	PHC TALWARA	DR.ANKUR MEENA	96677-41452
19	TIBBI	PHC MIRZAWALI MAR	DR.ABHISHEEK DHAKA	8209909430
20	TIBBI	PHC Meharwala	DR.RAJESH KUMAR MEENA	9694606462
21	RAWATSAR	PHC KELANIA	DR HAR LAL	6375038617
22	RAWATSAR	PHC BARAMSAR	DR.JITENDRA	7737274441
23	RAWATSAR	PHC GANDHELI	DR. MANISH KUMAR SHARMA	8104290757
24	RAWATSAR	PHC MODHUNAGAR	Dr.NEERAJ NEERAJ	6375482889
25	RAWATSAR	PHC KHODA	DR ROHAN GURJAR	7737621889
26	RAWATSAR	PHC RAMPURA MATORIYA	DR.RAMESH KUMAR NEHRA	8003008783
27	RAWATSAR	PHC NYOLAKHI	DR.RAKESH BAROR	9649916000
28	PILIBANGAN	PHC KHOTHAWALI	Dr.PRERNA LUXMI BHAKHAR	9200010020
29	PILIBANGAN	PHC JAKHRAWALI	DR GOURI SHANKER	7891553985,
30	PILIBANGAN	PHC DABLIBAS MIDHAROHI	DR.SANJAY NASHANA	7976272877
31	PILIBANGAN	PHC LIKHMISAR	DR. AMITA	8946910255
32	PILIBANGAN	PHC BADOPAL	DR CHANDAN JINDAL UTB	9782669916
33	PILIBANGAN	PHC DOLTAWALI	DR ROHIT SUMAN	9829569900
34	NOHAR	PHC DEEPLANA	DR.DINESH KUMAR MAHALA	95493-94726
35	NOHAR	PHC PARLIKA	ALKA ALKA	79765-86512
36	NOHAR	PHC JASANA	Dr. SUMIT SIHAG UTB	70142-37696
37	NOHAR	PHC MANDARPURA	DR.PAWANKUMAR GODARA	7239969662
38	NOHAR	PHC BIRKALI	DR.ABHISHEK MISHARA	9799010044

39	NOHAR	PHC DHANSIA	DR.SCHIN KUMAR SABARWAL	63772-42919
40	NOHAR	PHC TOPARIYA	DR.RITU DIGARWAL	9252174890
41	NOHAR	PHC TIDIYASAR	DR.VANDANA RATHORE	9829484199
42	NOHAR	PHC THIRANA	DR.VIRENDRA KUMAR	9602064434
43	NOHAR	PHC LALANA DIKHNADA	DR.PRIYANKA	98291-99219
44	NOHAR	PHC KHUEYA	DR AMANDEEP UTB	97823-91605

45	BHADRA	PHC PHC DABRI	DDR.DEEMPAL NEHRA	7016360124
46	BHADRA	PHC PHC BHIRANI	DR.RUCHIKA WALIA	9416199998
47	BHADRA	PHC PHC AJEETPURA	DR.POOJA VERMA	6376369860
48	BHADRA	PHC PHC KALANA	DR.SONAL Yadav	8079044657
49	BHADRA	PHC PHC UTTRDABAS	DR.YUVRAJ	8385066107
50	BHADRA	PHC PHC GADRA	DR.GYANDEEP	9587956944
51	BHADRA	PHC PHC MALASISAR	DR.SHAIN KHAN	9783216662
52	BHADRA	PHC PHC NETHRANA	DR.MOKIKA	90572-34934
53	BHADRA	PHC PHC GHEU	DDR.SAMESTA	8448665404
54	BHADRA	PHC PHC SHERPURA	DR.AJAY SINGH	8562042658
55	BHADRA	PHC PHC ANOOPSAHAR	DR.PRAVEEN DHAKA	8696389950
56	BHADRA	PHC PHC JIGSARI CHOTTI	DR.JAIPRAKASH	9588092518
57	BHADRA	PHC PHC MUNSARI	DR.MUDIT KUMAR	89491-24894
58	BHADRA	PHC PHC NINAN	DR.NISHA	7976586452
59	BHADRA	PHC PHC MEHARANA	DR. RAKESH	8559921437

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. व खण्ड मुख्य चिकित्या अधिकारी/प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र

क्रस	चिकित्सका संस्थान का नाम	चिकित्सा अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. हनुमानगढ	डॉ. ओमप्रकाश चाहर	9460127340
2	जिला प्रजनन एंव शिशु स्वा.अधिकारी , हनुमानगढ	डॉ. विक्रम सिंह	9461077909
3	जिला क्षय निवारण केन्द्र हनुमानगढ	डॉ. रविशंकर शर्मा	9414332764
4	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,हनुमानगढ	डॉ. ज्योति धींगड़ा	9414243233
5	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,पीलीबंगा	डॉ. मनोज अरोड़ा	9057551553
6	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,नोहर	डॉ. प्रदीप कड़वासरा	9413431121
7	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संगरिया	डॉ. रवि खीचड़	8955550444
8	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतसर	डॉ. मनिन्द्र सिंह	8128022171
9	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भादरा	डॉ. मनजीत ढाका	9462942708
10	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिब्बी	डॉ. मुकेश कुमार	7568958485
11	राज. चिकि.कैनॉल कालोनी हनुमानगढ	डॉ.इन्द्र सैन झांझड़ा	9828378002
12	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र धोलीपाल	डॉ. अरविन्द	9928818123
13	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र पक्कासारणा	डॉ. सुनील विद्यार्थी	9460539808
14	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा	डॉ. सुनील कुमार	94688-76631

			90798-60352
15	चिकित्सा अधिकबीारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र डबलीराठान	डॉ. योगेश कुमार सारस्वत	9782555148
16	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला	डॉ. चिराग मोदी	9079002592
17	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र नोहर	डॉ. जसवन्त मीणा	7976053054
18	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ	डॉ. मनजीत ढाका	9462942708
19	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र फैफाना	डॉ. भूपेन्द्र सिंह	9772269707
20	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र गोगामेड़ी	डॉ. राजेश कुमार	9649824870
21	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र संगरिया	डॉ. अरविन्द शर्मा	9414380689
22	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र ढांबा	डॉ. रवि खीचड़	8955550444
23	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर	डॉ प्रभुदयाल	9461394016
24	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र पल्लू	डॉ. जयप्रकाश	9829428976
25	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र भादरा	डॉ. सतवीर सिंह	8619345980
26	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र गांधीबड़ी	डॉ. कुलदीप	7690813320
27	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र छानीबडी	डॉ. नवीन कुमार	8769601073
28	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र टिब्बी	डॉ मांगीलाल	90015171191
29	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र मेधाना	डॉ.बसन्त कुमार शर्मा	9929146887
30	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र सूरवोला	डॉ.रण विजय सिंह शखावत	9997497899

संस्थान	संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, चिकित्सा, लैबोरेटरी जांच,एक्स–रे,निःशुल्क औशधियां, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेंस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण ,प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑपरेशन,पटटी, आधारभूत प्रसव सुविधाए, आपातकालीन जटिल प्रसव सुविधाएं, एमएलसी, पोस्टमार्टम, एक्स–रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, लैबोरेटरी जांच, निःषुल्क औशधियां, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें, जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेंस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, पटटी, आधारभूत प्रसव सुविधाए, एमएलसी, पोस्टमार्टम, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उपकेन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	निशुल्क औशधियां, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें, जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, पटटी, प्रसव सुविधाए, नमक में आयोडीन ,पानी की एफटीके विधि से जांच, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

7.1 जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित तहसीलवार ग्रामों की सं. वर्षा 2022–23

क्र.सं.	नाम तहसील	2022–23

1	हनुमानगढ	2
2	संगरिया	17
3	टिब्बी	39
4	नोहर	1

7.2 जिले मे स्थित कच्ची बस्तियां, जहां बरसात/बाढ़ के समय पानी भरने की सम्भावना रहती है।

क्र॰ सं॰	तहसील	कार्यालय का नाम	वह स्थान जहां पानी भरने की संभावना रहती है
1.	नोहर	नगरपालिका नोहर	वार्ड 01 शोभाणा जोहड़ के पास वार्ड 19 डेरा सच्चा सौदा के पास वार्ड 19 गुरूद्वारा सूर्य भवन मंदिर के पीछे वार्ड 20 पीडब्लुडी॰ रेस्ट हाऊस के पास
2.	पीलीबंगा	वार्ड नं. 02 पीलीबंगा	राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय लखुवाली के पीछे
		वार्ड नं. 11 पीलीबंगा	खरलियां रोड़ शिव मन्दिर के सामने
		वार्ड नं. 17 पीलीबंगा	बलाना के मकान के पास,
		वार्ड नं. 17 पीलीबंगा	बिश्नोई मन्दिर के उत्तर दिशा में
		वार्ड नं. 19 पीलीबंगा	रा0उ0प्राथमिक विधालय के पीछे

तहसील का नाम	गांव का नाम	वह स्थान जहां पानी भरने की सम्भावना रहती है
हनुमानगढ़		शहरी क्षेत्र लोहिया कॉलोनी हनु.टा., सब्जी मंडी व सब्जी मंडी के पीछे का क्षैत्र हनु.टा., सिंधी मौहल्ला, जाट मौहल्ला, अम्बेडकर कॉलोनी हनु.टा., नई आबादी गली नं. 01 से 12 तक हनु. टा., रूपनगर, बिश्नोई धर्मशाला के पीछे, पुलिस कॉलोनी, अग्रवाल कॉलोनी, बिहारी बस्ती, बरकत कॉलोनी, पुराना बाजार, दुर्गा कॉलोनी, खंजा बाईपास रोड़ का क्षैत्र सुरेशिया, नजदीक सरस्वती कॉलेज आईडीएसएमटी आवासीय योजना के पीछे का क्षैत्र
संगरिया		शहरी क्षेत्र वार्ड नं. 1,2,19
टिब्बी		टिब्बी ग्रामीण क्षेत्र तलवाड़ा झील, राठीखेडा/रत्ताखेडा, टिब्बी, मसानी, ढ़ाणी तारासिंहवाली, शेरेकां, कमरानी, पन्नीवाली, पीरकामड़िया, सुरेवाला, चन्दुरवाली।
रावतसर		शहरी क्षेत्र वार्ड नं– 9, बाबा रामदेव मन्दिर के पास,वार्ड नं– 5, वेयरहाउस के पास,वार्ड नं– 3, रा0– प्रा0– पाठशाला के पास, वार्ड नं– 2, कश्मीर सिंह के मकान के पास,वार्ड नं– 17, ईंट भट्टा का खड्डा,वार्ड नं– 20, बस स्टैन्ड के पास

पीलीबंगा	पीलीबंगा	शहरी क्षेत्र वार्ड नं– 2,4,5,6,11,17,20,21,22,25 की निकासी की व्यवस्था सही न होने के कारण
	सरावांवाला	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	दौलतावाली	–डू–
	सरामसर	–डू–
	अहमदपुरा	–डू–
	रावों की ढाणी	–डू–
	पण्डिता वाली	–डू–
	पीलीबंगा गांव	–डू–
	दुलमाना	–डू–
	कालीबंगा	–डू–
	निहालपुरा	–डू–
	गोलूवाला	वार्ड नं– 8, हरीराम मन्दिर से रामदेव मन्दिर तक
	सुरांवाली	वार्ड नं–1
	रामपुरा	बिहारी बस्ती, गांव का पूर्वी भाग
	खरलियां	राय सिंक्खो के जोहड़ के पास
	थिराजवाला	बाबरी मोहल्ला
	हरदयालपुरा	जोहड़ के पास
	लिखमीसर	ग्राम पंचायत भवन, औशधालय का क्षेत्र
भादरा	**शहरी क्षेत्र वार्ड नं.1 रीले केन्द्र के पास, वार्ड नं. 2 अनाज मण्डी व सिंचाई कॉलोनी के आगे, वार्ड नं.5,6 मुमताज खां की बाड़ी, वार्ड नं. 7 जुलाहों की ढ़ाणी, वार्ड नं. 9 नथवाना जोहड़ा कल्याण भूमि के पास, वार्ड नं. 19 डूम सागर,**	

परिशिश्टः–8 जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची

8.1 हनुमानगढ़ जिले में स्थित पेट्रोल पम्पों की सूची

No.	DepotName	DepotType	Address	Nagarpalika	Pincode	ContactPerson	ContactNo
1	Taradevi Hired Godam Hanumangarh	Hired - by CSC, belongs to Private & Managed by SWC	Hanumangarh Junction	Hanumangarh	000000	Taradevi Hired Godam	0000000000
2	FSD Hanumangarh (FCI)	Hired - by CSC, belongs to SWC & Managed by SWC	Hanumangarh	Hanumangarh	000000	FSD Hanumangarh	0000000000
3	ARDC Hanumanga	Hired - by CSC, belongs to SWC &	Hanumangarh	Hanumangarh	000000	ARDC Hanumangar	0000000000

	rh (FCI)	Managed by SWC				h	
4	CAP KDTP Hanumangarh	Hired - by CSC, belongs to SWC & Managed by SWC	Hanumangarh	Hanumangarh	000000	CAP KDTP Hanumangarh	0000000000
5	CWC Hanumangarh JN.	Hired - by CSC, belongs to CWC & Managed by CWC	Sector-8 Near Dhan Mandi , Hanumangarh JN.	Hanumangarh	335512	Jagdish Ray Sharma	01552260602
6	RICCO Phase-2 CWC Hanumangarh JN.	Hired - by CSC, belongs to CWC & Managed by CWC	RICCO Phase-2 CWC Hanumangarh JN. , Ward No.-1 Hanumangarh JN.	Hanumangarh	335512	Ramcharan	01552211794
7	FSD HANUMANGARH TOWN (FCI)	Hired - by CSC, belongs to CWC & Managed by CWC	NEAR RAILWAY STATION HANUMANGARH TOWN WARD NO. 25, HANUMANGARH	Hanumangarh	335513	TARA SINGH SAINI	0155222909
8	RSWC Sangriya	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Ward No-07 New Dhan Mandi , Near Post Office , Sangriya	Sangaria	335063	Varun Godara	01499250070
9	KVSS Sangriya	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Sangriya KVSS , Ward No-09 , Sangriya	Sangaria	335063	Hari Singh Sharma	01499250046
10	RSWC PILIBANGA	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Near Govt. high School Ward no. 6, Pilibanga	Pilibanga	335803	Manger	01508233030
11	K.V.S.S PILIBANGA	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	K.V.S.S PILIBANGA Ward no. 9, Pilibanga	Pilibanga	335803	Inderjeet Bishnoi	01508233014
12	RSWC Nohar	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Nohar	Nohar	000000	RSWC Nohar	0000000000
13	RSWC Nohar	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Ward No-25 , Near New Dhan Mandi, RSWC Noher , Nohar	Nohar	335523	Yogesh Kumar	01555220084

14	KVSS Nohar	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	KVSS Nohar , Anaj Mandi , Ward No-25 , Nohar	Nohar	335523	Ashok Kumar	01555220037
15	RSWC Ware House Bhadra	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Bhadra	Bhadra	000000	RSWC Ware House Bhadra	0000000000
16	RSWC Bhadra	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Ward No-02 , Near Kirshi Upaj Mandi Bharda	Bhadra	335501	Aasharam	01504222156
17	KVSS Bhadra	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Ward NO-02 , KVSS Bhadra , Near New Dhan Mandi , Bhadra	Bhadra	335501	Amichand Tilotiya	01504224506
18	RSWC Rawatsar	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Ward No-02 , Sardarsahar Road , Rawatsar	Rawatsar	335524	Wajeer Singh	01537250101
19	KVSS Rawatsar	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Rawatsar KVSS , Dhan Mandi , Ward No-18 , Rawatsar	Rawatsar	335524	Gangadhar	01537230057
20	KVSS Hanumangarh	Hired - by SFC, belongs to State warehousing Corporation Ltd.	Rajeev Gandhi Chok , Near Panchayat samiti , Ward No-19 Hanumangarh Town , Hanumangarh	Hanumangarh	335513	Hari Singh Sharma	01552222 03

8.2 उचित मूल्य दुकानवार सूची जिला हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र व तहसीलवार

हनुमानगढ	शहरी	सुरेश/राममूर्ति	वार्ड 45	9588036834
हनुमानगढ	शहरी	हनुमानगढ कैटरिंग सं0 वार्ड 2सी	वार्ड 3	8619533498
हनुमानगढ	शहरी	नीता/ लालचन्द्र	वार्ड 2	9785162997
हनुमानगढ	शहरी	रमजान/हेज मो0	वार्ड 4	8104014786
हनुमानगढ	शहरी	सेवाराम/ पारीराम	वार्ड 6	7610855209
हनुमानगढ	शहरी	सतगुरू प्रसाद/चन्दगीराम	वार्ड 5	9414508670
हनुमानगढ	शहरी	मनीराम/ रु लया राम वार्ड 6	वार्ड 7	9660675683
हनुमानगढ	शहरी	राजकुमार/ लक्ष्मणदास	वार्ड 9	9549719859
हनुमानगढ	शहरी	निशा/सुरेन्द्र कुमार	वार्ड 9	8741088220
हनुमानगढ	शहरी	महिला हैण्डीक्राफट वार्ड 8बी	वार्ड 9	9462394407
हनुमानगढ	शहरी	रतनलाल/ परसराम	वार्ड 8	9660675683

हनुमानगढ	शहरी	भवानीशंकर/ मानकलाल	वार्ड 13	9413884654
हनुमानगढ	शहरी	राजबाला/ हरिमोहन	वार्ड 14	7014756491
हनुमानगढ	शहरी	पंकज	वार्ड 15	9414950800
हनुमानगढ	शहरी	गोपालदास / गणेशराम वार्ड 17	वार्ड 17	9461566784
हनुमानगढ	शहरी	शकुन्तला/ हंसराज	वार्ड 18	8947871044
हनुमानगढ	शहरी	सरितादेवी/ राधेश्याम	वार्ड 18	9413513977
हनुमानगढ	शहरी	राहुल गुप्ता/ रमेश कुमार अस्थाई	वार्ड 21	9413513977
हनुमानगढ	शहरी	राजेश/ गो गराज	वार्ड 22	9413430747
हनुमानगढ	शहरी	हरीराम/ आईदान	वार्ड 23	7976678600
हनुमानगढ	शहरी	इन्दकुमार	वार्ड 24	9414600325
हनुमानगढ	शहरी	भव्य पराशर/संजय पराशर	वार्ड 25	9413614511
हनुमानगढ	शहरी	कृष्णा	वार्ड 26	9413933448
हनुमानगढ	शहरी	रघुवीर	वार्ड 27	9001257411
हनुमानगढ	शहरी	सुभाष/हसंराज	वार्ड 28	9413614560
हनुमानगढ	शहरी	आदर्श महिला बहुउद्रदेशीय वार्ड 26बी	वार्ड 29	9413264809
हनुमानगढ	शहरी	सीमादेवी/ ओमप्रकाश	वार्ड 30	9983964041
हनुमानगढ	शहरी	लक्ष्मीनारायण	वार्ड 31	9782980661
हनुमानगढ	शहरी	संजय / मोहनलाल	वार्ड 32	9950673700
हनुमानगढ	शहरी	रामस्वरूप/गंगाक शन	वार्ड 33	9782980661
हनुमानगढ	शहरी	प्रेमलता/ सतीश कुमार	वार्ड 20	9460102259
हनुमानगढ	शहरी	जानकीदेवी/ रामगोपाल	वार्ड 19	9588868446
हनुमानगढ	शहरी	यशपाल शर्मा /भूपेन्द्र शर्मा	वार्ड 34	9414904151
हनुमानगढ	शहरी	गुलशन कुमार/ सेवाराम	वार्ड 37	9414318348
हनुमानगढ	शहरी	ऋ ष खदरिया/ दीनदयाल	वार्ड 11	7014756491
हनुमानगढ	शहरी	सुभाष/करणी संह	वार्ड 10	9782508756
हनुमानगढ	शहरी	भवानीशंकर/ मानकलाल अस्थाई	वार्ड 38	9413884654
हनुमानगढ	शहरी	नेहा क पल / मनीष क पल	वार्ड 39	9875038828
हनुमानगढ	शहरी	राजरानी/ओमप्रकाश	वार्ड 40	9414954382
हनुमानगढ	शहरी	महिला सहकारी भण्डार वार्ड 39सी	वार्ड 40	9983187780
हनुमानगढ	शहरी	रमेश कुमार गर्ग	वार्ड 44	9588036834
हनुमानगढ	शहरी	हनुमानगढ प्रा0महिला बहु0 वार्ड 40F	वार्ड 42	9414210334
हनुमानगढ	शहरी	बल वन्द्र कुमार/श्रेष्ठ कुमार	वार्ड 1	9782508756
हनुमानगढ	शहरी	सुरेन्द्र कुमार/रामचन्द्र	वार्ड 41	9667075008
हनुमानगढ	शहरी	शंकरलाल/ मोहनलाल	वार्ड 44	9414211936
हनुमानगढ	शहरी	सतीश कुमार/ मंगतराम	वार्ड 2	9610877444
हनुमानगढ	शहरी	मनोज कुमार / प्रयाग चंद	वार्ड 4	9982020448
हनुमानगढ	शहरी	यशपाल/ खेपचन्द्	वार्ड 8	9828277376

हनुमानगढ	शहरी	जगनलाल/ कश्मीरी लाल	वार्ड 12	9414210334
हनुमानगढ	शहरी	क़ष्णलाल/ रामप्रकाश छाबड़ा	वार्ड 15	9414950800
हनुमानगढ	शहरी	मोहनलाल/ शंकरलाल	वार्ड 16	9414094626
हनुमानगढ	शहरी	हरीश/काशीराम	वार्ड 5	9414508670
हनुमानगढ	शहरी	रमेश कुमार/मुन्शीराम	वार्ड 19	9799084031
हनुमानगढ	शहरी	रामचन्द्र/ मोहनलाल	वार्ड 24	9461999316
हनुमानगढ	शहरी	सोमचन्द/ अमीचन्द शर्मा	वार्ड 23	9783945709
हनुमानगढ	शहरी	निशा / पुष्पा देवी	वार्ड 27	7232039250
हनुमानगढ	शहरी	राहुल गुप्ता/ रमेश कुमार	वार्ड 27	9461310849
हनुमानगढ	शहरी	हंसराज/ मुन्शीराम	वार्ड 28	9461014273
हनुमानगढ	शहरी	रोशनलाल/ वेदराज	वार्ड 28	7009108074
हनुमानगढ	शहरी	अं कत छाबड़ा/देवेन्द्र पाल	वार्ड 30	9783124131
हनुमानगढ	शहरी	कृष्ण बलदेव/ मोहनलाल	वार्ड 30	7014221387
हनुमानगढ	शहरी	हबीब रहमान/ अब्दुल रहमान	वार्ड 31	9928219890
हनुमानगढ	शहरी	मनीषा गोयल/राकेश गोयल	वार्ड 32	9667469903
हनुमानगढ	शहरी	तरसेमलाल/ बुधराम	वार्ड 33	9782903755
हनुमानगढ	शहरी	राजकुमार/ भीमचन्द छाबडा	वार्ड 35	9414211895
हनुमानगढ	शहरी	रामचन्द्र/ भीमचन्द	वार्ड 36	9414211895
हनुमानगढ	शहरी	सुभाष/करणी संह अस्थाई	वार्ड 10	9782508756
हनुमानगढ	शहरी	पवन कुमार/ मदनलाल	वार्ड 38	9462690745
हनुमानगढ	शहरी	नेहा क पल / मनीष क पल अस्थाई	वार्ड 40	9875038828
हनुमानगढ	शहरी	राजेश जगन लाल	वार्ड 40F	9414210334
हनुमानगढ	शहरी	गोपी कशन/मूलचन्द	वार्ड 41	9414904151
हनुमानगढ	शहरी	कश्मीरीलाल	वार्ड 43	9887315761
हनुमानगढ	शहरी	पवन कुमार/ रामप्रताप	वार्ड 42	9024235986
हनुमानगढ	शहरी	हनु.ज.प्रा.सहकारी भण्डार	वार्ड 1 ए	9588036834

संगरिया तहसील

संगरिया	शहरी	राकेश कुमार/ हजारीलाल रैगर	वार्ड 1	9414632922
संगरिया	शहरी	भूपेन्द्र स्वामी/हरिक़ष्ण	वार्ड 2	9414481473
संगरिया	शहरी	सुरेन्द्र कुमार /केदारनाथ	वार्ड 3	9116635186
संगरिया	शहरी	अनुराग	वार्ड 4	9413882279
संगरिया	शहरी	मदनलाल/हंसराज	वार्ड 5	9461180970
संगरिया	शहरी	मांगीलाल/ मनीराम	वार्ड 7	9829957152
संगरिया	शहरी	बलवीर संह	वार्ड 8	7791912471
संगरिया	शहरी	राकेश कुमार/केसरीचन्द	वार्ड 9	9414508591
संगरिया	शहरी	मधु जैन	वार्ड 10	9667963003
संगरिया	शहरी	पवनकुमार/ रामनिवास	वार्ड 11	9460788145

संगरिया	शहरी	मंगतराम/ प्रेमचन्द	वार्ड 12	9352103755
संगरिया	शहरी	शवकरण/सरजमल अग्रवाल	वार्ड 14	9414629987
संगरिया	शहरी	नारायणीदेवी/राजेन्द्र कुमार	वार्ड 16	8949198348
संगरिया	शहरी	सतनामदास/हसंराज	वार्ड 17	9461377098
संगरिया	शहरी	प्रकाशचन्द/हरीशचन्द	वार्ड 18	9414481402
संगरिया	शहरी	भगवान संह/रमनलाल पंवार	वार्ड 19	9001166200
संगरिया	शहरी	दीनदयाल / मदनलाल	वार्ड 20	9672616116
संगरिया	शहरी	राजेश कुमार/ महावीर	वार्ड 21	9414431823
संगरिया	शहरी	तारा संह/ चन्द संह	वार्ड 22	9782726609
संगरिया	शहरी	र वन्द्रकुमार/हरीराम	वार्ड 23	9649655054
संगरिया	शहरी	सतीश कुमार/ मोहनलाल	वार्ड 24	9414431753
संगरिया	शहरी	इन्दुबाला	वार्ड 25	9414629690
संगरिया	शहरी	सुरेन्द्र कुमार /केदारनाथ अस्थाई	वार्ड 25	9116635186
तहसील रावतसर				
रावतसर	शहरी	वकास बंसल / रतनलाल	वार्ड 1	9783821000
रावतसर	शहरी	वनोदकुमार/ बंशीधर	वार्ड 2	9462202794
रावतसर	शहरी	अशोक कुमार अस्थाई	वार्ड 5	9461554888
रावतसर	शहरी	अजय कुमार/सत्यनारायण	वार्ड 6	8385067200
रावतसर	शहरी	अकरम/ इकरामुदीन	वार्ड 7	7976113306
रावतसर	शहरी	जगदीशप्रसाद/ हरनाम	वार्ड 8	9828893340
रावतसर	शहरी	पवन गोपाल/ लच्छीराम	वार्ड 9	9610120782
रावतसर	शहरी	जगदीशप्रसाद/ हरनाम अस्थाई	वार्ड 11	7597090189
रावतसर	शहरी	पवन गोपाल/ लच्छीराम अस्थाई	वार्ड 15	9610120782
रावतसर	शहरी	कुलदीप	वार्ड 16	9829452767
रावतसर	शहरी	जगदीशप्रसाद/ हरनाम अस्थाई	वार्ड 16	7597090189
रावतसर	शहरी	ओमप्रकाश/हनुमानप्रसाद	वार्ड 17	9649367337
रावतसर	शहरी	अशोक कुमार	वार्ड 3	9461554888
रावतसर	शहरी	क़ष्णकुमार/कुम्भाराम	वार्ड 19	9950211723
रावतसर	शहरी	अरुण कुमार / बंशीधर	वार्ड 22	8058499498
रावतसर	शहरी	मुख्त्याअली/अब्दुला	वार्ड 20	8104506186
रावतसर	शहरी	मंजुबाला	वार्ड 18	9261430005
रावतसर	शहरी	कुलदीप अस्थाई	वार्ड 10	9829452767
तहसील भादरा				
भादरा	शहरी	गुलामरसुल/सुलेमान	वार्ड 1	8003221189
भादरा	शहरी	शव कुमार अस्थाई	वार्ड 3	9928843209
भादरा	शहरी	सुरेन्द्र संह/गौरीशंकर नाई	वार्ड 4	9413523995
भादरा	शहरी	रामस्वरूप/मोमनराम	वार्ड 6	9414512964

भादरा	शहरी	असलम खॉ/कादरखॉ	वार्ड 7	9414503025
भादरा	शहरी	लयाकतअली/ सुलेखॉ	वार्ड 8	9413431404
भादरा	शहरी	अब्दुल अजीज /हबीब खान	वार्ड 9 ए	9462026986
भादरा	शहरी	अब्दुल अजीज /हबीब खान अस्थाई	वार्ड 9 बी	9269777777
भादरा	शहरी	शव कुमार	वार्ड 10	8875692100
भादरा	शहरी	वमल कुमार	वार्ड 11 ए	9610092431
भादरा	शहरी	अब्दुला/गनीखॉ अस्थाई	वार्ड 15	9929237036
भादरा	शहरी	अब्दुला/गनीखॉ	वार्ड 16	9414512867
भादरा	शहरी	लालचंद / वश्वनाथ सोनी	वार्ड 23 बी	9414940671
भादरा	शहरी	पवनकुमार/ओमप्रकाश गोयल	वार्ड 18	9413764929
भादरा	शहरी	हरिप्रकाश/वश्वनाथ	वार्ड 19 ए	9166259862
भादरा	शहरी	फारुख	वार्ड 22 बी	9461367568
भादरा	शहरी	योगेश कुमार/मंगतूराम	वार्ड 23 ए	6376658650
भादरा	शहरी	बलदेव/वजयपाल	वार्ड 25	9414512834
भादरा	शहरी	मनीष /देवप्रकाश	वार्ड 11 बी	9929005001
भादरा	शहरी	बलदेव/वजयपाल अस्थाई	वार्ड 17	9414512834

तहसील – पीलीबंगा

पीलीबंगा	शहरी	तोजिन्द्र संह/रामकरण वार्ड नंबर 1	वार्ड 1	9829761401
पीलीबंगा	शहरी	मालाराम/भुराराम वार्ड नंबर 9 अस्थाई	वार्ड 4	9829761401
पीलीबंगा	शहरी	तोजिन्द्र संह/रामकरण वार्ड नंबर 1 अस्थाई	वार्ड 6	9414501101
पीलीबंगा	शहरी	मुकेशकुमार/अजमेर अस्थाई	वार्ड 6	9460643893
पीलीबंगा	शहरी	अमरनाथ/ भागीरथ वार्ड नंबर 7	वार्ड 7	9667268283
पीलीबंगा	शहरी	देशराज/मोहनलाल वार्ड 17 अस्थाई	वार्ड 8	9414510513
पीलीबंगा	शहरी	मालाराम/भुराराम वार्ड नंबर 9	वार्ड 9	7023391102
पीलीबंगा	शहरी	सुषमा देवी	वार्ड 10	7665449700
पीलीबंगा	शहरी	शुभ कुमार वार्ड नंबर 11	वार्ड 11	9414950647
पीलीबंगा	शहरी	रजनी /साधुराम वार्ड12	वार्ड 12	9602496500
पीलीबंगा	शहरी	दलीपकुमार/ ओमप्रकाश वार्ड14	वार्ड 14	9667854934
पीलीबंगा	शहरी	बंशीलाल/सुरजभान वार्ड15	वार्ड 15	7665449700
पीलीबंगा	शहरी	देशराज/मोहनलाल वार्ड 17	वार्ड 17	9414510513
पीलीबंगा	शहरी	चमनलाल/लाहौरीराम वार्ड18	वार्ड 18	9414501031
पीलीबंगा	शहरी	राजकुमार/ बालूराम अस्थाई	वार्ड 19	9667268283
पीलीबंगा	शहरी	भूपेन्द्र संह/भगवान संह वार्ड22	वार्ड 22	9414990298
पीलीबंगा	शहरी	इन्द्राजभादु/रयोलाल वार्ड 23	वार्ड 23	8058531385
पीलीबंगा	शहरी	चाँदनी /सुभाष	वार्ड 24	9828482138
पीलीबंगा	शहरी	मुकेशकुमार/अजमेर वार्ड25	वार्ड 8	9414509235
पीलीबंगा	शहरी	राजकुमार/ बालूराम	वार्ड 20	9667268283

पीलीबंगा	शहरी	अमरनाथ/ भागीरथ अस्थाई	वार्ड 2	9667268283
		तहसील नोहर		
नोहर	शहरी	कमल कुमार/मंगलचन्द्र पण्डा	वार्ड 2	9785231085
नोहर	शहरी	सलीम खॉं/ सतारदीन	वार्ड 3	9166673183
नोहर	शहरी	निशांत गुप्ता / पवन गुप्ता	वार्ड 4	9636153343
नोहर	शहरी	महावीरप्रसाद/मगनीराम	वार्ड 5	9413430989
नोहर	शहरी	पुष्पादेवी/श्याम सुन्दर	वार्ड 6	9982507580
नोहर	शहरी	महेश कुमार/ चौथमल	वार्ड 7	9460392198
नोहर	शहरी	वकास कुमार/राधेश्याम	वार्ड 8	8949846737
नोहर	शहरी	प्यारेलाल भोजक/भूरेलाल	वार्ड 9	9414636415
नोहर	शहरी	ख्यालीराम/योकरराम सैनी	वार्ड 11	9828934800
नोहर	शहरी	रामपाल मीणा	वार्ड 12	9828773050
नोहर	शहरी	मांगीलाल/कशनलाल	वार्ड 13	9636153343
नोहर	शहरी	द्रोपती/हीरालाल	वार्ड 15	9783458630
नोहर	शहरी	सुनीता/मुकेश	वार्ड 16	9413295410
नोहर	शहरी	कृष्ण कुमार/देवीलाल	वार्ड 17	9983072978
नोहर	शहरी	अर्जुनराम /मुकनाराम	वार्ड 19	9413514408
नोहर	शहरी	मनोज कुमार/ इन्दाज	वार्ड 20	9784050411
नोहर	शहरी	लालचन्द्र/ रमेश कुमार	वार्ड 22	9828698350
नोहर	शहरी	रामप्रताप/रामेश्वरलाल	वार्ड 25	8209840560
नोहर	शहरी	श्यामसुन्दर/रामेश्वरलाल	वार्ड 26	9950185530
नोहर	शहरी	सत्यपाल सेवग	वार्ड 30	9783882345

8.3 छविग्रहों की सूची (तहसीलवार)

क.सं	नाम व पता	तहसील	क्षेत्रफल	कुल सीट	एस–टी–डी–कोड	दूरभाश
1	शिव मन्दिर	हनुमानगढ़			01552	260719
2	कृष्णा टाकीज भादरा	भादरा			01504	01504
3	वितान विहार सिनेमा संगरिया	संगरिया			01499	250135
4	शंकर टाकीज नोहर	नोहर			01555	

जिले मे उपलब्ध वायरलैस संचार व्यवस्था :–

जिला प्रशासन वायरलैस संचार व्यवस्था

क.स.	केन्द्र का नाम	कॉल साईन
1.	Sp Hmg	Tiger
2.	Collector	Echo
3.	Addl.Sp.Hmg	Bravo-1
4.	Addl.Sp.Bhadra	Bravi-2
5.	Co Hmg	Peter-1
6.	Co Sangria	Peter-2
7.	Co Nohar	Peter-3
8.	Co Rawatsar	Peter-4
9.	C.O. Sc/St Cell Hmg	Peter-5
10.	Sho Hmg Jn	Gama-1
11.	Sho Hmg Town	Gama-2
12.	Sho Pilibanga	Gama-3
13.	Sho Tibbi	Gama-4
14.	Sho Sangria	Gama-5
15.	Sho Rawatsar	Gama-6
16.	Sho Pallu	Gama-7
17.	Sho Nohar	Gama-8
18.	Sho Bhadra	Gama-9
19.	Sho Bhirani	Gama-10
20.	Sho Goluwala	Gama-11
21.	Sho SADAR HMG	Gama-12
22.	I/C TRAFFIC (TSI)-H.H.	Tango-1
23.	Sho MAHILA HMG	Gama-15
24.	Ps GOGAMERI	Gama-16
25.	Ps TALWARA	Gama-17
26.	OP SURESIA VEH GYPSY RJ 10 UA 0246	MOBILE BITA -15
27.	Mt VEH JEEP RJ31-U-0124	Tango-2
28.	Mt VEH TRUCK RJ 14-1G-1134	Tango-3
29.	Mt VEH TAWERA RJ31-1387	Chetak-1
30.	MT VEH BOLERO RJ-31-UA-2903	Chetak-3
31.	MT VEH BOLERO RJ-31-UA-2902	Chetak-4

CITY CHANNEL NO. 6 **RURAL CHANNEL NO. 13**

पुलिस वायरलैस संचार व्यवस्था

क.स.	केन्द्र का नाम	कॉल साईन
1.	Vhf Control	Control
2.	City Control	City Control
3.	REPEATER	GORKH TILLA
4.	Sp Chamber	Tiger
5.	SP RESIDENCE	TIGER

6.	Add.Sp.Hmg	Bravo - 1
7.	Ps Hmg Jn.	Fort-1
8.	Ps Hmg Town	Fort-2
9.	PS Pillibanga	Fort-3
10.	PS Tibbi	Fort-4
11.	PS Sangaria	Fort-5
12.	PS Rawatsar	Fort-6
13.	PS Pallu	Fort-7
14.	PS Nohar	Fort-8
15.	PS Bhadra	Fort-9
16.	PS Bhirani	Fort-10
17.	PS Goluwala	Fort-11
18.	PS Sadar HMG	Fort-12
19.	P/Line HMG	Fort -13
20.	PS Traffice	Fort -14
21.	PS Mahila HMG	Fort - 15
22.	PS Gogameri	Fort - 16
23.	PS Talwara	Fort - 17
24.	OP Dhaban	BITA –2
25.	OP Surewala	BITA –3
26.	OP Phephana	BITA –4
27.	OP Mehrana	BITA –5
28.	OP Dabli	BITA - 6
29.	OP Lakhuwali	BITA –7
30.	OP Kenchiya	BITA –9
31.	OP Jakharanwali	BITA –10
32.	OP Shergarh	BITA-11
33.	OP Dhanasar	BITA-12
34.	OP Thalraka	BITA-13
35.	OP Masita Wali Head	BITA - 14
36.	OP MALARAMPURA	BITA-16
37.	EOC Collectrate	EOC
38.	Z.U. Cid Hmg	Seira-1

CITY CHANNEL NO. 6 **RURAL CHANNEL NO. 13**

परिशिश्ट– 10 विभिन्न संस्थाओं,एन.जी.ओ., स्वयं सेवकों की सूची

क्र.सं.	विवरण	सम्पर्क नं.
1	सेवा दृष्टि, हनुमानगढ जं.(डा.रवि त्रेहन)	9414595230
2	श्रीराम चैरीटेबल ट्रस्ट, हनुमानगढ (डा.सतीश नागपाल)	9414283075
3	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, हनुमानगढ जं. (सीताराम बेनीवाल)	9460642121
4	संजीवनी एजुकेशान एंड वेलफेयर सोसायटी, हनुमानगढ जं.(कैलाश शर्मा)	9461566876
5	मानव विकास एवं टंकण प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ जं. (जितेन्द्रतंवर)	9413951194
6	लायन्स क्लब,हनुमानगढ (रामचन्द महाजनी)	9414095046
7	के.जी.पब्लिक स्कूल समिति, हनुमानगढ जं.	9460310472
8	सामाजिक चेतना शोध एवं पुनर्वास संस्थान, हनुमानगढ टाउन	9414875918

9	इन्द्रागांधी प्रषिक्षण संस्थान,नई आबादी,हनुमानगढ टाउन (महेन्द्रशर्मा)	
10	श्री राममनोहर लोहिया विद्यालय,हनुमानगढ टाउन (सुरेश शर्मा)	9414094515
11	आई 2 आरडी,,हनुमानगढ टाउन (विनोदसैनी)	9414580765
12	आई.केयर सोसायटी हनुमानगढ टाउन (डा.माकड)	9414094747
13	इंडियन हैल्थ एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी हनुमानगढ जं.(के.के.जानी)	9414580787
14	व्यापार मण्डल धर्मशाला ,हनुमानगढ जं.	262122
15	यादव धर्मशाला, हनुमानगढ जं. (कालूराम शर्मा)	9414328278
16	कन्दोई धर्मशाला,हनुमानगढ टाउन (रिसीकुमार)	231949
17	महावीर धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन (नारायणशर्मा)	225605
18	करणी धर्मशाला हनुमानगढ टाउन (किशोर सिंह)	223987
19	अरोडवंष धर्मशाला (राजपाल)	223677
20	व्यापार संध धर्मशाला,कोर्टरोड, हनुमानगढ जं.	9460623930
21	दुर्गामंदिर धर्मशाला ,हनुमानगढ जं. (रमेश शर्मा)	268126
22	जाट धर्मशाला हनुमानगढ (सीतारामषर्मा)	
23	बिशनोई धर्मशाला,हनुमानगढ टाउन	223592
24	अग्रवाल धर्मशाला,हनुमानगढ टाउन (गोपालषर्मा)	225091
25	फूडग्रेन धर्मशाला हनुमानगढ टाउन (विजेन्द्रजैन)	231999

10.1 प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची (तहसीलवार)

क्रं.सं.	तहसील	स्वंयसेवी संस्था का नाम	पदाधिकारी			
			अध्यक्ष		सचिव	
			नाम	मोबाईल	नाम	मोबाईल
1	पीलीबंगा	एकता मंच	राजेश गोयल	9414318555	–	–
2	पीलीबंगा	तरूण संध	पवन मित्तल	7665133333	–	–
3	पीलीबंगा	भारतीय विकास परीषद्	सुशील गुप्ता	9414990311	–	–
4	पीलीबंगा	मारवाड़ी युवा मंच	उमेश सोनी	9414035395	–	–
5	पीलीबंगा	व्यापार मंडल	हनुमान जैन	9414509239	–	–
6	रावतसर	युवा लियो समिति	श्री राधेश्याम	94145–02184	श्री साहबराम	96499–01001
7	रावतसर	मदर ट्रेरेसा सेवा संस्था	श्री विजय सिंह डुडी	99280–97485	श्री दीपक गोयल	98294–68957
8	रावतसर	जीवन ज्योति सेवा संस्था	श्री मोहनलाल सोनी	99502–60287	श्री नारायण सिंह	94145–35312
9	रावतसर	श्री श्याम नवयुवक मंडल सेवा संस्था	श्री कृष्णलाल शर्मा	98870–74484	श्री सुभाष खदरिया	99294–22101
10	रावतसर	श्री अग्रसेन भवन धर्मशाला	श्री सुशील खदरिया	97853–52019	श्री मुरारीलाल खदरिया	94145–10327
11	रावतसर	महेश्वरी धर्मशाला	श्री सुरेन्द्र बिहाणी	98870–87501	श्री भोजराम बिहाणी	96658–63947

12	रावतसर	श्री रामदेव धर्मशाला	श्री बहादूर सिंह सहू	94602–66249	श्री मनसाराम सोनी	94132–31128
13	रावतसर	कुम्हार धर्मशाला रावतसर	श्री ओमप्रकाश सिंगाटिया	99839–76246	श्री राधाकृष्ण छापोला	99296–74382
14	रावतसर	श्री विश्वकर्मा मन्दिर व धर्मशाला	श्री भंवरलाल जाला	90010–81187	श्री ओमप्रकाश	94145–02275
15	रावतसर	होटल नारायण टावर धर्मशाला	श्री ओम गोदारा	94135–38100	श्री अशोक कुमार	80949–49491
16	रावतसर	फूड ग्रेन धर्मशाला	श्री हरपाल सिहाग	99506–43999	श्री रायसिंह मील	96676–50650
17	रावतसर	मेघवाल धर्मशाला	श्री भानीराम	94135–38027	श्री रामसिंह मौर्य	72405–97518
18	रावतसर	चौपाल लोक जागृति शोध समिति रावतसर	श्री गिरधारीलाल कडवासरा	95496–04953	श्री रामजस बुरडक	94145–35354
19	रावतसर	ब्रहाम्ण धर्मशाला	श्री छगनलाल जोशी	98290–81699	श्री थानेश्वर शर्मा	77429–41444
20	रावतसर	श्री खेतरपाल	श्री प्रेम सिंह सुडा	94145–09753		
21	रावतसर	गौड ब्रहाम्ण सेवा समिति	श्री ओमप्रकाश शर्मा	94615–54897	श्री निरंजन शर्मा	98289–66847
22	संगरिया	श्री जुबली राम नाटक समिति	विनोद मोदी	9414480799	डिप्टी कंवल शर्मा	9414502050
23	संगरिया	समाज सुधार मंच	राजेन्द्र चौधरी	9413378790	डॉ अंग्रेज सिंह	9950368497
24	संगरिया	उपभोक्ता संरक्षण समिति	संजय आर्य	9414091400	विद्यासागर शर्मा	9413779014
25	संगरिया	श्री राम सोशल क्लब	हिमान्सू गोयल	9001012827	हैप्पी ग्रोवर	9828167000
26	संगरिया	डेरा सच्चा सौदा	कृश्णलाल	9785115453		
27	संगरिया	अभिनव संगरिया अभियान	प्रमोद डेलू	9414380711	कपील करवा	9887857269
28	नोहर	रिलीफ सोसायटी, नोहर		01555–220243		
29	नोहर	एपेक्स क्लब नोहर		01555–220014		
30	नोहर	लायन्स क्लब नोहर		01555–221180		

सूरतगढ़ की स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम मय दूरभाष

टेलीफोनकोड : 01509

क्रं. सं.	नाम व पद	नाम	मोबाईलनम्बर
1.	**रोटरीक्लब**	श्री मनोज बाघला, अध्यक्ष	9784780307 9414480129
2.	**महावीर इन्टरनेशनल**	श्रीदिलीप मिश्रा; अध्यक्ष	9414502362
3.	**बालाजी लंगर समिति**	श्री रोशन लाल लीला, अध्यक्ष	9414432651
4.	**सिटीजन चैम्बर क्लब**	श्री चिरंजी लाल चौधरी, अध्यक्ष	9414381393
5.	**व्यापार मण्डल, सूरतगढ़**	श्री महेश,अध्यक्ष	9414092185
6.	**अग्रवालसमाजसेवादल, सूरतगढ़**	श्री अंकुर गोयल, अध्यक्ष	9950273096
7.	**यंगमैन एशोसिएसन ,सूरतगढ़**	श्री रतीराम यादव, अध्यक्ष	9571901862
8.	**जैन युवकसंघ**	श्री दिपेन्द्र रांका, अध्यक्ष	9928082283
9.	**पंजाबी वैलफेयर सोसाईटी**	श्री अशोक आहुजा, अध्यक्ष	7014751802
10.	**तेरापंथ युवक परिषद्**	श्री महेन्द वैध, अध्यक्ष	9950309703

नागरिक सुरक्षा मे स्वयं सेवक के नाम व वितरण।

क्र.सं.	नाम स्वयंसेवक/पिता का नाम	सदस्य सं.	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1	सुखचरण सिंह /गुरूदेव सिंह	48	9001878385	गोताखोर
2	सजाद खां/नूरज माल	92	8890840447	गोताखोर
3	जुगल किशोर/श्योपतराम	90	6376593627	गोताखोर
4	मनोज/रामलाल	81	9828977653	ड्राईवर
5	विनोद कुमार/दलीप कुमार	26	9413515332	ड्राईवर
6	अशोक कुमार/जगदीश	18	9001932807	सामान्य
7	सुरेन्द्र कुमार/जयचंद	59	8955702500	तैराक
8	भानीराम/चानण राम	32	9079782522	ड्राईवर
9	लखविन्द्र सिंह/ज्ञान सिंह	30	9680842827	ड्राईवर
10	गुरविन्द्र सिह/हरमेल सिंह	29	9413621210	ड्राईवर
11	राजकुमार/इन्दसेन	31	9929216789	ड्राईवर
12	सरैणाबाई/बलवन्त सिंह	10	9983152780	सामान्य
13	मन्जू रानी/बृजलाल	12	8529366629	सामान्य
14	राजवीर कौर पत्नी जगसीर सिंह	15	7733960462	सामान्य
15	मनीष कुमार/रमेश कुमार	38	8955521300	सामान्य
16	सोनु अरोड़ा/अर्जुन लाल	39	9828268831	सामान्य
17	हेमराज/बनवारीलाल	56	7610089419	सामान्य
18	धर्मेन्द्र बारिया/औमप्रकाश	60	9413537480	सामान्य
19	रमेश/जीवण राम	61	8003929639	सामान्य
20	सुभाष चन्द्र/कालूराम	62	8696356376	सामान्य
21	बबलू/लालचन्द	66	6350388493	सामान्य
22	इकबाल सिंह/दलबारा सिंह	74	8504002853	सामान्य
23	मोहन लाल/गोपीराम	76	8387881058	सामान्य
24	राजेन्द्र कुमार/ लेखाराम	77	8387881058	सामान्य
25	प्रतीक कुमार/जुगल किशोर	79	9352889747	सामान्य
26	सुभाषचन्द्र/सरजन राम	65	9680796049	सामान्य
27	विरेन्द्र कुमार/भादरराम	84	70014665386	सामान्य
28	सुखचरण सिंह/बलदेव सिंह	16	9680807993	गोताखोर
29	अशोक कुमार/सोहनलाल	54	9664238937	गोताखोर
30	उग्रसेन/विजेन्द्र कुमार	89	9079267423	गोताखोर
31	भूपेन्द्र वर्मा/बलराम	93	9166438320	गोताखोर
32	सतपाल सिंह/लाभ सिंह	49	6377276076	गोताखोर
33	सुरजीत सिंह/प्यारा सिंह	88	9784404282	गोताखोर
34	बलकरण सिंह/छोटू सिंह	03	9928648718	तैराक
35	गोविन्द सिंह/दलीप सिंह	37	7891999770	तैराक
36	राजीव सिंह/सुखदेव सिंह	28	9460646018	ड्राईवर
37	सुरेश कुमार/कृष्ण कुमार	34	9024650150	ड्राईवर
38	जयदीप/जयपाल	71	9694192444	ड्राईवर
39	राहुल मिश्रा/रमेश कुमार	86	9587020002	ड्राईवर
40	जगजीत सिंह/घुकर सिंह	25	9610377755	ड्राईवर
41	जफर हुसैन/बाबू खां	87	7665270279	सामान्य
42	गगनदीप/जसविन्द्र सिंह	13	7742252084	सामान्य
43	सतवीर/महेन्द्र सिंह	14	9521529020	सामान्य
44	पूजा मिश्रा/सुभाष शर्मा	72	9461285743	सामान्य

45	प्रियंका शर्मा/मक्खनलाल	73	6377447213	सामान्य
46	अंग्रेंज सिंह/भोला सिंह	05	9649685007	सामान्य
47	संदीप कुमार/कृष्ण पचार	42	7014606582	तैराक
48	कुलदीप/रामकुमार	41	8619743121	सामान्य
49	विरेन्द्र कुमार/रमेश कुमार	22	7047896946	सामान्य
50	संजय कुमार/प्रभात कुमार	23	9521497899	सामान्य
51	हरदीप सिंह/अमर सिंह	47	9672622513	सामान्य
52	लवप्रीत सिंह/सुखपाल सिंह	63	8949062634	सामान्य
53	संध्या /नेहरूलाल	67	9785724233	सामान्य
54	सुनील/सुरेश कुमार	75	6377254035	सामान्य
55	गुरबक्श सिंह/बलदेव सिंह	46	9799300946	सामान्य
56	विरेन्द्र कुमार/भादरराम	84	70014665386	सामान्य
57	असलम/शरीफ	91	7357730054	गोताखोर
58	किस्मत अली/शरीफ	94	9521424653	गोताखोर
59	बलकार सिंह/लाभ सिंह	35	9680085041	तैराक
60	बलकरण सिंह/सुरजीत सिंह	52	9413884605	तैराक
61	अजय कुमार/नफे सिंह	27	8875218290	ड्राईवर
62	हरप्रीत सिंह/जालौर सिंह	58	9588219785	ड्राईवर
63	मन्दर सिंह/जग्गाराम	57	9461150740	ड्राईवर
64	विजय सिंह/जोगीराम	78	7665036267	ड्राईवर
65	सुभाष /सन्तलाल	80	7891750714	सामान्य
66	मुकेष कुमार/राजकुमार	85	9587321587	सामान्य
67	पाषाबाई/बन्त सिंह	08	8690045099	सामान्य
68	भागाबाई/बन्त सिंह	09	8955177615	सामान्य
69	सुखविन्द्र सिंह/बलवन्त सिंह	07	9660699832	सामान्य
70	जगदीष/गंगाजल	11	9772556910	सामान्य
71	जसविन्द्र सिंह/सुरजीत सिंह	53	9001993426	सामान्य
72	विजय कुमार/माडूराम	40	7665036267	सामान्य
73	भूपेन्द्र /सन्तलाल	21	9782810554	सामान्य
74	सन्दीप सिंह/गुरदेव सिंह	50	7300090048	सामान्य
75	पूर्णाराम/दलीपराम	20	9664044058	सामान्य
76	कुलदीप/रामकुमार	41	8619743321	सामान्य
77	सुभाषचन्द्र/इन्द्राज	43	8875090626	सामान्य
78	राकेश कुमार/माडूराम	01	9057872385	सामान्य
79	श्योपाल/चेतराम	02	9780344493	सामान्य
80	कुलदीप/गुरदेव सिंह	04	9660519606	सामान्य
81	अश्विनी कुमार/विष्णुदास	64	9667866688	सामान्य
82	गुरशरण सिंह/बलदेव सिंह	19	9587037000	सामान्य

11.1 जिले में उपलब्ध अग्निशमन वाहन /हाइड्रेन्ट पॉईन्टस की सूची (तहसीलवार)

क्र.सं.	तहसील	पता	उपकरण	भराव क्षमता	ऊँचाई क्षमता	हाईड्रैड पॉईट
1	हनुमानगढ	अग्नि शमन केन्द्र हनुमानगढ़	सी.ओ– 6 नग डी–सी–पी–2 नग	4 गाड़ी कुल योग 54800	प्रत्येक गाड़ी की नोजल से 50 फुट उचांई	1–अग्नि शमन केन्द्र टाउन

		टाउन	फोम 2 नग	ली0 पानी केपीसीटी	तक पानी भर सकते हैं ।	2–चिलड्रन स्कूल टाउन में
		समादेश्टा कार्यालय हनुमानगढ	हेलमेट 150			
			नायलोन रोप 20 बण्डल			
			ड्रेगन लाईट 01			
			मेगा फोन 01			
			टॉर्च 02			
			रैनकोट 35			
			तिरपाल 02			
			सर्चलाईट 01			
			टैण्ट 01			
2	संगरिया	नगरपालिका संगरिया	दमकल वाहन 1, 4 नोजल, 10 पाईप 800 फुट	4500 लीटर	12 फुट	1
3	नोहर	नगरपालिका नोहर दूरभाश संख्या 01555–220019	सलैण्डर–4 नोजल–1 पाईप–4 कुल्हाड़ी–1 सिढ़ी–1	2500 लीटर	30 फुट	–
		पी0डब्ल्यू0डी0 नोहर	फावडा. 40			
			गैंती 40			
			बठल 40			
4	पीलीबंगा	अग्निशमन केन्द्र कृशि उपज मंडी समिति पीलीबंगा 01508233067	1	14000	12 फुट	01
5	रावतसर	नगरपालिका रावतसर	1	500 लीटर 100 लीटर केमीकल	शून्य	शून्य
6	भादरा	नगरपालिका भादरा	1	3000 लीटर	2 मंजिल	3

Resource & Personal Kit

S.no.	Particular	Qty.
1	Hand Tool Set(With Contents) Both cuter 12" & 30" Chisel for concrete 1/2" & 1" (Tab area of Eqvt.) Screw driver set (tab area) complete set Hacksaw 12" duvular with spre blades Claw hammer 4 kg. Crescent wrenc 8"	01
2	Life Jacket	06
3	Alumunium Ext Ladder 25" folding	02
4	Emergency Light	05
5	Mega phone	02
6	Torch Light	10
7	Face Mask	03
8	Spade	10
9	Picks	10
10	Shoul/ Fawra	10
11	Light Axe	10
12	Stretcher	04
13	Blanket Red	10
14	buckets	10
15	BOB Roap 20kg. repelling rope 8mm x 200feet	02
16	Climbing Fiber Ropes 10mm x 100feet	03
17	Tent Canvas	01
18	First Aid Box with contents Bite Stics Flexi Splints various sizess bandage various types mask,Glove,Spongers,Scissors	01
19	Safety helmets	10
20	Box steels with 2 lock 6 x 3 x3	02
21	Rubber Tubes 4 fobocy	10
22	Pullies Single Sheave Doble sheave	02 02
23	Gum Boot	05

24	Hand Gloves rubber	05
25	Heavy Chain with lock bullies 3 mtrs	01

11.2 प्रशिक्षित अग्निशमन व्यक्तियों की सूची (तहसीलवार)

क्र. सं.	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम व पता	तहसील	एस.टी.डी. कोड न.–	टेलीफोन / मोबाइल नं.
1	श्री अशोक कुमार शर्मा दमकल प्रभारी अग्नि शमन केन्द्र हनुमानगढ टाउन	हनुमानगढ	01552	223729 94143–80450
2	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	नोहर	01555	221094–9414636494
3	श्री अशोक कुमार सिखवाल	नोहर	01555	8741006525
4	श्री सांवलाराम वर्मा	नोहर	01555	94137–76804
5	श्री जगदीषचन्द्र	नोहर	01555	95496–11541
6	सुभाश चन्द्र फायर मैन	संगरिया		9462393203
7	मनोहर लाल ''	संगरिया		9309362172
8	राम सिंह ''	संगरिया		9413602350
9	मोहन लाल वर्मा ''	संगरिया		9460852103
10	औम प्रकाश ''	संगरिया		9950056222
11	ज्ञान प्रकाश ''	संगरिया		9928769223
12	रामनारायण पंवार ''	संगरिया		9460853814
13	श्री झिण्डूराम	भादरा	01504	9929232352
14	श्री आमिन खां	भादरा	01504	9460102308
15	श्री सुभाश शर्मा	भादरा	01504	9887750212

11.3 जिले में उपलब्ध नावों की सूची –

नाव मालिक का नाम व पता	नाव चालक/गोताखोर का नाम मय फोन नं–	नाव की संख्या	नाव उपलब्ध होने का स्थान
श्री इरशाद हुसैन एण्ड कम्पनी, गणेश नगर, पहाड़ा, उदयपुर, श्री छगन मिडढा, प्रतिनिधि, हनुमानगढ़ टाउन	श्री पाल सिंह बेगराज कार्यालय सहायक निदेशक, मत्सय, 01552–222791, 8696079723	15	लखूवाली

11.5 क्रेन, जे–सी–बी–, गैंस कटर्स इत्यादि उपकरणों की सूची (तहसीलवार)

नोहर

उपकरण का नाम		विभागों के पास उपलब्धता								
	सार्व॰ / निजी	सिंचाई	नगर पालिकाएं	रोडवेज	परिवहन	PWD	PHED	वन	पुलिस	अन्य
जेसीबी॰	निजी	–	01 नग	–	–	–	–	–	–	–
ट्रैक्टर मय ट्राली	निजी	–	04 नग	–	–	–	–	–	–	–
रस्सा	निजी	–	100 फुट	–	–	–	–	–	–	–
फावड़ा / कस्सी	निजी	–	50 नग	–	–	–	–	–	–	–
बेलचा	निजी	–	10 नग	–	–	–	–	–	–	–
परात / तगारी	निजी	–	50 नग	–	–	–	–	–	–	–
हथौड़ा	निजी	–	01 नग	–	–	–	–	–	–	–
सब्बल लोहे का	निजी	–	01 नग	–	–	–	–	–	–	–
जे.सी.बी	सार्व.	–	जे.सी.बी मशीन 1नग लोडर 1नग हनुमानगढ़	–	1					
	निजी	–			3	4				
आयरन कटर	सार्व.	–								
	निजी	–								
गैस बेल्डर	सार्व.	–								
	निजी	–								
ट्रक	साव.	1			11					
	निजी	–			3698	17				
ट्रैक्टर	सार्व.	–			1					
	निजी	–			12040	11				
जीप / कार	सार्व.	3			40					
	निजी	–			3297					
मेटाडोर / बस	सार्व.	–			3					
	निजी	–			622					
कुल्हाडी	सार्व.	–								
	निजी	–				5				
कटर	सार्व.	–								
	निजी	–								
रस्सा	सार्व.	–								
	निजी	–								
फावडा / कस्सी	सार्व.	–								
	निजी	–				77				

बेलचा	सार्व.	–								
	निजी	–				10				
परात / तगारी	सार्व.	–								
	निजी	–				215				
हथौडा	सार्व.	–								
	निजी	–				215				
सब्बल	सार्व.	–								
	निजी	–				40				

11.7 राजकीय वाहनों की सूची (तहसीलवार) जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के पास वाहन

क्र. सं.	अधिकारियों का पद नाम	वाहन नं.	वाहन का नाम
1.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	RJ 31 CA 8076. RJ 31 UA 3493	स्वीफ्ट डिजायर टवेरा
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	RJ 31 UA 2153	स्वीफ्ट डिजायर कार
3.	ए.डी.एम. नोहर	RJ 31 UA 3842	बोलेरो
4.	उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़	RJ 31 UA 1849	बोलेरो
5.	एस.डी.एम, हनुमानगढ़	RJ 31 UA 1347	बोलेरो
6.	एस.डी.एम. पीलीबंगा	RJ 31 UA 0588	बोलेरो
7.	एस.डी.एम. संगरिया	RJ 31 UA 1806	बोलेरो
8.	एस.डी.एम. टिब्बी	RJ 31 UA 1824	बोलेरो
9.	एस.डी.एम. रावतसर	RJ 31 UA 1725	बोलेरो
10.	एस.डी.एम. नोहर	RJ 31 UA 1815	बोलेरो
11.	एस.डी.एम. भादरा	RJ 31 UA 1349	बोलेरो
12.	तहसीलदार, भादरा	RJ 31 UA 1536	बोलेरो
13.	तहसीलदार, नोहर	RJ 31 UA 1559	बोलेरो
14.	तहसीलदार, रावतसर	RJ 31 UA 1525	बोलेरो
15.	तहसीलदार, टिब्बी	RJ 31 UA 1534	बोलेरो
16.	तहसीलदार, संगरिया	RJ 31 UA 3520	बोलेरो

17.	तहसीलदार, पीलीबंगा	RJ 31 UA 1598	बोलेरो
18	तहसीलदार हनुमानगढ़	RJ 31 UA 1535	बोलेरो
19.	विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर	RJ 31 UA 1531	बोलेरो एक्स एल
20.	विकास अधिकारी पंचायत समिति संगरिया	RJ 31 UA 1566	बोलेरो
21.			
22.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा	RJ 31 C 2196	जीप
23.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा	RJ 31 UA 1579	बोलेरो
24.	अधिशाषी अभियन्ता रेगुलेशन खण्ड़ प्रथम हनुमानगढ़	RJ 31 UA 0466	जीप
25.	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़	RJ 31 C 0015	जीप
26.	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 UA 0490	जीप
27.	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 UA 1770(VIP)	सफारी
28.	सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल हनुमानगढ	RJ 31 G 4740	केंटर
29.	सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल, पीलीबंगा	RJ 14 G 9992	केंटर
30.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 UA 3225	बोलेरो
31.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 UA 0070	स्पेशियो
32.			
33.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 UA 131	स्पेशियो
34.			
35.	विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़	RJ 31 UA 1676	बोलेरो
36.	विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर	RJ 31 UA 1487	बोलेरो
37.	विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी	RJ 31 UA 1713	बोलेरो
38.	विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा	RJ 31 UA 1554	बोलेरो
39.	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पीलीबंगा	RJ 31 UA 2229(VIP)	सफारी
40.	अधिशाषी अभियन्ता (ग्रामीण) जेवीवीएनएल हनुमानगढ़	RJ 31 GA 6944	केंटर

41	XEN जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	RJ 31 UA 3309 RJ 31 UA 3894	थार जीप बोलेरो
42	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 P 0076	फायर ब्रिगेड
43.	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 P 0085	फायर ब्रिगेड
44			
45	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 F 0323	फायर ब्रिगेड
46	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	RJ 31 E 6019	एम्बुलेंस
47.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	RJ 31 E 0086	एम्बुलेंस
48	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	RJ 31 PA 0336	एम्बुलेंस
49	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़	RJ 31 UA 4096 RJ 31 UA 3946	सफारी बोलेरो
50	अधिशाषी अधिकारी न.पा. संगरिया	RJ 31 UA 3988(VIP)	हेक्सा
51	अधिशाषी अधिकारी न.पा. रावतसर	RJ 31 UA 0213	बोलेरो
52	सहायक निदेशक कृषि (वि0) हनुमानगढ़	RJ 14 C 3450	जीप
53	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	RJ 31 UA 2970	बोलेरो एसएलई
54	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	RJ 31 GA 7436	बोलेरो कैम्पर
55	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	RJ 07 GA 0426	ट्रक मीडियम ओपन
56	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	RJ 25 C 1537	जीप महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा
57	अधिशाषी अभियन्ता, भाखड़ा सिद्वमुख रेगुलेशन खण्ड, हनुमानगढ़	RJ 31 UA 5978	थार जीप
58			
59			
60	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर	RJ 31 C 1018	जीप
61	सहायक खनिज अभियंता खान एंव भू–विज्ञान हनुमानगढ़	RJ 27UA	जीप
62	अधीक्षण अभिंयता जल संसाधन वृत नोहर	RJ 31 CA 6658	कार

63	सहायक अभियन्ता भादरा जोधपुर विद्युत वितरण निगम	RJ 31 C 0343	जीप
64	सहायक अभियन्ता भादरा जोधपुर विद्युत वितरण निगम	RNK 4968	आयशर केन्टर
65	सहायक अभियन्ता रावतसर जोधपुर विद्युत वितरण निगम	RJ 14 C 7428	महीन्द्रा जीप
66	सहायक अभियन्ता रावतसर जोधपुर विद्युत वितरण निगम	RJ 13 G 0423	आयशर केन्टर
67	अधिशाषी अभियंता सर्वे एवं अन्वेषण खण्ड प्रथम आई.जी.एन.पी. रावतसर	RJ 07 UA 1083	जीप
68	अधिशाषी अभियंता सर्वे एवं अन्वेषण खण्ड प्रथम आई.जी.एन.पी. रावतसर	RJ 07 C 3043	जीप
69	अधिशाषी अभियंता एस.एन.आई.पी. खण्ड 7प्रथम, हनुमानगढ़	RJ 15 C 0252	जीप
70	मत्स्य विकास अधिकारी, हनुमानगढ़	RJ 13 C 2705	जीप
71	अधिशाषी अधिकारी न.पा. भादरा	RJ 49 TA 0068	बोलेरो
72	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0916	कार
73	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर	RJ 49 UA 0056	जीप
74	अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0795	कार अनुबंधित
75	अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0794	कार अनुबंधित
76	अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0748	कार अनुबंधित
77	अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड पीलीबंगा	RJ 13 CA 7360	कार अनुबंधित
78	अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नोहर	RJ 49 TA 0143	कार अनुबंधित
79	खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0603	कार अनुबंधित
80	अधीक्षण अभियंता पीएचईडी वृत हनुमानगढ़	RJ 31 TA 1849	अनुबंधित
81	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी वृत हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0563	अनुबंधित
82	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी वृत नोहर	RJ 49 TA0077	अनुबंधित
83	सहायक अभियंता पीएचईडी वृत हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0847	अनुबंधित

84	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड हनुमानगढ़ टाउन	RJ 31 TA 0729	अनुबंधित
85	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड टिबी	RJ 31 TA 0465	अनुबंधित
86	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड पीलीबंगा	RJ 31 TA 0755	अनुबंधित
87	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड संगरिया	RJ 31 TA 1316	अनुबंधित
88	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड नोहर	RJ 49 TA 0097	अनुबंधित
89	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड भादरा	RJ 31 TA 0797 RJ 49 TA 0099	अनुबंधित
90	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड रावतसर (ग्रा.)	RJ 31 TA 0833	अनुबंधित
91	सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड रावतसर (श.)	RJ 49 TA 0040	– –
92	कोषाधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0899	अनुबंधित
93	समाज कल्याण अधिकारी हनुमानगढ़	RJ 31 TA 0743	अनुबंधित

11.8 गैर सरकारी वाहनों की सूची

क्र. स.	संस्था का नाम व पता	मोबाईल नम्बर	वाहनों की किस्म (संख्या)				
			ट्रक	बस	टेंकर	ट्रैक्टर	जीप
1	श्री किशन गोपाल चाचाण , चाचाण बस सर्विस, भादरा	9509709007	*	8	*	आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवा दिये जायेगे।	
2	श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, बंसल बस सर्विस, भादरा	9414513505	*	5	*		
3	श्री झूमरमल नाहटा, नाहटा बस सर्विस, भादरा	9461565433	*	6	*		
4	श्री ज्ञानसिंह मेहरिया, मेहरिया बस सर्विस, भादरा	9828890273	*	7	*		
5	श्री जगदीश मेहरिया, बालाजी बस सर्विस, भादरा		*	2	*		
6	श्री जयसिंह सहारण, सांई बाबा बस सर्विस, भादरा	9783567947	*	2	*		
7	श्री शमशेर खान , खान बस सर्विस, भादरा		*	2	*		
8	श्री राकेश महिया , महिया बस सर्विस,	9783837324	*	2	*		

	भादरा				
9	श्री धर्मपाल पूनिया, पूनियां बस सर्विस, भादरा	9414578946	*	2	*
10	श्री शंकर लाल, दडबेवाला बस सर्विस, भादरा	9414635880	*	2	*
11	श्री राधेश्याम गोदारा, गोदरा बस सर्विस, भादरा		*	3	*
12	श्री जगदीश, पेरिस बस सर्विस, भादरा	9812356841	*	5	*
13	मै. मटोरिया बस सर्विस ,मै.मटोरिया बस सर्विस, नोहर	01555-220313 , 9414511941, 9636255611	*	19	*
14	श्री शंकर लाल सिंवर, सिवंर बस सर्विस, नोहर	9414876144	*	7	*
15	श्री मनीराम सिंवर, सिंवर बस सर्विस, नोहर	9413431031	*	7	*
16	श्री सुरेन्द्र शर्मा, शर्मा बस सर्विस, नोहर	9414579171	*	1	*
17	श्री सूरेन्द्र शीलू, शीलू बस सर्विस, नोहर	9649329886	*	1	*
18	श्री नाथराज बैनीवाल, बैनीवाल बस सर्विस, नोहर	9414636206	*	10	*
19	श्री लालचन्द बैनीवाल	9783324381	*	4	*
20	श्री मोहरसिंह , धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9414579609	*	5	*
21	श्री हवासिंह, धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9828846390	*	14	*
22	श्री भागीरथ , धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9460120187	*	2	*
23	श्री रामसिंह , धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	2	*
24	श्री अमितपाल सिंह , धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	1	*
25	श्री सूरेन्द्र सिंह, धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	2	*
26	श्री हंसराज	9784758427	*	1	*
27	श्री साहबराम सह, सहू बस सर्विस, रावतसर	9983753517	*	2	*
28	श्री सूरेन्द्र सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	8003382319	*	1	*
29	श्री विजय सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	8003358787	*	2	*
30	श्री किशोर सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	9462202785	*	1	*
31	श्री शंकर लाल सिंवर, सिवंर बस सर्विस, नोहर	9414876144	*	4	*
32	न्यू कोचर बस सर्विस , श्री मनोहर लाल कोचर	9414631971	*	13	*
33	जमींदारा बस सर्विस , श्री महेन्द्र गोदारा	9413536145	*	4	*

34	गुप्ता बस सर्विस , श्री हरबन्स लाल	9414369127	*	2	*
35	भारत बस सर्विस , श्री सुरेन्द्र सिंह	9214410361	*	5	*
36	न्यू भारत बस सर्विस , श्री उदयपाल	8829028361	*	5	*
37	वधवा बस सर्विस , श्री हनुमाम वधवा	9414509137	*	14	*
38	कडवासरा बस सर्विस , श्री रमेष कडवासरा	9414535740	*	4	*
39	बलिहारा बस सर्विस , श्री पप्पू बलिहारा	9929117801	*	1	*
40	अग्रोहा बस सर्विस , श्री संजय	9413102122	*	5	*
41	महावीर बस सर्विस , श्री महावीर	9983787216	*	2	*
42	ढिल्लों बस सर्विस , श्री षिमेन्द्र सिंह	9413342444	*	4	*
43	रूपाल बस सर्विस , श्री इकबाल सिंह	9461077812	*	6	*
44	श्री राजू ज्याणी	9929293461	*	3	*
45	श्री दयाल ज्याणी	9460487465	*	3	*
46	लाल बाबा बस सर्विस , श्री गिन्नी	9254005306	*	5	*
47	श्री तेजा सिंह	9636796265	*	3	*
48	श्री गुरतेज सिंह	9783158908	*	1	*
49	श्री प्रताप सिंह	9929156483	*	5	*
50	दूधवाल बस सर्विस , श्री भागीरथ	9782592489	*	5	*
51	चौधरी बस सर्विस , श्री मांगी लाल	9414950065	*	3	*
52	जमींदारा बस सर्विस , श्री विजय	962015622	*	1	*
53	कामरा बस सर्विस , श्री नितिन कामरा	8104143020	*	2	*
54	मान बस सर्विस , श्री मनोज	9460014818	*	3	*
55	नागपाल बस सर्विस , श्री राजू नागपाल	9983423553	*	1	*
56	रतन बस सर्विस , श्री रतन	9983422935	*	4	*
57	प्रेमी बस सर्विस , श्री मोमण	8003511525	*	3	*
58	चहल बस सर्विस	9983492391	*	15	*
59	कृश्णा बस सर्विस	9414369013	*	14	*
60	मान बस सर्विस	9414502025	*	12	*
61	नार्थन बस सर्विस	9417620999	*	10	*
62	अभिमन्यू बस सर्विस	9417396315	*	8	*
63	संजय बस सर्विस	9414508667	*	10	*
64	परमजीत बस सर्विस	9414637225	*	7	*
65	बाजिया बस सर्विस	9414431845	*	4	*
66	पूनिया बस सर्विस	9460621781	*	4	*

67	जे.पी.बस सर्विस	9414380729	*	7	*
68	बुडानिया बस सर्विस	9887852750	*	10	*
69	श्री श्रवण कुमार	8769353570	3	*	*
70	श्री बंशीधर मीणा		1	*	*
71	श्री मुखराम	9983671868	1	*	*
72	श्री भानीराम	9414875137	1	*	*
73	श्री चन्द्रप्रकाश	9413154593	1	*	*
74	श्री सुभाश	9829022457	1	*	*
75	श्री वकील	9784949608	1	*	*
76	श्री धर्मपाल		1	*	*
77	श्री औमप्रकाश	9783158991	1	*	*
78	श्री सोहनलाल		2	*	*
79	श्री लालचन्द		1	*	*
80	श्री संतलाल		1	*	*
81	श्री औमप्रकाश		1	*	*
82	श्री ओम धेतरवाल	9983232698	1	*	*
83	श्री सेठीराम		1	*	*
84	श्री रामजसभगवानसर	9772971575	1	*	*
85	श्री लूणारामनोहर	9414875296	1	*	*
86	श्री रणवीरढण्ढेला	9668763440	1	*	*
87	श्री दयाराम	9660641428	1	*	*
88	श्री औमप्रकाश	9928410661	1	*	*
89	श्री नरेश कुमार	9929600781	1	*	*
90	श्री महबूब खा	9950223221	1	*	*
91	श्री भादर	9414955158	1	*	*
92	श्री अकबर खा	7092067749	1	*	*
93	श्री औमप्रकाश	9928947757	1	*	*
94	श्री शिशपाल	9460471685	3	*	*
95	श्री उदमीराम	9929044700	1	*	*
96	श्री सुभाशचन्द्रविकास दाल मील	01555-220275	2	*	*
97	श्री नरेश कुमारविकास दाल मील	01555-220275	8	*	*
98	श्री आजमअली	9982933028	1	*	*
99	श्री अयुब	9982103918	1	*	*
100	श्री सुभाशचन्द्र	9783144544	1	*	*

101	श्री नाजमअली	9950958536	1	*	*	
102	श्री सुभाशचन्द्र	9462172374	1	*	*	
103	श्री किशोरसिंह	9414093864	1	*	*	
104	श्री जगदीश	9414270409	1	*	*	
105	श्री भरत	9462029533	1	*	*	
106	श्री किशोरसिंह	9414094865	1	*	*	
107	श्री भागीरथ	9982552672	1	*	*	
108	श्री धौलू राम	9983138347	36	*	*	
109	श्री सुभाश गोदारा (ट्रक यूनियन अध्यक्ष)	9928045386	45	*	*	
110	श्री षिव कुमार चावला (मैनेजर)	8058383571	30	*	*	
111	श्री बब्बू अग्रवाल	9214380741	25	*	*	
112	श्री अषोक मिततल	9414305657	15	*	*	
113	श्री मनमोहन सिंह	9214321101	8	*	*	
114	श्री थानेष्वर गर्ग	9414320954	5	*	*	
115	श्री सुभाश नागपाल	9414091132	3	*	*	
116	श्री मनोहर धारणिया	9414091219	5	*	*	
117	श्री राज सिंह	9414481493	4	*	*	
118	श्री गजेन्द्र सिंह	8386028900	15	*	*	
119	श्री जुगल किशोर राठी	9414095883	100	*	*	
120	श्री लीलाधर शर्मा	9782807871	25	*	*	
	योग		368	340		

11.9 पावर स्टेशनों की सूची (तहसीलवार)

क्र. सं.	विवरण	क्षमता	भार (डट ।)	एस.टी. डी. कोड	टेलीफोन न.
1	धोलीपाल	33/11 KV.	2.6 (MVA)	01552	286944
2	जोड़किया	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	211025
3	मक्कासर	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	211021
4	जण्डावाली	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	276006
5	हिरनावाली	33/11 KV	1.6 (MVA)	01552	211018
6	खुंजा (औधोगिक क्षेत्र)	33/11 KV	8.15 (MVA)	01552	260669
7	भगतसिंह चौक (HMH)	33/11 KV	5.00 (MVA)	01552	260576
8	शिव मंदिर (HMH JN)	33/11 KV	5.00 (MVA)	01552	265429
9	डबली राठान	33/11 KV	6.30 (MVA)	01552	283333

10	फतेहगढ़	33/11 KV	5.65 (MVA)	01552	272031
11	डबली बास पेमा	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	211471
12	बहलोल नगर	33/11 KV	4.75 (MVA)	01552	210041
13	फतेहपुर	33/11 KV	3.15 (MVA)	01522	211030
14	मानकसर	33/11 KV	3.15 (MVA)	01499	210504
15	सूरेवाला	33/11 KV	6.30 (MVA)	01539	228317
16	लीलावाली	33/11 KV	1.6 (MVA)	01499	210071
17	करणीसर	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	211013
18	हनु॰टा॰ (कोर्ट के पास)	33/11 KV	13. 15(MVA)	01552	222844
19	नौरंग देसर	33/11 KV	1.6 (MVA)	01552	281181
20	थेड़ी नाथान	33/11 KV	4.75 (MVA)	01552	231544
21	हनु॰टा॰(औद्योगिक क्षैत्र)	33/11 KV	3.15 (MVA)	01552	231483
22	कमरानी	33/11 KV	4.75 (MVA)	01552	211056
23	कोहलां	33/11 KV	1.6 (MVA)	01552	231236
24	चोहलां वाली	33/11 KV	1.6 (MVA)	01552	288289
25	राधास्वमी डेरा	33/11 KV	5.0 (MVA)	01552	226353
26	पक्का साहरणा	33/11 KV	4.15 (MVA)	01552	241227
पीलीबंगा तहसील					
27	पंण्डितावाली	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01508	282196
28	थिराज वाला	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01508	244443
29	रामपुरा	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01508	285089
30	गोलूवाला	33/11 KV.	6.30 (MVA)	01508	220122
31	अमरपुरा राठान	33/11 KV.	5.65 (MVA)	01508	217092
32	जाखड़ा वाली	33/11 KV.	1.6 (MVA)	01508	217094
33	लोगंवाला	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01508	253460

टिब्बी तहसील					
34	पीर कामड़िाया	33/11 KV.	6.30 (MVA)	01539	285609
35	सलेमगढ़ मसानी	33/11 KV.	4.65 (MVA)	01539	224044
36	तलवाड़ा	33/11 KV.	6.30 (MVA)	01539	282544
37	टिब्बी	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01539	224189

संगरिया तहसील					
38	संगरिया	33/11 KV.	9.50 (MVA)	01499	220146
39	बशीर	33/11 KV.	3.20 (MVA)	01499	211059
40	चक हीरासिंह	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01499	210502

	वाला				
41	भगतपुरा (ढ़ाबा)	33/11 KV.	1.6 (MVA)	01499	–
42	नगराना	33/11 KV.	1.6 (MVA)	01499	210476
43	नाथवाना	33/11 KV.	3.20 (MVA)	01499	210538
नोहर तहसील					
44	गोगा मेड़ी	33/11 KV.	6.35 (MVA)	01555	240312
45	गोरखाना	33/11 KV.	1.00 (MVA)	01555	283038
46	नोहर	33/11 KV.	10.00 (MVA)	01555	220070
47	फेफाना	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01555	230138
48	ललानिया	33/11 KV.	2.6 (MVA)	–	–

रावतसर तहसील					
49	गंधेली	33/11 KV.	4.75 (MVA)	01537	260605
50	थालड़का	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01537	284442
51	रावतसर	33/11 KV.	6.6 (MVA)	01537	230372
52	पल्लू	33/11 KV.	1.0 (MVA)	01502	220289

.

भादरा तहसील					
53	छानी बड़ी	33/11 KV.	3.15 (MVA)	01504	286347
54	किराड़ा बड़ा	33/11 KV.	3.15 (MVA)	–	–
55	भिरानी	33/11 KV.	1.6 (MVA)	–	–
56	भादरा	33/11 KV.	5.0 (MVA)	01504	222090
57	भोजासर	33/11 KV.	3.15 (MVA)	–	–

11.10 एनसीसी /एनएसएस /स्काउटस गाईडस के स्वंय सेवियों की सूची (तहसीलवार)

(माध्यमिक शिक्षा)

क्र. सं.	स्काउट गाइड आपदा दल विद्यालय ग्राम का नाम	प्रभारी स्काउट यूनिट लीडर का नाम	मोबाईल नं.	स्काउट/ग ा. सदस्यों की संख्या
1	रा.उ.मा.वि,रावतसर	श्री जयदेव, अध्या.	9784257112	30
2	रा.उ.मा.वि.,सूरेवाला (टिब्बी)	श्री दुली चन्द	9460267085	30
3	रा.उ.मा.वि,रामगढ़, (नोहर)	श्री मनोज कुमार	9414512833	30
4	रा.उ.मा.वि. ,पण्डितावाली,(पीलीबंगा)	श्रीमति यशोदा देवी	9829916922	30
5	रा.उ.मा.वि. निनाण (भादरा)	श्री महावीर प्रसाद	9461168268	30

6	रा.उ.मा.वि.,मालारामपुरा (संगरिया)	श्री भूप सिंह पोटलिया	9414875522	30

एन0सी0सी0 की सूचना

क्र0स0	एन0सी0सी0 आपदा दल विधालय का नाम	प्रभारी का नाम	मोबाईल न0	सदस्यों की संख्या
1	नेहरू चिल्ड्रन उमावि0हनु0टाउन	श्रीमुन्शाी राम अ0	9414514650	50
2	राउमावि0भादरा	श्री श्रवण कुमार शर्मा व्या0.	817409498	100

एन0एस0एस0की सूचना

11.11 जिले मे स्थित हाईडेन्ट पॉईन्ट

क्र–सं–	स्थान का नाम	हाईडेन्ट पॉइन्ट	टैंकरो में पानी भरने की सुविधा
1	हनुमानगढ टा–	हैड वाटर वर्क्स बाईपास हनुमानगढ टा–	2
2	हनुमानगढ जं0	हैड वाटर वर्क्स बाईपास हनुमानगढ जं–	2
3	संगरिया शहरी	हैड वाटर वर्क्स, संगरिया	1
4	नोहर शहरी	गउशाला के पीछे, गुरूद्वारा के पास	1
5	भादरा शहरी	हैड वाटर वर्क्स	1
6	रावतसर शहरी	हैड वाटर वर्क्स	1
7	टिब्बी	हैड वाटर वर्क्स	1

11.12 List of DCB/TW/Open Wells PHED Hanumangarh

S.No.	Tehsil	Name of Scheme	Tube Well	DCB	Open Well	Total
Urban						
1	Hanumangarh	ITI BASTI	1	0	0	1
2	Hanumangarh	SAWAN COLONY	1	0	0	1
3	Hanumangarh	KHUNJA VILLAGE	1	0	0	1
4	Hanumangarh	KHUNJA TUBE WELL	1	0	0	1
5	Hanumangarh	KHUNJA DCB	1	0	0	1
6	Hanumangarh	KHUNJA TAL	1	0	0	1
7	Hanumangarh	RHB	1	0	0	1
8	Hanumangarh	RHB	1	0	0	1
9	Hanumangarh	Sector no 06	1	0	0	1
10	Hanumangarh	Sector no 12	1	0	0	1
11	Hanumangarh	Sector no 12	1	0	0	1
12	Hanumangarh	Sector no 09	1	0	0	1
13	Hanumangarh	Sector no 09	1	0	0	1

14	Hanumangarh	Bhagat singh Chowk	1	0	0	1
15	Hanumangarh	HEAD WORKS	1	0	0	1
16	Hanumangarh	HEAD WORKS	1	0	0	1
17	Hanumangarh	BHATTA COLONY	1	0	0	1
18	Hanumangarh	BHATTA COLONY	1	0	0	1
19	Hanumangarh	CHUNGI ITI BASTI	1	0	0	1
20	Hanumangarh	SYAM SINGH COLONY	1	0	0	1
21	Hanumangarh	BY PASS KUNJA	1	0	0	1
22	Hanumangarh	Hanumansagar (OLD)	1	0	0	1
23	Hanumangarh	Hanumansagar (NEW)	1	0	0	1
24	Hanumangarh	Prem Nagar	1	0	0	1
25	Hanumangarh	Nathan well	1	0	0	1
26	Hanumangarh	Abandakar Colony	1	0	0	1
27	Hanumangarh	Radha Swami dera	1	0	0	1
28	Hanumangarh	Main Haedworks	2	0	0	2
29	Hanumangarh	Punjabi Mohalla	1	0	0	1
30	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
31	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
32	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
33	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
34	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
35	Pilibangan	At Head works	2	0	0	2
36	Pilibangan	In Irrigation colony	1	0	0	1
	Total Rural		**38**	**0**	**0**	**38**
Rural						
1	Hanumangarh	6 JRK	1	0	0	1
2	Hanumangarh	6 JRK	1	0	0	1
3	Hanumangarh	29 LLW	1	0	0	1
4	Hanumangarh	42 NGC	1	0	0	1
5	Hanumangarh	37 NGC	1	0	0	1
6	Hanumangarh	4 RRW	1	0	0	1
7	Hanumangarh	2 KNJ	1	0	0	1
8	Hanumangarh	2 PBN	1	0	0	1
9	Hanumangarh	11 DLP	1	0	0	1

10	Hanumangarh	5 KNJ	1	0	0	1
11	Hanumangarh	5 KNJ	1	0	0	1
12	Hanumangarh	14 LLW	1	0	0	1
13	Hanumangarh	14 LLW	1	0	0	1
14	Hanumangarh	1 NWN	1	0	0	1
15	Hanumangarh	1 NWN	1	0	0	1
16	Hanumangarh	39 NGC	1	0	0	1
17	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
18	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
19	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
20	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
21	Hanumangarh	9 JRK	1	0	0	1
22	Hanumangarh	4-6 SNM	1	0	0	1
23	Hanumangarh	20 HMH	1	0	0	1
24	Hanumangarh	29 SSW	2	0	0	2
25	Hanumangarh	43 SSW	2	0	0	2
26	Hanumangarh	22 KSP	1	0	0	1
27	Hanumangarh	5 LK	1	0	0	1
28	Hanumangarh	17 KSP	1	0	0	1
29	Hanumangarh	17 HMH	2	0	0	2
30	Hanumangarh	16 AG	1	0	0	1
31	Hanumangarh	9 MD	2	0	0	2
32	Hanumangarh	3 MW	1	0	0	1
33	Hanumangarh	14 NDR	2	0	0	2
34	Hanumangarh	15 NDR	1	0	0	1
35	Hanumangarh	8 NDR	1	0	0	1
36	Hanumangarh	13 HMH	1	0	0	1
37	Hanumangarh	49 NGC	2	0	0	2
38	Hanumangarh	50 NGC	1	0	0	1
39	Sangaria	14 MKS	2	0	0	2
40	Sangaria	20 FTP	2	0	0	2
41	Pilibangan	1 PBN-T	1	0	0	1
42	Pilibangan	3 T	2	0	0	2
43	Pilibangan	45 NDR /44 NDR	1	0	0	1
44	Pilibangan	67000 RD	1	0	0	1
45	Pilibangan	12 STB	2	0	0	2
46	Pilibangan	4 NR/29 STG	1	0	0	1
47	Pilibangan	5-6 HLM	1	0	0	1

48	Pilibangan	6 BHM	1	0	0	1
49	Pilibangan	36 STG-B	1	0	0	1
50	Pilibangan	23 PBN	1	0	0	1
51	Pilibangan	6 SGR	1	0	0	1
52	Pilibangan	15 LGW-c	2	0	0	2
53	Pilibangan	19 MOD	1	0	0	1
54	Pilibangan	22-24 JRK	1	0	0	1
55	Pilibangan	3 LGW	1	0	0	1
56	Pilibangan	46 SSW	3	0	0	3
57	Tibbi	22 NGC	2	0	0	2
58	Tibbi	13 GGR	2	0	0	2
59	Tibbi	8 GGR	3	0	0	3
60	Tibbi	30 NGC	1	0	0	1
61	Tibbi	4 HMH	1	0	0	1
62	Tibbi	19 GGR	1	0	0	1
63	Tibbi	18 NGC	1	0	0	1
64	Tibbi	14 NGC	1	0	0	1
65	Tibbi	4 FTP	1	0	0	1
66	Tibbi	9 CDR	1	0	0	1
67	Tibbi	7 CDR	1	0	0	1
68	Tibbi	3 FTP	1	0	0	1
69	Tibbi	1 TLW	1	0	0	1
70	Tibbi	12 CDR	1	0	0	1
71	Tibbi	1 MKS-A	1	0	0	1
72	Tibbi	3 DPM	1	0	0	1
	Total Rural		**89**	**0**	**0**	**89**
	Total Urban +Rural		**127**	**0**	**0**	**127**

11.13 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के ठेकेदारों की सूची

जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत एवं विभाग में पंजीकृत संवेदकों की सूचीफर्म/ठेकेदार का नाम	फर्म के प्रतिनिधि का नाम व	मोबाईल नं.
मैसर्स किसान ईन्टरप्राईजेज, पक्का सारणा	श्री विक्रम कुमार	, 94605–62752
मैसर्स कड़वासरा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री संदीप,	90791–89115

मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, श्रीगंगानगर	श्री दीपक लढ्ढा	94142–11941
मैसर्स श्याम सुन्दर मोदी, नोहर	श्री श्याम सुन्दर मोदी,	94133–77324
मैसर्स निर्मल सिंह कॉन्ट्रेक्टर, हरियाणा	श्री निर्मल सिंह,	094161–48217
मैसर्स सुरेन्द्र कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल	94140–93735
मैसर्स श्री गणपति कन्स. कम्पनी, श्रीगंगांनगर	श्री धीरज कुमार	94140–89675
मैसर्स हरियाणा बिल्डर्स, हिसार	श्री अजीत घोटिया,	98134–39001
मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कारपोरेशन, बीकानेर	श्री मुकेश कुमार,	94141–37846
मैसर्स वर्मा कन्स. कम्पनी, संगरिया	श्री मनीष वर्मा,	97830–00097
मैसर्स महालक्ष्मी इन्टरप्राईजेज, हनुमानगढ़	श्री नीरज दादरी,	70141–48829
मैसर्स करणी टैड्रर्स, बीकानेर	श्री विमल गुप्ता,	97997–55755
मैसर्स आर.के.गोयल कन्स. कम्पनी, पीलीबंगा	श्री राजेश गोयल,	85628–41234
मैसर्स सहारण कन्स. कम्पनी, बड़बिराना	श्री राजेश सहारण,	82091–80486
मैसर्स हेमराज एण्ड कम्पनी	श्री नीरज चलाना,	98297–98738

परिशिश्टः– 12 आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची–फोन न0 सहित

12.1 गैस ऐजेन्सी व गोदामों की सूची (तहसीलवार) जिले में कार्यरत गैस एजेन्सियों के नाम एवं दूरभाश/मोबाईल/नाम मालिक की सूची–

शहरी क्षेत्र

क्र0सं0	गैस एजेन्सी का नाम	फोन नं0	मोबाईल नं0	मालिक का नाम
1	हनुमानगढ़ गैस एजेन्सी (आईओसी)	01552–260963	9414095195	श्री रामपाल मालिक
			9414332633	महेश कुमार मैनेजर
2	कुलहिडया भारत गैस एजेन्सी		9983180001	अशोक कुमार मालिक
3	प्रिया श्री गैस एजेन्सी संगरिया (आईओसी)	01499–250198	9413783916	रोहिताशकुमारमालिक
		01499–252798	9460852277	मन्नीराम मैनेजर
			9414092020	गौरव कुमार मैनेजर
4	पीलीबंगा गैस एजेन्सी पीलीबंगा (आईओसी)	01508–235678	9414954678	कृश्ण कुमार
			9414634678	जाकिर जी
5	श्री बालाजी गैस एजेन्सी हनुमानगढ़ टा0 (बीपीसीएल)	01552–222222	9351357001	श्री अंजनी कुमार चाचाण मालिक
			9649918003	राजेश गुम्बर मैनेजर
6	गोदारा गैस एजेन्सी रावतसर (बीपीसीएल)	01537–250272	9610400085	सुरेन्द्र कुमार मालिक
			9875135301	भागीरथ मैनेजर
			9829839129	अरूण कुमार
7	श्री जुगल गैस एजेन्सी नोहर	01555–221071	9610424521	प्रभु शर्मा प्रबन्धक
8	मैसर्स गौरव भारत गैस			राजेन्द्र कुमार
9	गणपति गैस एजेन्सी भादरा (बीपीसीएल)	01504–222667	9610400075	मनोहर सिंह मालिक
			9610400077	शंकरजी मैनेजर
10	एससीएस इण्डेन गैस एजेन्सी हनुमानगढ़	01504–222667	7597041190	सतवीरसिंह
11	मै0 जय अम्बे भारत गैस भादरा		9829467858	श्रीमति निशा पत्नि श्री सुनील यादव
		ग्रामीण क्षेत्र		
1	टीबी एच.पी. गैस सर्विस (एचपीसी)	1539–235301	9460618718	श्री जगदीशचन्द्र जॉगिड़ मालिक
			9983597243	श्री रामानन्द
2	शिव इण्डेन ग्रामीण वितरक गावं डुगंराना तहसील भादरा (आईओसी)		8875692975	श्री भगवानाराम जाति जाट मालिक
3	श्री हरी इण्डेन ग्रामीण वितरक गावं ढांबा (संगरिया) (आईओसी)	01499.280460	9414508661	सतवीरसिंह राजपूत
4	श्री तिरूपति बालाजी इण्डेन ग्रामीण वितरक गावं		9414246643	श्री शारदा देवी डूडी मालिक

	छानीबडी भादरा (आईओसी)		9414632852	श्री हरीश कुमार
5	भगवती इण्डेन ग्रामीण वितरक गावं अजीतपुरा भादरा (आईओसी)	01504-285247, 211621	9928921017	श्री बजरंग लाल वर्मा मैनेजर
6	सोनी भारत गैस ग्रामीण वितरक धौलीपाल, हनुमानगढ़(बीपीसी)	01552.212333ए 286677	9784381325	श्री महावीर प्रसाद मैनेजर
7	सिद्ध भारत गैस ग्रामीण वितरक डबलीराठान (पीलीबंगा)		9460624524	श्री रनदीपसिंह मैनेजर
8	मै. जयशिव इण्डेन गैस एजेन्सी फेफाना	1555230009	8104445534	श्रीमति दीपिका शर्मा मालिक श्री दिनेश शर्मा मैनेजर
9	मै0 श्री रामदेव इण्डेन ग्रामीण वितरक रामगढ़	1555240307	9828507042	श्री सुभाशचन्द्र मेघवाल मालिक
10	मै0 दुर्गा भारत गैस ग्रामीण वितरक पक्कासारणा		9413230890	श्री सुनील पारीक मालिक
11	महाकाली इण्डेन गैस एजेन्सी पल्लू, रावतसर	01502220082, 220083	9413342051, 9414594344	श्री बंशीघर मीणा मालिक
12	सरस्वती इण्डेन ग्रामीण वितरक अनूपशहर तहसील भादरा		9982371225	मैनपाल स्वामी
13	जय केसराजी एचपी ग्रामीण गेस वितरक बरमसर		8104445534	श्रीमति सुनीता देवी मालिक
14	मै0 गुरूनानक एचपी गैस एजेन्सी लीलावाली			
15	मै0 जय श्री बालाजी इण्डेन ग्रमीण वितरक 30 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर			श्री संजयं गोदारा
16	मै0 श्री साई भारत गैस रावतसर		7665565613	श्री सुभाश चन्द्र कस्वां

घग्घर नदी में पानी की अत्यधिक आवक होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर, समाज सेवी संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	मो0नं0
1	राम शरणम् आश्रम	हनुमानगढ़ टाउन	9414094911

2	लॉएस कल्ब		9414094309
3	गुरूद्वारा बाबा दीप सिंह		9460430470
4	सर्व सिक्ख समाज समिति	हनुमानगढ़	
5	इन्दिरा कॉलौनी गुरूद्वारा		9950127338
6	गुरूद्वारा प्रेम नगर	हनुमानगढ़	
7	भ्रदकाली विकास सेवा समिति	हनुमानगढ़	9414481316
8	मेडिकल कॉलेज,	हनुमानगढ़	
9	के. वी. एस स्कूल		
10	हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग	हनुमानगढ़	
11	राधा स्वामी डेरा	हनुमानगढ़	
12	भट्टा एसोसिएशन	हनुमानगढ़	
13	गौशाला	हनुमानगढ़ टाउन	
14	मोहनलाल बंसल		9414212213
15	व्यापार मण्डल (हिसारिया जी)		9414318485
16	गुरूद्वारा सिंग सभा	हनुमानगढ़ जं.	9568060460
17	श्री गौशाला सेवा समिति, अबोहर बाईपास रोड़	हनुमानगढ जं.	9414095696

12.2 सरकारी व सार्वजनिक भण्डारों की सूची (तहसीलवार)

क्र. सं.	सहकारी भण्डार का नाम व पता	एस.टी. डी. कोड	टेलीफोन नं.	खाद्य पदार्थ के प्रकार	भण्डारण क्षमता (एम.टी.में)
1	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ	01552	222031	गेंहू,चावल,खाद, बीज	1650
2	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया	01499	250040	गेंहू , चावल, खाद , बीज	600
3	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति नोहर	01555	220037	गेंहू , चावल, खाद , बीज	1000
4	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति भादरा	01504	224506	गेंहू , चावल, खाद , बीज	250
5	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति रावतसर	01537	250057	गेंहू , चावल, खाद , बीज	750
6	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति पीलीबंगा	01508	233014	गेंहू , चावल, खाद , बीज व दवाई	500 एमटी व समिति दुकान
7	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति गोलूवाला	01508	250807	खाद , बीज, दवाई	250 व 500 एमटी

12.3 जिले की गौशालओं की सूची

1	नोहर	श्री वासुदेव गौषाला समिति कानसर
2	नोहर	श्री बांके बिहारी गौषाला समिति सिंरगसर
3	नोहर	श्री राधा कृश्ण सर्वदलीय गौषाला समिति धानसिया
4	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति बिरकाली
5	नोहर	श्री हरि कृश्ण गो सेवा सदन समिति सरदारपुराबास
6	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति मन्दरपुरा
7	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति ललाना उतरादा
8	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति परलीका
9	नोहर	श्री गौ सेवा संघ फेफाना
10	नोहर	श्री महर्शि दयानन्द गौषाला समिति थालड़का
11	नोहर	श्री सर्वधर्म गौषाला समिति खुईया
12	नोहर	गोपाल कृश्ण गौ सेवा समिति जसाना
13	नोहर	श्री गोविन्द शरणार्थी गौषाला समिति करोति
14	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति पदमपुरा
15	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति बरवाली
16	नोहर	श्री श्याम गौषाला समिति सोनड़ी
17	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति मलवानी
18	नोहर	श्री गौ वंष रक्षा वैदिक साधु आश्रम गोगामेड़ी
19	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति ननाउ
20	नोहर	श्री बाके बिहारी गौषाला समिति ढीलकी जाटान
21	नोहर	श्री राधे राधे गौषाला समिति थिराना
22	नोहर	श्री राधेष्याम गौषाला समिति सुरजनसर
23	नोहर	श्री कृश्ण गौषाला समिति मालिया
24	नोहर	श्री भभूता सिद्ध नखत बन्ना गौषाला समिति मुन्षरी
25	नोहर	श्री गौषाला नोहर
26	नोहर	श्री बालाजी सेवा समिति नोहर
27	नोहर	श्री कृश्ण बाल बच्छा गो सेवा समिति नोहर
28	हनुमानगढ़	श्री गौषाला समिति हनुमानगढ़ जं0
29	हनुमानगढ़	ग्रामोत्थान पषु नस्ल सुधार समिति मक्कासर

30	हनुमानगढ़	श्री गौषाला समिति, हनुमानगढ़ टां0
31	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौ सेवा समिति वार्ड नं02 खुजा, हनुमानगढ़ जं.
32	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौसर्वधन समिति पक्कासारणा
33	हनुमानगढ़	श्री गौसेवा समिति धौलीपाल
34	हनुमानगढ़	श्री राम गौसेवा समिति रणजीतपुरा
35	हनुमानगढ़	राज0 गौसेवा संघ मुण्डा
36	हनुमानगढ़	श्री गोपीष्वर गौ सेवा समिति, 22 एनडीआर
37	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौसेवा समिति, किषनपुरादिखनादा
38	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौसेवा समिति, 09 NDR, मोहनमगरिया
39	हनुमानगढ़	हरी गौषाला सेवा समिति चक हरिपुरा
40	हनुमानगढ़	कृश्ण सुदामा गौषाला समिति भोमपुरा
41	हनुमानगढ़	श्री करणी गौसेवा समिति फतेहगढ़
42	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौसेवा समिति डबलीबास पेमा
43	हनुमानगढ़	श्री कृश्ण गौषाला समिति नौरगदेसर
44	हनुमानगढ़	श्री बाबा रामदेव गौसेवा समिति चौहिलावाली
45	हनुमानगढ़	श्री श्याम गौसेवा समिति रामसरा नारायण
46	हनुमानगढ़	गौसेवा समिति पक्का भादवा
47	हनुमानगढ़	श्री हंस त्रिवेणी गौशाला समिति जोरावरपुरा
48	हनुमानगढ़	श्री राघाकिशन गौशाला समिति अराईयावाली
49	हनुमानगढ़	गौशाला सेवा समिति जोड़किया
50	हनुमानगढ़	श्री गुरूनानक जी गौशाला सेवा समिति डबली राठान
51	टिब्बी	श्री गायत्री गौषाला समिति टिब्बी
52	टिब्बी	श्री षिव गौषाला समिति पीरकामडिया
53	टिब्बी	श्री गोपाल सेवा समिति डबलीकला
54	टिब्बी	श्री गौसेवा समिति रामपुरा उर्फ रामसरा
55	टिब्बी	सुरभी गौषला सेवा समिति तलवाडा झील
56	टिब्बी	श्री कृश्ण भगवान गौषाला सालीवाला
57	टिब्बी	श्री कृश्ण गौषाला समिति वषीर
58	टिब्बी	श्री गौसेवा समिति सुरेवाला
59	टिब्बी	स्वामी ब्रहमदेव गौसेवा समिति चाहूवाली

60	टिब्बी	गौरक्षा समिति श्योदानपुरा
61	टिब्बी	श्री षिव गौषाला सेवा समिति मिर्जावाली मेर
62	टिब्बी	हरि ओम सावर गौ सेवा समिति मसीतांवाली
63	टिब्बी	श्री षिव गौसेवा समिति 4–5 आरडब्लयूबी
64	टिब्बी	राजस्थान गौ सेवा समिति मेहरवाला
65	टिब्बी	श्री कृश्ण गौषाला समिति भूरानपुरा
66	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला समिति रासलाना
67	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला संस्था गाधीबड़ी
68	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला एवं सेवा संस्था छानीबड़ी
69	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला समिति निनाण
70	भादरा	श्री श्याम गौषाला समिति कलाना
71	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला समिति अनूपषहर
72	भादरा	षिव गौरख आत्म दर्षन गउ व वन्य जीव सेवा समिति भाडी
73	भादरा	श्री श्याम देवाय नमः गौषाला समिति डूगराना
74	भादरा	षिव शक्ति गौषाला समिति भिरानी
75	भादरा	श्री रामसागर गौषाला समिति नेठराना
76	भादरा	श्री षिव गौ सेवा समिति शेरड़ा
77	भादरा	प्रकाषानन्द गौषला करणपुर
78	भादरा	श्री गौषाला भादरा
79	भादरा	श्री कृश्ण गौषाला समिति अजीतपुरा
80	भादरा	श्री मदन गोपाल गौषाला समिति डाबरी
81	भादरा	श्री कृश्ण सुदामा गौषाला समिति घेउ
82	भादरा	श्री षिव गौषाला सेवा समिति डोबी
83	भादरा	श्री राम कृश्ण गौषाला समिति शेरपुरा
84	भादरा	श्री गोविन्द गौषाला समिति सागड़ा
85	भादरा	श्री राघा कृश्ण बाबा महेष मुनी गौषाला समिति भोजासर
86	भादरा	श्री कृश्ण प्रणामी गौषाला समिति मेहराना
87	भादरा	श्री श्याम गौषला समिति जोगीवाला
88	भादरा	श्री कुज बिहारी गौषाला समिति भनाई

89	भादरा	श्री श्याम गौषाला समिति उत्तरादबास
90	पीलीबंगा	श्री गौरख गौसेवा समिति 18 एसपीडी
91	पीलीबंगा	श्री गौपाल कृश्ण गौशाला समिति मानकथेडी
92	पीलीबंगा	श्री गौशाला सेवा समिति वार्ड संख्या 4 पीलीबंगा
93	पीलीबंगा	गऊ सेवा आश्रम समिति वार्ड संख्या 2 पीलीबंगा
94	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला समिति पीलीबंगा गांव 2 पीबीएनटी
95	पीलीबंगा	राधाकृश्ण गौ सेवा समिति पंडितावाली
96	पीलीबंगा	राधा बल्लभ गौशाला समिति जाखडावाली
97	पीलीबंगा	लुढाणा गौशाला समिति लुढाणा
98	पीलीबंगा	श्री गौशाला समिति 36 एसटीजी रामपुरा
99	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला सेवा समिति प्रेमपुरा
100	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला कमेटी गोलूवाला सि0
101	पीलीबंगा	अनाथ व अपाहीज गौसेवा समिति गोलूवाला
102	पीलीबंगा	श्री श्याम गौशाला समिति खोथांवाली
103	पीलीबंगा	संत दया दृश्टि गौशाला समिति 6 बीएलडब्ल्यू
104	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला सेवा समिति सूरांवाली
105	पीलीबंगा	श्री गौशाला सेवा समिति हरदयालपुरा
106	पीलीबंगा	श्री गौपाल गौशाला प्रबंध समिति काहनेवाला
107	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौसेवा समिति उम्मेवाला
108	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला समिति अयालकी
109	पीलीबंगा	श्रीकृश्ण गौशाला सेवा समिति खरलियां
110	पीलीबंगा	श्री कृश्ण गौशाला समिति लखासर
111	संगरिया	श्री गोपाल रायगर बाबा गौशाला समिति ढाबां
112	संगरिया	बाबा सगु सिंह गौशाला संतपुरा
113	संगरिया	श्री कृश्ण गौशाला सेवा समिति दीनगढ़
114	संगरिया	गौसाई समिति गौशाला नुकेरा
115	संगरिया	श्री भौमिया जी गौशाला सेवा समिति रासूवाला
116	संगरिया	श्री शिव गौ सेवा सदन संगरिया
117	संगरिया	भगवान श्री कृश्ण गौशाला समिति नगराना

118	संगरिया	श्री कृश्ण गौशाला नाथवाना
119	संगरिया	सन्त बाबा शेरसिंह गौशाला समिति शाहपीनी
120	संगरिया	गरीब गौसेवा समिति हरीपुरा
121	संगरिया	श्री गौपाल गौशाला सेवा समिति किशनपुरा उतरादा
122	संगरिया	भगवान श्री कृश्ण गौशाला संगरिया
123	संगरिया	श्री महावीर दल बालगोपाल गौशाला समिति संगरिया
124	संगरिया	श्री कृश्ण गौशाला सेवा समिति भाखरावाली
125	संगरिया	श्री कृश्ण गौशाला समिति बोलावाली
126	संगरिया	श्री कृश्ण गौशाला समिति अमरपुराजालू
127	संगरिया	आजाद गौशाला सेवा समिति मानकसर
128	रावतसर	श्री गौशाला समिति चाईया
129	रावतसर	स्वामी विवेकानन्द गो सेवा समिति बुधवालिया
130	रावतसर	जय दुर्गा ब्राहम्णी गौशाला समिति पल्लू
131	रावतसर	श्री कृश्ण गो सेवा समिति चक 16 DWD रावतसर
132	रावतसर	श्री राधाकृश्ण गौ सेवा समिति गन्धेली
133	रावतसर	श्री शिव गौशाला समिति धन्नासर
134	रावतसर	घनश्याम गौशाला सेवा समिति पुरबसर
135	रावतसर	श्री शिवस्थल गौशाला समिति रामका
136	रावतसर	श्री कृश्ण गोपाल गौशाला समिति बरमसर
137	रावतसर	श्री कृश्ण गोशाला समिति कनवानी
138	रावतसर	श्री कृश्ण गोवंश सेवा समिति किकरालिया
139	रावतसर	श्री गौसेवा समिति चक 9 ए0एम0
140	रावतसर	श्री कृश्ण गोपाल गौशाला समिति सरदारपुरा खालसा
141	रावतसर	श्री कृश्ण गो सेवा समिति न्योलखी
142	रावतसर	श्री गौशाला समिति रावतसर
143	रावतसर	श्री कृश्ण गो सेवा समिति रावतसर
144	रावतसर	श्री गुरू गोरखनाथ गो सेवा समिति रावतसर
145	रावतसर	श्री शिव गोरख नाथ गोशाला सेवा समिति रावतसर
146	रावतसर	वासुदेव गौशाला सेवा समिति बिसरासर

147	रावतसर	श्री श्याम बिहारी गौशाला सेवा समिति रावतसर
148	रावतसर	श्री श्याम गौशाला सेवा समिति भैरूसरी
149	रावतसर	श्री गोविन्द गोधाम गौशाला समिति खोडा
150	रावतसर	श्री गोरखनाथ गौशाला समिति 22 एजी
151	रावतसर	श्री कृश्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति हरदासवाली पूर्वी

परिशिश्टः– 13 20 एजेंसियों/व्यक्तियों को प्लान के वितरण की सूची

परिशिश्टः– 14 परिवर्णी शब्दों की सूची

एआरएमवी – दुर्घटना सहायता चिकित्सा वैन
बीआईएस – भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीओ – समुदाय आधारित संगठन
सीबीआरएन – रासायनिक,जैविक,विकरिण तथा नाभिकीय
सीआरएफ – आपदा राहत कोश
डीडीएमए – जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएम – आपदा प्रबंधन
जीआईएस – भौगोलिक सूचना प्रणली
जीओआई – भारत सरकार
जीपीएस – वैश्विक स्थितिपरक प्रणाली
एचएलसी – उच्च सतरीय समिति
आईसीएस – घटना कमान प्रणाली
आईसीटी – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईटी – सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीके – स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
एमएचए – गृह मंत्रालय
एनसीसी – राष्ट्रीय केडेट कार्प्स
एनसीसीएफ – राष्ट्रीय आपदा आककस्मिकता कोश
एनसीएमसी – राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एनडीईएम – राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस
एनडीएमए – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एनजीओ – गैर–सरकारी संगठन
एनआईडीएम – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईटी – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसडीआई – राष्ट्रीय स्थानिक डाटा अवसंरचना
एनएसएस – राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस – नेहरु युवा केन्द्र संगठन
पीपीपी – सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई – पंचायती राज संस्थान
आर एण्ड डी – अनुसंधान एवं विकास
एसडीएमए – राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीआरएफ – राज्य आपदा कार्रवाई बल
एसईसी – राज्य कार्यकारी समिति
एसओपी – मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
यूएलबी – शहरी स्थानीय निकाय

परिशिश्ट–15 फोन डायरेक्ट्री
जिले के महत्वपूर्ण दूरभाश नम्बरों की सूची (तहसीलवार व विभागवार)

नाम	पद	कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल
श्रीमती रूकमणि रियार	जिला कलक्टर हनुमानगढ	1552	260001	260002	9660292100
श्री सुधीर चौधरी	जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़	1552	260003	260004	7426000244
श्री कपील यादव	अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़	1552	260125		7877706660
श्रीमती चंचल वर्मा	अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर	1555	220508	220353	9660736484
श्री बनवारी लाल मीणा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ	1552	260708		9571595918
श्री जौरा सिंह	उपवन संरक्षक हनुमानगढ	1552	260861		9414091044
श्री नरेन्द्र कुमार थोरी	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांकं	1552	260778	260078	9314988888
सुनीता चौधरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	1552	261094	261095	9414421595
सुनील छाबडा	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमानगढ़	1552	264999	262529	99289.80450

श्री करतार सिंह	राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ	1552	261117		94133.77642
श्री दाना राम	आबकारी अधिकारी हनमुानगढ	1552	222088		8112292338
श्री					
श्री विनोद कुमार	जिला रसद अधिकारी हनमुानगढ	1552	261114	261115	8000293870 9829815538
अशोक कुमार	सहायक निदेशक अभियोजन हनु0	1552	265249		9414509891
उग्रसैन सहारण	महापब्रन्धक डेयरी (एमडी) हनुमानगढ़	1552	260522	262485	9414328023
श्री कृष्ण शर्मा	कोषाधिकारी हनुमानगढ	1552	260727	261878	9460648163
	मुख्यं चिकित्सा अधिकारी हनमुानगढ	1552	224599		9929046420
श्री ओ.पी चार	मुख्य चिकित्सा एंव स्वा0अधि0 हनुमानगढ़ जंक्शन	1552	261190		9160127340
श्री राममूर्ती	मुख्य अधीक्षण अभियन्ता,PHED jdvvnl हनुमानगढ	0155 2	266282		9414417378
श्री के.के. कस्बा	मुख्य अधीक्षण अभियतां, jdvvnl pwd हनुमानगढ़	1552	260154 f		9413359632
श्री विष्णु गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता pwd हनुमानगढ	1552	260548		9414847135
पूजा शर्मा	आयक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़	1552	222930	94140. 92505	97992.38032
श्री संजीव कुमार	जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़	1552	262202		90246.46100
श्री प्रमोद लोढा	जिला परिवहन अधिकारी नोहर	1555	227110	262022	72969.05807
श्री राकेश राय	मुख्य प्रबन्धक रोडवेज हनुमानगढ	1552	260752		9549653525
गिरीश बच्चानी	सहायक आयुक्त देवस्थान हनुमानगढ				9929097890
श्री प्रवेश सोलंकी	उपनिदेशक महिला एंव बाल वि0 वि0	1552	260050		96940.27049
श्री प्रवेश सोलंकी	कार्यक्रम महिला एंव बाल अधिकारिता विभाग।		262135		99289.80450
ममता विश्नोई	मुख्य आयोजना अधिकारी हनुमानगढ़	1552	262402		94131.10875
श्री विनोद गोदारा	सहायक निदेशक साख्यिकी अधिकारी हन0	1552	262402	9057243 362	94625.77044
श्री विक्रम सिंह शेखावत	जिला परिवींक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी हनु0	0155 2	261187		96803.89117
प्रेमा राम कस्बा	जिला बाल सरंक्षण ईकाई हनुमानगढ				

श्री अक्षित विश्नोई	अल्प संख्यक अधिकारी हनुमानगढ				75977.14099
श्री विक्रम सिंह शेखावत	परियोजना प्रबन्धक, अनु.जाति जजा नि.हनु0	1552	261146		96803.89117
श्री प्रेम कुमार	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ	01552	265239		94148.65488
श्री राजपाल	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी हनु0	1552	265778	264336	8107846351
श्री शलेन्द्र कुमार	सूचना विज्ञान अधिकारी	1552	264400	70149.47527	98295.14134
श्री योगेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक सूचना एवं प्रो0 विभाग	1552	260909	8952828083	92510.70001
अमरचन्द लहरी	श्रम विभाग हनुमानगढ़				7742064898
राजकुमार	लीड बैक. हनुमानगढ़				9001893879
सुरेश अग्रवाल	खनन विभाग हनुमानगढ़				9928783206
उपखण्ड अधिकारी					
सुश्री दिव्या	उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ	1552	260546		9887553121
श्री प्रभजोत सिंह गिल	उपखण्ड अधिकारी संगरिया	1499	250950		9587777948
सुश्री संजना जोशी	उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा	01508	235133		9950634535
संजना जोशी	उपखण्ड अधिकारी टिब्बी	01539	235001		99506.34535
श्री रवि कुमार	उपखण्ड अधिकारी रावतसर	1537	251921		9653742696
श्री सत्यनाराण सुथार	उपखण्ड अधिकारी नोहर	1555	220018		9001245572
श्रीमती शकुन्ता चौधरी	उपखण्ड अधिकारी भादरा	01504	224793		86963.35457
रिक्त	एसीएम फास्ट ट्रेक भादरा	01504	224793		
श्री प्रीतम जाखड	उपनिदेशक लोक सेवाएं				9251070001
तहसीलदार					
हरदीप सिंह	तहसीलदार हनुमानगढ़	01552	260637	9351899686	99838.25720
विश्वप्रकाश	तहसीलदार संगरिया	01499	250138		9664011806
हरीश कुमार	तहसीलदार टिब्बी	0153	234123	234030	85276.22611

टाक		9			
नवीन गर्ग	तहसीलदार रावतसर	01537	250123		8302612959
महेन्द्र सिंह रतनू	तहसीलदार नोहर	01555	220187		9929295988
विनोद पुनिया	तहसीलदार भादरा	1504	222055		9549622400
विनोद बिशनोई	तहसीलदार पीलीबंगा	1508	233313		9079359675
पायल अग्रवाल	तहसीलदार पल्लू				8946828043
हर्षिता मिढा	तहसीलदार भू0अ0 हाजा	01552	260637		82097.64478

जिला परिषद हनुमानगढ					
सुनिता चोधरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ	1552	261094	261095	9414421595
सुनील छाबडा	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ	1552	264999	262529	99289.80450
श्री भूप सिंह	अधी0अभि0 वाटर शेड सैल कम डाटा सेन्टर				9414567646
छगन लाल बरायच	अधि.अभियन्ता नरेगा				9414202793
मदन गोदारा	सहायक अभियन्ता नरेगा				9462577041
वैभव अरोड़ा	जिला परियोजना प्रबन्धक राजीविका हनु0				9414432422
विकास अधिकारी					
यशपाल असीजा	विकास अधिकारी हनुमानगढ़	1552	222140	9530305010	94146.37140
सतपाल	विकास अधिकारी संगरिया	1499	250001		9414481403
त्रिभवु न सिहं	विकास अधिकारी रावतसर	1537	250168	9530305111	94130.76961
शंकर लाल धारिवाल	विकास अधिकारी पीलीबंगा	01508	234313ि	9530305060	81188.57770
भंवर लाल स्वामी	विकास अधिकारी टिब्बी	1539	235011	9530305155	92510.30431
कुशलेश्वर सिंह	विकास अधिकारी नोहर	01555	220035	9530305050	9530292210
देशराज बिशनोई	विकास अधिकारी भादरा	01504	222130		9414782529

सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ़ के विभागीय अधिकारियों एवं कार्यालयों का विवरण एवं मोबाईल नं.

क्रं.सं.	अधिकारी/कार्यालय का नाम	दूरभाष एवं मोबाईल नं.
1.	**श्री वी.के.गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त हनुमानगढ़**	**01552–260154 94148–47135**
	श्री देवेन्द्र सिंघल, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, सा.नि.वि. वृत्त हनुमानगढ़	70143–56636
2.	**श्री अनिल अग्रवाल , अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़**	**01552–260560, 94143–05824**
.	सुश्री भानु प्रिया, तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़	94600–16727
	सा.नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़ के अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालय	
	(i) श्रीमती सुशीला शारण, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़	78170–91802
	(ii) सुश्री रेखा नवल, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़	78785–39209
	(iii) श्री आशीष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़	73408–05122
	(iv) श्री सचिन वधवा, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	80058–03505
	(v) श्री सन्दीप कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	85049–84349
	(vi) श्री अमित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	96604–88208
	(vii) श्री बीरबल सिंह खेजड़, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड संगरिया	88770–64258
	(viii) श्री गोविन्द राम, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड संगरिया	81190–28772
	(ix) सुश्री रजनी सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड संगरिया	87696–18265
	(x) सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड टिब्बी (रिक्त पद) अतिरिक्त कार्यभार श्री सचिन वधवा, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	80058–03505
	(xi) श्री अमन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड टिब्बी	99501–22643
	(xii) श्री गोपाल, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड टिब्बी	82900–26326
3.	**श्री पी.पी. कोठारी, अधिशाषी अभियन्ता,सा.नि.वि. खण्ड नोहर**	**01555–220556, 81045–99701**
	सा.नि.वि. खण्ड नोहर के अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालय	
	(i) श्री शशांक वर्मा, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम नोहर	94612–88044
	(ii) श्री रोहित राठौड, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम नोहर	90796–35833
	(iii) श्री अजय सेवदा, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम नोहर	95091–41954
	(iv) श्री श्रवण भूकर, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय नोहर (अतिरिक्त कार्यभार)	94687–63403
	(v)श्री राहुल कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय नोहर	78775–35987
	(vi) श्री पवन कुमार डारा, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम भादरा	94135–05566
	(vii) श्री देवाराम, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम भादरा	96499–19014

	(viii) श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम भादरा	70085–47117
	(ix) श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय भादरा	81047–88644
	(x) नवनीत कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय भादरा	82786–15818
4	**श्री गुरतेज सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड पीलीबंगा**	**98285–29028**
	सा.नि.वि. खण्ड पीलीबंगा के अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालय	
	(i) श्री संदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम पीलीबंगा	93094–69350
	(ii) सुश्री कनक जोधा, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम पीलीबंगा	89494–67326
	(iii) सुश्री सोनिका, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम पीलीबंगा	94620–29096
	(iv) श्री सुमरत लाल मीणा, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय पीलीबंगा	70505–79257
	(v) श्री दीपक वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय पीलीबंगा	77372–95219
	(vi) श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड रावतसर	95605–44438
	(vii) श्री सूर्या प्रकाश, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड रावतसर	90579–96798
	(viii) श्री दीपेन्द्र सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड रावतसर	70234–32810
5	**श्री कप्तान सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. आर.ओ.बी खण्ड हनुमानगढ़**	**94145–00891**
	सा.नि.वि. आर.ओ.बी खण्ड हनुमानगढ़ के अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालय	
	(i) श्री श्रवण भूकर, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. आर.ओ.बी. उपखण्ड हनुमानगढ़	94687–63403
	(ii) श्री बिमल बिश्नोई, कनिष्ठ अभियन्ता, सा.नि.वि. आर.ओ.बी. उपखण्ड हनुमानगढ़	70239–12836
6	**श्री सांवरमल स्वामी, अधिशाषी अभियन्ता (पीपीपी), सा.नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़**	95602–90444
7.	**श्री ओमवीर, परियोजना प्रबन्धक, रिडकोर यूनिट हनुमानगढ़**	94133–88982
8.	**श्री अंकित, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग सा.नि.वि. खण्ड बीकानेर**	88755–29355
9.	**श्री भीम सैन स्वामी, परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट श्रीगंगानगर**	97845–62445
10	**श्री कृष्ण सरावगी , अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड हनुमानगढ़**	94136–61604
	(i) श्री जगमोहन श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड हनुमानगढ़	94130–81891

22	M/S Baldev Prasad Madhoprasad	Pawan Kumar	Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)	
23	M/S Sohanlal Janaklal	Sohanlal	Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)	
24	M/S Bijarniya Traders	Girdawari Devi	Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)	
25	M/S Shayamlal Sunderlal	Shayamlal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
26	M/S Bhadu Petrolium	Anita Bishnoi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
27	M/S Matoriya Petrol	Vinod Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	

28	M/S Matoriya Kishan Sewa Kendra	Shiwangi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
29	M/S Chetak Petrolium	Madanlal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
30	M/S VDS Oil Company	Manisha devi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
31	M/S Kasniya Filing Station	Shakuntla Devi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
32	M/S Choudhary Jodharam Kishan Sewa Kendra	Shishpal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	
33	MS Ganpati Kishan Sewa Kendra	Renu Lata Bishnoi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Chak 3LGW,Pilibanga,335512
34	M/S Kuldiya Petro City	Lunaram	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Purabsar,Rawatsar,335512
35	M/S Ch. Harchandram Ji Saharan Kisan Sewa Kendra	Prem	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Malsisar,Bhadra,335512
36	M/S Manglam Filing Station	Parveen Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Sahwa Road,Nohar,335512
37	M/S Hai Om Petrollium	Khetpal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Kalibanga,Pilibanga,335512
38	M/S Sibiya Brothers	SubhasChander	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Malarampura Sangriya,Hanumangarh,335063
39	M/S Ramesh Oil Company	Ramesh Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Sangriya,Hanumangarh,335063
40	M/S Ajay Filing Station	Lalchand	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Suratgarh Road Pilibanga,Hanumangarh,335802
41	M/S Choudhary Kishan Sewa Kendra	Syopatram	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Kalibanga Choraha PiliBanga Ganv,Pilibanga Hanumangarh,335
42	M/S Changalal Rathi	Chaganlal Rathi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Pilibanga,Hanumangarh,335802
43	M/S Highway Filing Station	Rita Bahal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Suratgarh Road Kenchiya Pilibanga,Hanumangarh,335802

44	M/S Balaji Kishan Sewa Kendra	Surender Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Likhamisar,Pilibanga Hanumangarh,335802
45	M/S Alayaki Kishan Kendra	Jagpal Singh	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Chak-20 JRK Alayaki,Pilibanga Hanumangarh,335802
46	M/S Suraj Auto Service Center	Suresh Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Tibbi,Alanabad Road Tibbi Hanumangarh,335526
47	M/S Subhas Oil Company	Subhas	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	New Bus Stand,Rawatsar Hanumangarh,335524
48	M/S Ajay Petrolium	Ajay Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Rawatsar Nohar Road,Thaldka Rawatsar Hanumangarh,335524
49	M/S Choudhary Auto Caper	Renu Pooniya	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Dhannasar Kenchiya Road,Dhannasar Rawatsar Hanumangarh,3
50	M/S Bhadu Brothers	Sanjeev Bishnoi	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Sardarsahar Road Near Dhan Mandi,Rawatsar Hanumangarh,33
51	M/S Matoriya Petrolium	Chetram	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Sardarsahar Road Dhannasar,Rawatsar Hanumangarh,335524
52	M/S Kirshan Kenheya Fuel Filing Station	Banwari Lal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Pallu,Rawatsar Hanumangarh,335524
53	M/S Madhuradas Charandas & Company	Narender Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Nai Khunja Hanumangarh Jn,Nai Khunja Hanumangarh Jn,33551
54	M/S Khwaja Garib Nawab Kishan Sewa Kender	Jafar Ali	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	37 STG Dhaliya Hanumangarh,37 STG Dhaliya Hanumangarh,33
55	M/S Brar Filing Station	Amarpreet Singh	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Chak-6 STG Pilibanga Road Hanumangarh,Chak-6 STG Pilibang
56	M/S GM Petro	Khushabu Agarwal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Satipura Baipass Road Hanumangarh Town Hanumangarh,Satip Hanumangarh Town Hanumangarh,335513
57	M/S Shiv Oil Store	Shiv Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Hanumangarh Ganganagar Road Bus Stand Pakkasarana Hanur Ganganagar Road Bus Stand Pakkasarana Hanumangarh,33551
58	M/S Shankar Filing Station	Shankar Lal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Rawatsar Road Kohla Hanumangarh,Rawatsar Road Kohla Hanu
59	M/S Devidatta Doda & Sons	Devi Datta Ram	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Juction Town Road Hanumangarh Town,Juction Town Road Han

60	M/S Dudhwal Kisan Sewa Kendra	Surender Kumar	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Chak-35 SSW Karnisar Hanumangarh,Chak-35 SSW Karnisar Ha
61	CoCo Pump	Indian Oil Cop.	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Dablirathan Hanumangarh,Suratgarh Road Dablirathan Hanuman
62	M/S Shibiya Brothers	Subhas Chander	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Lakhuwali Road Chohilawali Hanumangarh,Lakhuwali Road Chol
63	M/S Kishan Petrol Pump	Sohanlal	Indian Oil Coporation Limited(IOCL)	Juction Town Road Near Aashish Cinema Hanumangarh Jn Hanu Near Aashish Cinema Hanumangarh Jn Hanumangarh,335512
64	M/S Ganpati Filing Station	Satyanarayan	Indo Burma Petroleum Company Ltd(IBPCL)	Juction Sangriya Road Hanumangarh Jn Hanumangarh,Juction S Hanumangarh,335512
65	M/S Madhuradas Charandas & Company	Narender Kumar	Reliance Petroleum ltd.(Reliance)	Town Jn Road Near Hanuman Temple Hanumangarh Jn,Town Jn Hanumangarh Jn,335512
66	M/S Kandhari Petro Point	Reshamlal	Reliance Petroleum ltd.(Reliance)	Suratgarh Road Pilibanga,Hanumangarh,335803

उक्त कार्य योजना गोपनीय है, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ श्री कपिल यादव, (कार्यालय नं. 01552–260125, निवास नं.01552–260126,) से सम्पर्क किया जा सकता है।

Information regarding lattitude and Longitude, Dist. Hanumangarh

S. No.	Nameof Station	Place	Lattitude	Longitude
1	Hanumagnarh JN.	Stadium Ground	29^0 36' N	74^0 17' E
2	Hanumangarh Town	NMPG College Ground	29^0 34' N	74^0 19' E
3	Tibbi	Senior Secondary School Ground	29^0 33' N	74^0 30' E
4	Sangria	Agriculture College Ground	29^0 48' N	74^0 28' E
5	Pilibanga	Gandhi Stadium	29^0 29' N	74^0 03' E
6	Rawatsar	1.5 KM From Tehsil Office	29^0 16' N	74^0 24' E
7	Nohar	Stadium Ground	29^0 11' N	74^0 40' E
8	Bhadra	School Ground, Near Tehsil office	29^0 06' N	75^0 10' E